मुकदमों का विवरण

भारत और अन्य का संघ V.

दिलीप पॉल

(2023 की सिविल अपील संख्या 6190) नवंबर 06,2023

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**,** जे**.** बी**.** पारदीवाला और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**
हेडनोट्स

विचार के लिए मुद्देः

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित एक अपील में, जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी के नेतृत्व में रिट याचिका को अनुमति दी और इस तरह कार्यस्थल पर एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उसके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रतिवादी पर लगाए गए उसकी पेंशन के 50 प्रतिशत को आने वाले सभी समय के लिए रोकने के दंड के आदेश को रद्द कर दिया, निम्नलिखित प्रश्न विचार के लिए उठेः- I. क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित प्रथम शिकायत की जांच के लिए गठित केंद्रीय शिकायत समिति ने अक्टूबर 2011 में प्रतिवादी के खिलाफ की गई अनाम शिकायतों सहित कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों वाली दिनांकित दूसरी शिकायत की जांच करने में त्रुटि की है;

II. क्या केंद्रीय शिकायत समिति ने विभागीय जांच के दौरान गवाहों से सवाल पूछकर और इस तरह अनुशासनात्मक कार्यवाही को दूषित करके अभियोजक की भूमिका संभालने में गलती की; और III। क्या केंद्रीय शिकायत समिति को केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित कहा जा सकता है और मामला "कोई सबूत नहीं" में से एक था।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न **(**रोकथाम**,** निषेध और निवारण**)** अधिनियम**, 2013-2006** का स्थायी आदेश संख्या **1 474**

473

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

(शिकायत निवारण तंत्रः कार्यस्थल पर महिलाओं की शिकायतों**/**यौन उत्पीड़न का निवारण करने के लिए**)-**खंड **9** और **10 (i)-**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न**-**महिला कर्मचारी ने प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और बाद में प्रतिवादी के खिलाफ की गई गुमनाम

शिकायतों सहित कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों वाली एक और **(**दूसरी**)** शिकायत प्रस्तुत की**-**पहली शिकायत की जांच के लिए गठित केंद्रीय शिकायत समिति ने दूसरी शिकायत पर भी गौर किया**-**उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय शिकायत समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल पहली शिकायत की जांच के लिए किया गया था।

आयोजित किया गया**:**इस बात की परवाह किए बिना कि क्या किसी प्राधिकरण को पहले ही कोई शिकायत की जा चुकी थी, यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत समिति को 2006 के स्थायी आदेश के खंड 10 (i) के तहत भी शिकायत समिति को शिकायत की जा सकती थी-तत्काल मामले में, दूसरी शिकायत को केंद्रीय शिकायत समिति के गठन के तुरंत बाद और इसकी पहली सुनवाई से ठीक पहले प्राथमिकता दी गई थी-उच्च न्यायालय का यह तर्क कि केंद्रीय शिकायत समिति का गठन पहली शिकायत के आधार पर किया गया था, इसकी जांच का दायरा इसकी सामग्री तक ही सीमित था, पूरी तरह से गलत है क्योंकि केंद्रीय शिकायत समिति का अस्तित्व 2006 के स्थायी आदेश के कारण था और शिकायत के कारण नहीं-इसके अलावा, भले ही यह एक पल के लिए माना जाता है कि शिकायत समिति का अस्तित्व था।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल 476

अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर अधिरोपित दंड का आदेश कि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रत्यर्थी से पूछा गया था कि क्या उसने "पूर्वाग्रह की परीक्षा" के सिद्धांत को लागू किए बिना दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया था [पैरा 49,50,55,56,65 और 66]

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न **(**रोकथाम**,** निषेध और निवारण**)** अधिनियम**, 2013-2006** का स्थायी आदेश संख्या **1 (**शिकायत निवारण तंत्रः महिलाओं की शिकायतों**/**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण करने के लिए**)-**खंड **10 (viii)-**कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न**-**महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई**-1965** के सी**.** सी**.** एस**.** नियमों के नियम **14** के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई**-**जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित केंद्रीय शिकायत समिति ने विभागीय जांच में गवाहों से सवाल किए थे**-**क्या इसने जांच कार्यवाही को दूषित किया है**-**सेवा कानून**-**केंद्रीय सिविल सेवा **(**वर्गीकरण**,** नियंत्रण और अपील**)** नियम**, 1965 -**आर**. 14-**अनुशासनात्मक कार्यवाही**-"**तथ्य खोज**"** प्राधिकरण।

आयोजित किया गया**:**यह जांच प्राधिकरण और अनुशासनात्मक प्राधिकरण हैं जो एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में तथ्य देने वाले अधिकारी हैं-आर का अवलोकन।14 1965 के सी. सी. एस. नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा एक 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' नियुक्त किया गया है, वहां ऐसा अधिकारी प्रभार के लेखों के समर्थन में मामला प्रस्तुत करेगा।इसके विपरीत, उपरोक्त से जो तार्किक रूप से स्पष्ट होता है वह यह है कि,

जहां कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, आरोप के लेखों के समर्थन में मामले को पेश करने का कर्तव्य या भूमिका अनुशासनात्मक प्राधिकरण या जांच प्राधिकरण पर वापस आती है, जैसा भी मामला हो-गवाहों से सवाल करने की शिकायत समिति की शक्ति और विवेकाधिकार को आगे 2006 के स्थायी आदेश के खंड 10 (viii) में निहित रूप से दर्शाया गया है-न तो कोई वैधानिक बाधा है और न ही शिकायत समिति की शक्ति को केवल उपरोक्त प्रावधान में उल्लिखित संदर्भ में गवाहों से सवाल करने के लिए प्रतिबंधित करने का कोई तर्क है-कोई यह समझने में विफल रहता है कि शिकायत समिति का दूसरा क्या उद्देश्य है जिसे 'जांच प्राधिकरण' माना जाता है।165 साक्ष्य अधिनियम, 1872 एक न्यायाधीश को प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजने या प्राप्त करने के लिए पक्षों या गवाहों से सवाल करने की अनुमति देता है और इस प्रावधान का व्यापक रूप से पूरे देश में न्यायाधीशों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, कैसे शिकायत समिति की तुलना एक न्यायाधीश के साथ की जाती है।

न्यायिक कार्यवाही में उस विशेषाधिकार से इनकार किया जा सकता है-उच्च न्यायालय का यह विचार सही नहीं था कि कार्यवाही दूषित हो गई क्योंकि केंद्रीय शिकायत समिति ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल किए थे।[पारस 69,73,75,77 और 78]

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न **(**रोकथाम**,** निषेध और निवारण**)** अधिनियम**, 2013-**क्या केंद्रीय शिकायत समिति अपने निर्णय अनुमानों और अनुमानों पर आधारित है**-**क्या तत्काल मामला **"**कोई सबूत नहीं**"** में से एक है।

आयोजित किया गया:केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार में लिए गए साक्ष्य कि आरोप साबित किए गए थे, यह संकेत देता है कि यह "कोई सबूत नहीं" का मामला नहीं था-शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को इंगित करने या प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत रिकॉर्ड पर आए हैं-प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को अवांछित फोन कॉल करने से संबंधित आरोप, हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग का कोई सबूत इसे साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया था, मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा सही ढंग से स्वीकार किया गया था-केंद्रीय शिकायत समिति की शिकायतों को अनुमानों और अनुमानों के आधार पर नहीं कहा जा सकता था-केंद्रीय शिकायत समिति ने विधिवत नोट किया कि कॉल रिकॉर्ड की अनुपलब्धता[पारस 94,95,96 और 97]

सेवा कानून**-**अनुशासनात्मक जांच**-**प्रमाण का मानक।

आयोजित किया गया:अनुशासनात्मक जांच में, सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है-अदालतों को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब मामले या तो विकृत हों या किसी भी सबूत पर आधारित न हों।[पैरा 93]

सेवा कानून-अनुशासनात्मक कार्यवाही-न्यायिक समीक्षा का दायरा।

आयोजित किया गयाःयह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात आती है, तो यह जांच प्राधिकरण और अनुशासनात्मक प्राधिकरण है जिसे तथ्य-कल्पित प्राधिकरण कहा जा सकता है और अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील में नहीं बैठना चाहिए और सबूत या 477 की फिर से सराहना करनी चाहिए।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल 478

अपने स्वयं के कार्यों को प्रतिस्थापित करें-न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया के औचित्य और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता तक सीमित है।[पैरा 42]

सिद्धांत/सिद्धांत-"पूर्वाग्रह की परीक्षा" का सिद्धांत-सेवा न्यायशास्त्र में-चर्चा की गई।**[**पारस **57** और **58]**

सिद्धांत/सिद्धांत-"कोई साक्ष्य नहीं" का सिद्धांत-सेवा न्यायशास्त्र में-चर्चा की गई।**[**पारस **79,80,86** और **89]**

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न **(**रोकथाम**,** निषेध और निवारण**)** अधिनियम**, 2013-**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-वैधानिक योजना-पर चर्चा की गई।**[**पारस **31-38]**

महिलाओं के खिलाफ अपराध-यौन उत्पीड़न-दुरुपयोग को रोकने के लिए शिकायत की सत्यता और वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए-अदालतों का कर्तव्य।

आयोजित किया गयाःकार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से देखा जाना चाहिए-हालांकि, इस प्रकृति के आरोप को बनाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत कठिन है-जब किसी याचिका को बाहरी कारणों से गलत निहितार्थ के रूप में लिया जाता है, तो अदालतों का कर्तव्य होता है कि वे सबूतों की गहरी जांच करें और आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा तय करें-शिकायत की सत्यता और वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए ताकि समाज के उत्थान के लिए और "यौन उत्पीड़न" की आड़ में किसी के द्वारा लैंगिक भेदभाव के बिना लोगों के समान अधिकारों के लिए इस तरह के प्रशंसनीय कानूनों के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सके, ऐसा न हो कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली एक मजाक बन जाएगी।[पैरा 2]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम रतन सिंह (1977) 2 एस. सी. सी. 491; प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (2020) 9 एस. सी. सी. 471:[2020] 7 एससीआर 1078;

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए. के. चोपड़ा (1999) 1 एस. सी. सी. 759:[1999] 1 एस. सी. आर. 117; वेस्ट बोकारो कोलियरी (टिस्को लिमिटेड) बनाम राम

प्रवेश सिंह (2008) 3 एससीसी 729:[2008] 2 एससीआर 247; बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य। (1995) 6 एससीसी 749:[1995] 4 पूरक।एससीआर 644; संघ

भारत सरकार और अन्य बनाम मुद्रिका सिंह (2021) 14 स्केल 509 और प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद और अन्य बनाम बी. करुणाकर और अन्य (1993)

4 एससीसी 727:[1993] 2 पूरक।एससीआर 576-पर निर्भर।

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241: [1997] 3 पूरक।एस. सी. आर. 404; मेधा कोतवाल लेल और अन्य बनाम भारत संघ

और अन्य (2013) 1 एस. सी. सी. 297:[2012] 9 एससीआर 895; ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 621; स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य बनाम एस. के. शर्मा (1996) 3 एससीसी 364:[1996] 3 एससीआर 972; यू. पी. राज्य बनामहरेंद्र अरोड़ा और एक अन्य (2001) 6 एससीसी 392: [2001] 3 एस. सी. आर. 375; साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 518:[2004] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 723; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम एस. श्री रामाराव ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723:[1964] 3 एस. सी. आर. 25; आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम चित्रा वेंकट राव (1975) 2 एस. सी. सी. 557:[1976] 1 एस. सी. आर. 521; भारत संघ बनाम एच. सी. गोयल ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 364:[1964] 4 एससीआर 718; आर. महालिंगम

बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग और एक अन्य (2013) 14 एस. सी. सी. 379; विजय शंकर पांडे बनाम भारत संघ (2014) 10 एस. सी. सी. 589

:[2014] 13 एस. सी. आर. 1238-संदर्भित।

रेजिना बनाम उप औद्योगिक चोट आयुक्त, पूर्व पक्ष मूर (1965) 1 क्यू. बी. 456; द किंग बनाम कार्सन रॉबर्ट्स 1908 (1) के. बी., 407; फ्रेंच कीर डेवलपमेंट्स लिमिटेड बनाम। पर्यावरण राज्य सचिव 1977 (1)

सभी ई. एल. आर. 297 और एडवर्ड (कर निरीक्षक, बेयरस्टो) (1956) अपील मामले, 14-निर्दिष्ट।

बर्नार्ड श्वाट्र्ज का प्रशासनिक कानून पर ग्रंथ, 1976 संस्करण,

पृष्ठ 595-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील संख्या 6190।2015 के डब्ल्यू. पी. सी. No.7876 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित 15.05.2019 निर्णय और आदेश से।

रूपः

के. परमेश्वर, सुश्री रेखा पांडे, सुश्री वैशाली वर्मा, सुश्री मंजुला गुप्ता, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अविजीत रॉय, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल

479

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्याय

जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.**

व्याख्या की सुविधा के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया हैः-

सूचकांक *

ए**.** फैक्टुअल मैट्रिक्स।

ए. 1 ऑन-स्पॉट/प्रारंभिक जांच रिपोर्ट. 6 ए. 2 फ्रंटियर शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट. 9 ए. 3 केंद्रीय शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट. 10 ए. 4 प्रतिवादी का बचाव. 23 ए. 5 कैट के समक्ष कार्यवाही. 23 ए. 6 उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही. 25

बी**.** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश**. 26** सी**.** अपीलकर्ता के स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ**. 29** डी**.** जवाबदेह के स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ**. 32** ई**.** विश्लेषण**. 37**

ई. 1 प्रासंगिक सांविधिक योजना और मामला कानून. 38 ई. 2 क्या केंद्रीय शिकायत समिति कर सकती है

तारीख की दूसरी शिकायत पर गौर किया है

18.09.2012?.....65 i) सेवा में "पूर्वाग्रह की परीक्षा" का सिद्धांत

न्यायशास्त्र. 71 ई. 3 क्या केंद्रीय शिकायत समिति विभागीय जांच में गवाहों से सवाल पूछ सकती थी?.....81 i) अनुशासनात्मक कार्यवाही में "तथ्य खोज" प्राधिकरण।

*एड। ध्यान देंःसूचकांक में पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

480

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

ई. 4 क्या केंद्रीय शिकायत समिति अपने निर्णय अनुमानों और अनुमानों पर आधारित करती है?क्या मामला "कोई सबूत नहीं" में से एक है?.....87 i) सेवा न्यायशास्त्र में "कोई साक्ष्य नहीं" का सिद्धांत. 87 ii) अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमाण का मानक. 95

एफ**.** कन्क्लूजन**. 104**

रजिस्ट्री को इस निर्णय में शिकायतकर्ता के नाम, पारित किए गए सभी आदेशों के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों को गुमनाम करने का निर्देश दिया गया है।

1. यह अपील भारत संघ और अन्य के उच्च न्यायालय के समक्ष असफल प्रतिवादी होने के उदाहरण पर है और 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 7876 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) के नेतृत्व में रिट याचिका को अनुमति दी और इस तरह यौन उत्पीड़न के आरोपों पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रतिवादी पर लगाए गए 50 प्रतिशत पेंशन को हर समय रोकने के दंड के आदेश को दरकिनार कर दिया।
2. हम यौन उत्पीड़न से संबंधित मुकदमे पर विचार कर रहे हैं।कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से देखा जाना चाहिए और उत्पीड़न करने वाले को कानून के चंगुल से बचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वही यौन उत्पीड़न की शिकार को अपमानित और निराश करता है, विशेष रूप से जब उत्पीड़न करने वाले को दंडित नहीं किया जाता है या अपेक्षाकृत मामूली दंड के साथ छोड़ दिया जाता है।हालाँकि, साथ ही, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस प्रकृति का आरोप लगाना बहुत आसान है और इसका खंडन करना बहुत मुश्किल है।जब किसी याचिका को बाहरी कारणों से गलत निहितार्थ के रूप में लिया जाता है, तो अदालतों का कर्तव्य होता है कि वे साक्ष्य की गहरी जांच करें और आरोपों की स्वीकार्यता या अन्यथा तय करें।भूसी को अनाज से अलग करने का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।शिकायत की सच्चाई और वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए ताकि समाज के उत्थान

के लिए और लिंग भेदभाव के बिना लोगों के समान अधिकारों के लिए 481 के तहत इस तरह के प्रशंसनीय कानूनों के किसी भी दुरुपयोग को रोका जा सके।

"यौन उत्पीड़न" की आड़ में, ऐसा न हो कि न्याय प्रदान करने की प्रणाली एक मजाक बन जाएगी।ऐसी परिस्थितियों में, हमने इस मामले को बारीकी से और विस्तार से देखने का फैसला किया है।

ए. फैक्टुअल मैट्रिक्स

3. इसमें प्रतिवादी सितंबर, 2006 से मई, 2012 के बीच सेवा चयन बोर्ड (संक्षेप में, "एसएसबी"), रंगिया, असम राज्य के क्षेत्रीय आयोजक यानी कार्यालय के स्थानीय प्रमुख के रूप में कार्यरत था।उसी कार्यालय में, एक महिला कर्मचारी फील्ड सहायक (महिला) के रूप में कार्यरत थी (जिसे इसके बाद "शिकायतकर्ता" कहा जाता है)।उन्होंने महानिरीक्षक (संक्षेप में, "आई. जी".), फ्रंटियर मुख्यालय, गुवाहाटी को संबोधित एक शिकायत (इसके बाद "पहली शिकायत" के रूप में संदर्भित) दर्ज की, जिसकी एक-एक प्रति डी. जी. एस. एस. बी., नई दिल्ली, डिप्टी कमिश्नर को भेजी गई। आई. जी., एस. एस. बी., एस. एच. क्यू., तेज़पुर और राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी के हाथों यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया।30.08.2011 दिनांकित पहली शिकायत इस प्रकार है:-

“को,

महानिरीक्षक,

फ्रंटियर मुख्यालय।एसएसबी गुवाहाटी

विषयःव्यक्तिगत शिकायतों की जानकारी के संबंध में।माननीय महोदय,

उचित सम्मान और विनम्रता के साथ, मैं निम्नलिखित मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हस्ताक्षर करता हूं।

1. मैं मार्च, 2009 में ए. ओ. रंगिया के आधिकारिक सी. ई. में शामिल हुआ हूं, मेरे शामिल होने के बाद से मुझे नियंत्रण कक्ष, सी. ए. पी., प्रशिक्षण, खेल में टेलीफोन और मोबाइल प्राप्त करने का काम सौंपा गया है।तब मैं ऑफ़िस सीई में एकमात्र महिला कर्मचारी थी।

2. ए. ओ. श्री दिलीप पॉल ने समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू करने के बाद मुझे चतुराई से चिढ़ाना शुरू कर दिया।उन्होंने कभी-कभी रात में अनौपचारिक और बहुआयामी शब्दों का उपयोग करके मुझे फोन करना शुरू कर दिया।यहां तक कि वह मेरे आवास तक गए जहां मैं अपने दो बच्चों के साथ अकेला रहता हूं क्योंकि मेरे पति मणिपुर में राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।

3. कभी-कभी सी. ए. पी. के काम के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है।इसका फायदा उठाते हुए वह मुझे अपने कमरे में बुलाता था और अप्रत्यक्ष रूप से और अनावश्यक रूप से चिढ़ाना शुरू कर देता था, जिससे मैं घंटों बैठ जाता था।एक दिन वे इस हद तक कह गए कि "यदि आप मेरे कार्यालय में खुशी से काम करना चाहते हैं, तो मेरी बात से सहमत हों।

4. मैं पिछले ढाई साल से उनके कृत्यों को सहन कर रहा हूं।मैं न तो अपने पति को सूचित कर सका और न ही इस तरह के कृत्यों के खिलाफ कोई लिखित शिकायत दर्ज करा सका क्योंकि सबूत देना मुश्किल होगा।स्थिति को सहन करने में असमर्थ होने के कारण मैंने मई, 2010 में टेलीफोन पर तत्कालीन डी. आई. जी. श्री एस. सी. कटोच से श्री पॉल की असभ्य ऊँचाई के बारे में मौखिक रूप से शिकायत की है।डी. आई. जी. ने अनुग्रह किया और श्री पॉल को दुर्व्यवहार बंद नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

5. तब से, उसने चिढ़ाना बंद कर दिया लेकिन इसके बजाय मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।मुझे कोई काम नहीं सौंपा गया है और मुझे कार्यालय में बहिष्कृत कर दिया गया है।पूरे दिन मुझे ऑफिस में चुपचाप बैठना पड़ता है।अगर मेरा कोई सहकर्मी मुझसे बात करता, तो श्री पॉल तुरंत उसे फोन करते और उसे बुरी तरह डांटते।महोदय, अब मैं इतना उदास और मानसिक रूप से परेशान हूं कि मैं कई बार डॉक्टरों के पास गया हूं, जिसके लिए मैंने कई मेडिकल लीव ली हैं।अब, मैं उनके अधीन एक दिन भी काम करने की स्थिति में नहीं हूँ।इसने मेरे पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखें और यह भी अनुरोध किया जाता है कि इस समस्या से जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए श्री डी. पॉल, एओ रंगिया के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा।

आपकी वफादारी से,

एस. डी./- 30.8.2011

(श्रीमती. एक्स)

एफ. ए. (लेडी)

ए. ओ. ऑफ़िसी सीई, एसएसबी रंगिया "

ए**. 1** ऑन**-**स्पॉट**/**प्रारंभिक जांच रिपोर्ट

4. दि. आई. जी., एस. एस. बी., एस. एच. क्यू., तेज़पुर ने दिनांकित पहली शिकायत के संबंध में एक आम "ऑन-द-स्पॉट" तथ्य जांच की और प्रतिवादी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज किए।प्रत्यर्थी को शिकायतों में लगाए गए आरोपों का जवाब देने का अवसर दिया गया था।13.12.2011 पर, "ऑन-द-स्पॉट" फैक्ट फाइंडिंग जांच का समापन किया गया था, और उस संबंध में दो रिपोर्ट आई. जी., फ्रंटियर मुख्यालय, गुवाहाटी को प्रस्तुत की गई थीं।

क) यौन उत्पीड़न की पहली शिकायत पर, कर्मचारियों के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने कार्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जिसे शिकायतकर्ता को अप्रत्यक्ष रूप से चिढ़ाना या परेशान करना कहा जा सके।रिपोर्ट इस प्रकार हैः-

“को।

महानिरीक्षक,

फ्रंटियर मुख्यालय।एसएसबी

गुवाहाटी,

उपःश्रीमती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों की जांच। एक्स. एफ. ए. (लेडी) बनाम श्री डी. पॉल, एरिया ऑर्गनाइज़र, एस. एस. बी. रंगिया।

साहब,

एफ. टी. आर. के संदर्भ में। मुख्यालय।गी. पत्र सं। एफजी-II/वीसी-वी. आई. जी./08 (भाग)/15293 डी. टी.01-09-11, मैंने 1 नवंबर, 2011 को एस. एस. बी. रंगिया के क्षेत्रीय आयोजक के कार्यालय का दौरा किया और मामले की जानकारी ली।उस तारीख को कार्यालय में उपलब्ध सभी कर्मचारियों को एक के बाद एक व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी क्षेत्र आयोजक श्री दिलीप पॉल को श्रीमती के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नहीं देखा या उन्हें नहीं जाना था। एक्स, एफ. ए. (लेडी) ऑफ़िस सीई में।इसके अलावा उनमें से अधिकांश ने कहा कि क्षेत्र आयोजक श्री पॉल को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के कारण, उन्हें एफ. टी. आर. में स्थानांतरण पर रिहा होने से पहले लगभग 3 महीने तक कोई काम आवंटित नहीं किया गया था। मुख्यालय।गी. और इसलिए वह अक्सर उदास देखी जाती थी।

दूसरी ओर, क्षेत्र आयोजक श्री दिलीप पॉल ने अपने लिखित बयान में बताया कि उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य में अयोग्य भी पाया गया था, और इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं सौंपा गया था।

उसके स्थानांतरण से पहले यानी 18-08-11 से।लेकिन प्रशासक और प्रबंधक के रूप में पर्यवेक्षी अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वे किसी तरह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित करें और उनसे काम लें।

श्रीमती के मामले में। एक्स, एफ. ए. (लेडी), श्री दिलीप पॉल, एरिया ऑर्गनाइज़र, उन्हें प्रेरित करने और उनसे काम प्राप्त करने में विफल पाए गए।

सामरिक और अप्रत्यक्ष चिढ़ाने और उसे एरिया ऑर्गेनाइज़र के ऑफ़िशियल चैंबर में घंटों एक साथ बैठने के आरोप के बारे में, किसी भी कर्मचारी ने कभी भी ऑफ़िशियल चैंबर में ऐसी स्थिति नहीं देखी है।इसलिए श्रीमती को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से चिढ़ाने और परेशान करने का आरोप। श्री दिलीप पॉल द्वारा लिखित एक्स, एफ. ए. (एल) का पता नहीं लगाया जा सका। हालाँकि, श्रीमती। एक्स ने मामले को राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, नई दिल्ली को भेज दिया, इस मामले की उनके द्वारा जांच की जा सकती है।

आपकी वफादारी से

उप महानिरीक्षक

एसएचक्यू, एसएसबी, तेज़पुर "

ख) इसी तरह, अनाम शिकायतों पर रिपोर्ट के अनुसार, आरोपों के संबंध में कुछ भी ठोस नहीं पाया गया।उक्त रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जांच के दौरान केवल एक चीज सामने आई जो प्रतिवादी के अपने तीन अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ कभी-कभार अशिष्टता और असंगत अंतर-व्यक्तिगत संबंध थे।तदनुसार, प्रत्यर्थी को अपने कार्मिक प्रबंधन और कार्यालय के प्रशासन में सुधार करने की सलाह दी गई थी।उक्त रिपोर्ट इस प्रकार हैः-

“को।

महानिरीक्षक,

फ्रंटियर मुख्यालय।एसएसबी

गुवाहाटी।

उपःश्री डी. पॉल, एरिया ऑर्गेनाइजर, एसएसबी, रंगिया के खिलाफ बेनामी शिकायत पर पूछताछ रिपोर्ट

महोदय, 485

एफ. टी. आर. के संदर्भ में। मुख्यालय।गी. पत्र सं। एफ. जी.-II/वी. सी.-वी. आई. जी./08 (भाग)/5660 डी. टी. 08-09-11, मैंने 1 नवंबर, 2011 को क्षेत्रीय आयोजक, एस. एस. बी., रंगिया का दौरा किया और मामले की जांच की।तारीख को कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों को एक के बाद एक व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था।मैंने व्यक्तिगत रूप से और उनमें से प्रत्येक के साथ बातचीत के आधार पर उनके बयान प्राप्त किए; मैं निम्नलिखित रूप में राय देता हूं:

i) कर्मचारियों के बयानों से यह देखा गया है कि श्री दिलीप पॉल, क्षेत्र आयोजक कभी-कभी केवल आधिकारिक कार्य के उद्देश्य से कार्यालय में कुछ कर्मचारियों को चिल्लाते हैं।अनौपचारिक भाषा के उपयोग के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिला है।एक या दो अधिकारियों ने कहा कि अंतरिक्ष आयोजक अशिष्ट व्यवहार करते थे और कुछ अवसरों पर केवल आधिकारिक काम के मामलों पर उन पर चिल्लाते थे।

(ii) टी. ए./डी. ए., एम. आर. बिलों आदि को पारित करने के संबंध में यह पाया गया है कि ये कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं।ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब उन्होंने दूसरों की उपेक्षा करके अपने स्वयं के विधेयक को पारित करने में रुचि ली हो।

iii) कर्मचारियों को छुट्टी देने और बिलों को पारित करने आदि के संबंध में यह पाया गया है कि कोई इनकार या देरी नहीं हुई।हालांकि, छुट्टी देते समय कभी-कभी कर्मचारियों की स्थिति और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखा जाता है।

iv) यह देखा गया है कि क्षेत्र आयोजक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपने वाहन का उपयोग कर रहा है।

v) प्रत्येक कर्मचारी द्वारा दिए गए बयान और क्षेत्र आयोजक द्वारा दिए गए पैरा-वार जवाब के आधार पर, यह देखा गया है कि क्षेत्र आयोजक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए अनावश्यक अशिष्ट भाषा के उपयोग के बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन कभी-कभी वह कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों से समय सीमा के भीतर काम कराने के लिए अशिष्ट व्यवहार करता था।

यह भी देखा गया है कि श्री पी. बी. गोहेन, एस. ए. ओ., श्री के. सिगा, एस. ए. ओ., श्री जे. सिंह, यू. डी. सी. और क्षेत्र आयोजक, श्री दिलीप पॉल के बीच कोई सौहार्दपूर्ण अंतर-व्यक्तिगत संबंध नहीं है।इसलिए, क्षेत्र कार्यालय में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण को वापस लाने के लिए इन कार्यालयों/कार्यालयों को बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।साथ ही, श्री दिलीप पॉल, क्षेत्र आयोजक को सलाह दी जा सकती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अपने मानव प्रबंधन, प्रशासन और अन्य आधिकारिक लेन-देन, कौशल और रणनीति में सुधार करें ताकि कार्यालय में अनुकूल वातावरण वापस लाया जा सके।

आपका वफादार एस. डी./- सेक्टर मुख्यालय के उप महानिरीक्षक।एसएसबी, तेज़पुर "

ए**. 2** सीमा शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट

5. इसके साथ ही, शिकायतकर्ता द्वारा अपनी पहली शिकायत में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए आई. जी., फ्रंटियर मुख्यालय, गुवाहाटी द्वारा तीन महिला सदस्यों वाली एक फ्रंटियर शिकायत समिति का गठन किया गया था।सीमा शिकायत समिति ने जांच पूरी होने पर, गुवाहाटी के आई. जी. के माध्यम से सीमा मुख्यालय एस. एस. बी., नई दिल्ली को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से स्थापित या साबित नहीं कहा जा सकता है।समिति ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने दो साल से अधिक की देरी के बाद अपनी पहली शिकायत दर्ज कराई थी और अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में भी विफल रही थी।सीमा शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“7) पूछताछ प्राधिकरण का पता लगानाः- जांच समिति की बैठक हुई

एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी में 25.01.2012 पर मामले के तथ्य का पता लगाने के लिए।समिति ने शिकायतकर्ता, अभियुक्त अधिकारियों और अभियोजन/बचाव पक्ष के गवाहों के बयानों को देखा है, लेकिन शिकायत में उठाए गए बिंदु को पूरी तरह से स्थापित/साबित नहीं किया जा सका है।अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों द्वारा दिया गया बयान शिकायत को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।उसने दो साल से अधिक के अंतराल के बाद शिकायत दर्ज कराई है।शिकायतकर्ता अभियुक्त अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहा।

ए**. 3** केंद्रीय शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट

6. जबकि सीमा शिकायत समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.01.2012 विचार के लिए लंबित थी, गृह मंत्रालय ने शिकायतकर्ता के यौन उत्पीड़न के आरोपों की उचित जांच करने के लिए केंद्रीय शिकायत समिति होने के नाते 06.08.2012 पर एक और जांच समिति का गठन किया।

7. प्रथम दृष्टया, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि 2006 के स्थायी आदेश के खंड 9 को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिकायत समिति का गठन किया जाना था। 2006 के स्थायी आदेश के खंड 9 में दो स्तरों की शिकायत समिति की परिकल्पना की गई है; (i) "लड़ाकू और गैर-कानूनी अधिकारियों" के लिए एक सीमांत शिकायत समिति (ii) "गैर-

लड़ाकू अधिकारियों" के लिए एक केंद्रीय शिकायत समिति।शिकायत दर्ज करने के समय, प्रतिवादी एक गैर-लड़ाकू अधिकारी यानी क्षेत्र आयोजक के रूप में कार्य कर रहा था।इस कारण से केंद्रीय शिकायत समिति के गठन का निर्णय लेना पड़ा।

8. आई. डी. 1 पर, शिकायतकर्ता ने फैक्स के माध्यम से अक्टूबर 2011 में प्रतिवादी के खिलाफ की गई अनाम शिकायतों सहित कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ प्रतिवादी के खिलाफ अतिरिक्त आरोपों (इसके बाद "दूसरी शिकायत" के रूप में संदर्भित) वाली दूसरी शिकायत प्रस्तुत की।

9. तदनुसार, केंद्रीय शिकायत समिति ने जांच शुरू की, और 27.09.2012 पर आयोजित प्रारंभिक सुनवाई में, उसने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिकायत को आरोप पत्र के रूप में मानने का फैसला किया कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं बनाए गए थे।प्रतिवादी को दिनांकित 30.08.2011 की पहली शिकायत की मूल प्रति सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान किए गए थे।सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्राप्ति के संबंध में प्रतिवादी के साथ बातचीत करने के बाद, केंद्रीय शिकायत समिति ने प्रतिवादी से पूछताछ की कि क्या उसने आरोपों के लिए दोषी ठहराया है या नहीं।प्रत्यर्थी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया।केंद्रीय शिकायत समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

" VI. जिन प्रभारों को स्वीकार किया गया/गिराया गया/प्रस्तुत नहीं किया गयाः

अभियुक्त अधिकारी श्री दिलीप पॉल ने श्रीमती द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया। एक्स, एफ. ए. (लेडी) ने उसके खिलाफ 30.08.2011 की शिकायत दर्ज की।"

10. केंद्रीय शिकायत समिति ने अपनी जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी 20 गवाहों की जांच की। 5 गवाह जिनसे पहले सीमा स्तरीय शिकायत समिति द्वारा पूछताछ की गई थी) और प्रतिवादी की ओर से 6 गवाह (जिसमें शामिल हैं)।1 गवाह से पहले पूछताछ की गई

सीमा स्तर की शिकायत समिति द्वारा)।बाद में, केंद्रीय शिकायत समिति ने अपने द्वारा जांच किए जाने वाले आरोपों को 10 अलग-अलग बिंदुओं में वर्णित किया।समिति द्वारा तय किए गए निर्णय के बिंदु इस प्रकार हैंः-

"VII. वास्तविक रूप से प्रविष्ट किए जाने वाले शुल्क और निर्दिष्ट किए जाने वाले बिंदु

शिकायत समिति इस बात से अवगत है कि इस शिकायत के पहलुओं को उस प्राथमिकी में शामिल किया गया है जो श्री दिलीप पॉल ने पी. एस. रंगिया में पी. एस. रंगिया द्वारा उनके

मोबाइल फोन पर भेजे गए कथित रूप से धमकी भरे संदेश के मामले में दर्ज कराई थी। एक्स के पति।श्रीमती के नेतृत्व में काउंटर-केस फाई में। एक्स के पति, यौन उत्पीड़न के इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।समिति ने एस. पी. कामरूप से पता लगाया है कि दोनों मामलों की जांच अभी भी लंबित है।फिर भी, सी. सी. एस., सी. सी. ए. नियम 14 (3) में जो कहा गया है, उसके अनुसार, जिसमें कहा गया है कि अदालत में अभियोजन की कार्रवाई और विभागीय कार्यवाही एक साथ चल सकती है।सी. सी. एस. सी. सी. ए. नियमों में इस तथ्य की आवश्यकता है कि आपराधिक और अनुशासनात्मक कार्यवाही में दृष्टिकोण और उद्देश्य पूरी तरह से अलग और अलग हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसा कि इस अधिनियम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों द्वारा निर्धारित किया गया है।तदनुसार, समिति जांच के साथ आगे बढ़ने और अपने निर्णय प्रस्तुत करने का निर्णय लेती है।श्रीमती. एक्स ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2009 में एरिया ऑफ़िस सीई, रंगिया में शामिल होने के कुछ महीनों बाद, श्री दिलीप पॉल, तत्कालीन ए. ओ. रंगिया ने उसके साथ अवांछित यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया, और जब उसने उसकी प्रगति और उसके यौन रूप से निर्धारित दुराचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उसने उससे सभी काम वापस ले लिए।उन्होंने अपनी शिकायत के सार के रूप में निम्नलिखित घटनाओं का हवाला दिया है।

प्वाइंट 1:कि श्री दिलीप पॉल काम से संबंधित घटनाओं के साथ अपने कमरे में बुलाने के बहाने यौन रूप से बोझिल और व्यक्तिगत प्रकृति की टिप्पणियां करेंगे, जैसे कि उसके व्यक्तिगत रूप और उसके रूप के बारे में टिप्पणी, कि वह उसके जैसी मणिपुरी लड़की से कैसे शादी करना चाहते थे।वह कई बार अपने यौन कौशल और उन महिलाओं को संतुष्ट करने की क्षमताओं के बारे में भी घमंड करता था जो अपने पतियों से नाखुश थीं।वह ऐसी टिप्पणियां भी करते थे जिनका दोहरा अर्थ (यौन प्रकृति का) होता था।ऐसे अवसरों पर, वह उसे अपने कार्यालय में अत्यधिक लंबे समय तक हिरासत में रखता था।यह आरोप, यदि प्रमाणित हो जाता है, तो यौन उत्पीड़न की विशाखा अवज्ञा के तहत स्वीकार्य है क्योंकि यह 489 है।

इसमें यौन रंग की टिप्पणियां और यौन प्रकृति के अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं।इसके अलावा, यह भेदभावपूर्ण भी दिखाया जा सकता है यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती. एक्स का मानना था कि श्री दिलीप पॉल के आचरण पर उनकी आपत्ति उन्हें उनके रोजगार और उनकी आशंका के संबंध में नुकसान पहुंचाएगी कि इससे एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण पैदा होगा।

बिंदु 2:कि श्री दिलीप पॉल कार्यस्थल पर उन्हें घूरते थे, जैसे कि बार-बार होने वाली घटनाएं जिसमें वह पीने के पानी के बहाने अपने कार्यालय से उस कमरे में आते थे जहाँ वह बैठी थीं।यह आरोप, यदि प्रमाणित किया जाता है, तो यौन उत्पीड़न की विशाखा अवज्ञा के तहत स्वीकार्य है क्योंकि इसमें यौन रंग की टिप्पणियां और यौन प्रकृति के अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं।प्वाइंट 3:कि श्री दिलीप पॉल कार्यस्थल पर अवांछित यौन दृढ़

तरीके से उसे छूने का प्रयास करेंगे, जैसे कि एक घटना जब, उसे लैपटॉप चलाना सिखाने के बहाने, वह उसके करीब आता है और उसके कंधे और शरीर को छूता है।यह आरोप, यदि प्रमाणित किया जाता है, तो यौन उत्पीड़न की विशाखा अवज्ञा के तहत स्वीकार्य है क्योंकि इसमें शारीरिक संपर्क और प्रगति और यौन प्रकृति के अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण शामिल हैं।इसके अलावा, यह भेदभावपूर्ण भी दिखाया जा सकता है यदि यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती. एक्स का मानना था कि श्री दिलीप पॉल के आचरण पर उनकी आपत्ति उन्हें उनके रोजगार के संबंध में नुकसान पहुंचाएगी और उनकी आशंका है कि अगर इससे प्रतिकूल कार्य वातावरण पैदा होगा।प्वाइंट 4:श्री दिलीप पॉल अक्सर अपना काम आधिकारिक घंटों से कहीं अधिक करते थे, अक्सर 2000 घंटों के बाद।इसके बाद वह अपने वाहन से उसके घर आने के लिए निकल जाता था।सामान्य तौर पर, श्री दिलीप पॉल उस पर दबाव डालते थे कि वह अपने वाहन में उनके साथ चले, या तो जब वह काम से लौट रही होती या शहर में।

प्वाइंट 5:कि श्री दिलीप पॉल, इस अवसर पर श्रीमती. एक्स ने अन्य ऑफि सीई सहयोगियों के साथ मार्च 2010 में दक्षिण भारत के अध्ययन दौरे के लिए ट्रेन टिकट बुक करने के लिए रेलवे स्टेशन तक उसका साथ दिया था, पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उसके साथ एक अवांछित यौन संबंध बनाया।जब वह टिकट बुकिंग काउंटर पर कतार में खड़ी थीं, श्री दिलीप पॉल उनके बगल में खड़े हुए और उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें अपने शरीर के करीब गले लगाने की कोशिश की।श्री दिलीप पॉल ने उनसे कहा कि वे

उसे "मन को तरोताजा" करने के लिए अध्ययन दौरे पर भेज रहा है ताकि वह अपने पिछले जीवन को भूल सके और जब वह लौटी, तो श्रीमती पॉल के रूप में एक नया जीवन शुरू करें।

प्वाइंट 6:जब श्री दिलीप पॉल अध्ययन यात्रा के लिए रवाना होने वाले समूह को विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आए थे तो उन्होंने जो बयान दिए थे, श्री दिलीप पॉल ने उन्हें और अधिक अवांछित यौन निर्धारित आचरण के अधीन कर दिया।ट्रेन में सामान लादे जाने के बाद, श्री दिलीप पॉल ट्रेन के डिब्बे में आए और श्रीमती से कहा। एक्स "तुम जा रहे हो तो मारी जान जा रही है।हम का साथ जाना ही अच्छा होता है।कोई बात नहीं, तुम अध्ययन यात्रा से वापस आ जाओ, तुम श्रीमती पॉल बानो को।" प्वाइंट 7:कि श्री दिलीप पॉल ने कार्यस्थल के बाहर भी उसके साथ अवांछित यौन संबंध बनाए, जहाँ कई मौकों पर, उसने उसे अपने पति को छोड़ने और इस आश्वासन पर उससे शादी करने के लिए कहा कि वह उसके बच्चों को अपने रूप में गोद लेगा।जुलाई 2009 से, श्री दिलीप पॉल ने बिन बुलाए उनसे मिलने की आदत बना ली और वह भविष्य में भेदभाव के डर से अपने पदानुक्रमित रूप से बेहतर कार्यालय में प्रवेश से इनकार करने में असमर्थ महसूस करती थीं।ये यात्राएं देर रात भी होती थीं।इस संबंध में शिकायत में कई

घटनाओं का हवाला दिया गया है।ए। कि श्री दिलीप पॉल उन्हें अक्सर रात में अवांछित फोन कॉल करते थे और उनसे लंबे समय तक, कभी-कभी आधे घंटे तक बात करने पर जोर देते थे। फोन कॉल आमतौर पर 19 के बीच किए जाते थेः00 और 20:00 घंटों, लेकिन कभी-कभी, उन्हें सुबह साढ़े चार बजे श्री दिलीप पॉल के फोन भी आते थे। इन कॉल के सार में ज्यादातर यौन प्रकृति की अवांछित टिप्पणियां शामिल थीं, जिसका उद्देश्य उसे उसकी अवांछित यौन प्रगति के अधीन करना था।

बी। एक अवसर पर श्री दिलीप पॉल श्रीमती के पास आए। एक्स सुबह लगभग 4:45 बजे घर आया और जोर देकर कहा कि वह उसके साथ सुबह की सैर के लिए बाहर आए।इस डर से कि अगर वह मना कर देती है, तो वह उस समय उसके घर में आने पर जोर देगा, वह थोड़ी दूरी तक उसके साथ रही।ग. वह, श्रीमती की एक बिन बुलाए यात्रा पर। एक्स के घर, श्री दिलीप पॉल शराब की एक बोतल लेकर आए और उन पर शराब पीने में शामिल होने का दबाव बनाने की कोशिश की।जब उसने रसोई में जाकर उससे दूर भागने की कोशिश की, तो श्री डी. पॉल ने उसका पीछा किया और खुद को 491 पर मजबूर करने की कोशिश की।

उसे गले लगाकर।वह किसी तरह खुद को बाहर निकालने में कामयाब रही और घर से बाहर भाग गई, और श्री डी. पॉल के घर छोड़ने तक वहीं रही।

घ. श्रीमती से उनकी बिन बुलाए मुलाकातों पर। एक्स के घर, श्री दिलीप पॉल ने अपनी बेटी में एक अप्राकृतिक और अस्वस्थ रुचि दिखाई।वह बच्चे को बुलाता और उसे अपने पास खींचता और फिर उसे बहुत 'गंदे' तरीके से पकड़ने की कोशिश करता।जिस अवसर पर ऐसा हुआ, उन्होंने बच्चे को केवल तभी जाने दिया जब श्रीमती। एक्स ने बच्चे को मणिपुरी में बुलाया।ई. कि जब श्री दिलीप पॉल अप्रैल 2010 में एक शाम उनके अध्ययन यात्रा से दक्षिण भारत लौटने के तुरंत बाद उनके घर आए, तो उन्होंने अपने बयान से उनके साथ अवांछित यौन संबंध बनाए कि वे कुछ दिनों में एक हो जाएंगे और उन्हें विरोध करना बंद कर देना चाहिए।उसने उसे जबरन गले लगाने की भी कोशिश की, लेकिन उसने खुद को बाहर निकाला और उस कमरे में भाग गई जिसमें उसके बच्चे सो रहे थे।च. कि श्री दिलीप पॉल ने नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के संबंध में नागरीजुली की एक आधिकारिक यात्रा के दौरान उसे अपने बगल में बैठा दिया और उसका हाथ पकड़ने और उसे छूने की कोशिश की, यह सब व्यवहार यौन रूप से निर्धारित, अवांछित और अपमानजनक था।श्रीमती. एक्स ने यह भी कहा कि इन कृत्यों की कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, क्योंकि केवल वह और श्री दिलीप पॉल कार की बीच की सीट पर बैठे थे।प्वाइंट 8:श्री दिलीप पॉल को जब पता चला कि उन्होंने दूसरे क्षेत्र के डी. आई. जी. श्री एस. सी. कटोच से उनके दुर्व्यवहार की शिकायत की है, तो श्री दिलीप पॉल ने अपनी अवांछित यौन प्रगति को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।श्रीमती. घटना की सूचना प्वाइंट 10 में दिए जाने के बाद एक्स ने श्री एस. सी. कटोच को फोन किया था और उन्हें वह सब बताया था जो हो रहा था।उन्होंने कहा कि श्री कटोच ने उन्हें बाद में एक फोन कॉल में

सूचित किया कि उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने श्री दिलीप पॉल को मौखिक रूप से फटकार लगाई है।हालाँकि, घटना के कुछ दिनों बाद, श्री दिलीप पॉल ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने श्री कटोच से उनके खिलाफ शिकायत की थी।श्रीमती. एक्स ने उसे बताया कि उसने वास्तव में ऐसा किया था, और उसे डराने के लिए, उसे बताया कि उसने एक लिखित शिकायत की थी।उस दिन से श्री दिलीप पॉल ने उन्हें सौंपे गए सभी काम को वापस ले लिया और इसे दूसरे कर्मचारी को सौंप दिया।इसके बाद, और अगले तीन महीनों के लिए, श्रीमती. एक्स को कार्यालय में खाली बैठा दिया गया था।

प्वाइंट 9:अगस्त 2010 के अंत में, श्रीमती. एक्स ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की एक लिखित शिकायत के साथ आई. जी. एस. के. सिंघल से संपर्क किया, जिसमें गुवाहाटी मुख्यालय में उनके स्थानांतरण के लिए एक आवेदन भी था।श्री सिंघल ने उन्हें कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न की दो शिकायतों को स्थानांतरण अनुरोध से अलग करने के लिए कहा और 1 सितंबर 2011 को उन्हें एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया।हालाँकि, स्थानांतरण आदेश में टी. ए./डी. ए. के भुगतान के लिए निर्देश नहीं थे और इसमें उन्हें शामिल होने का कोई समय नहीं दिया गया था।

बिंदु 10:श्रीमती. एक्स ने यह भी शिकायत की है कि नवंबर 2011 में यौन उत्पीड़न की उसकी शिकायत की अब रद्द की गई जांच ने उसे अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने और आरोपी के पिछले इतिहास से संबंधित अतिरिक्त गवाह पेश करने के लिए पर्याप्त समय या अवसर प्रदान नहीं किया।उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें श्री पॉल से जिरह करने का अधिकार या उनके कथित झूठे बयानों का खंडन करने का मौका नहीं दिया गया था।इसके बाद रद्द की गई जांच पूरी होने के बाद उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति भी नहीं दी गई।अपने बयान के साथ-साथ शिकायत समिति को दी गई लिखित दलीलों में, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस तथ्य का उचित संज्ञान लिया जाए कि एसएसबी की एक महिला कर्मचारी के रूप में, वह पूरी तरह से इस बात से अनजान थी कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत समिति तंत्र मौजूद था, और एक शिकायतकर्ता के रूप में, उन्हें अपने स्वयं के स्थानांतरण या प्रतिवादी के स्थानांतरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने का अधिकार था।उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या 11 सितंबर 2012 को श्री दिलीप पॉल की डी. आई. जी. के पद पर पदोन्नति तब कायम रखी जा सकती है जब उनके खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत लंबित थी।"

11. जबकि केंद्रीय शिकायत समिति की जांच अभी भी लंबित थी, गृह मंत्रालय यानी सक्षम प्राधिकरण ने अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से सीमा स्तर की शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उक्त सीमा स्तर की शिकायत समिति के अध्यक्ष प्रतिवादी के बराबर रैंक के थे और यह वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था, विशेष रूप से 2006

के स्थायी आदेश संख्या 1 (शिकायत निवारण तंत्रः महिलाओं की शिकायतों का निवारण/कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न) (संक्षेप में, "2006 का स्थायी आदेश")।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 494

493

12. 2006 के स्थायी आदेश के खंड 9 (1) में आदेश दिया गया है कि जांच समिति के अध्यक्ष को अपराधी/आरोपित अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए और यह निम्नानुसार हैः-

“9. शिकायत समितियाँ

1. समिति का अध्यक्ष उस अधिकारी/अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है।

XXX

XXX

XXX

“टीओः I) एस. ओ. (ए. डी. एम. एन.), एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी II) डॉ.-के. एस. देवी, अध्यक्ष, शिकायत समिति, एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी

एफएमःएडी (पी. ई. आर. एस.-एम.), एफ. एच. क्यू. नई दिल्ली

आर. ई. एफ. एफ. टी. आर., मुख्यालय गुवाहाटी पत्र NO.GF-II/VC-VIG ओ. 8 (पी. ए. आर. टी.)/3270 दिनांकित 17.02.2012 आर. ई. जी. एस. एम. टी. द्वारा की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 17.01.2012 पर शिकायत समिति के अध्यक्ष डॉ. के. एस. देवी द्वारा पूछताछ की प्रस्तुति। एक्स, एफ. ए. (लेडी) एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी श्री के खिलाफ D.PAUL, ए. ओ. रंगिया अब डी. आई. जी., एफ. टी. आर. मुख्यालय सिलिगुड़ी (.) यह माना जाता है कि यौन उत्पीड़न पर एसओपी के अनुसार पूछताछ की अध्यक्षता सरकार के ऊपर एक रैंक होगी। कर्मचारी जिसके खिलाफ उसकी शिकायत बनाई गई है (।) इन द सेड इन्क्वायरी द चेयरपर्सन एंड एसएच। D.PAUL जिनके खिलाफ शिकायत/पूछताछ एक ही स्थिति में की गई थी और इस बीच श्री दिलीप पॉल को भी डी. आई. जी. (। श्री D.PAUL के खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच रिपोर्ट की तारीख 27.01.2012 के अनुसार, अब तीसरा ए. ओ. डी. आई. जी. जिसे बोर्ड द्वारा कम स्थिति वाले अध्यक्ष के तहत नियंत्रित किया गया था, जैसा कि स्थायी निर्देशों में निर्धारित किया गया है, जिसे बोर्ड () के साथ प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण द्वारा रद्द किया जाता है। एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी को सभी अनुरूप जानकारी की आवश्यकता है (।)

नहीं। 20/एसएसबी। पी-III/2011 (4)-11606

डेटेड। 30.11.2012

एस. डी./- 30/11/2012 सहायक निदेशक (पी. ई. आर. एस.-एम 1) "

13. केंद्रीय शिकायत समिति ने आई. डी. 1 पर अपनी जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी, जिसमें उपरोक्त 10 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, प्रतिवादी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित माना गया।समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट का समापन कियाः-

"XI. सिफारिशें

शिकायत समिति ने पाया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप अच्छी तरह से साबित हुए हैं।इसके अलावा आरोपित अधिकारी के बचाव बयान का अवलोकन, जिसमें श्री दिलीप पॉल शिकायतकर्ता को बदनाम करने और उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, केवल महिलाओं के प्रति उनके सम्मान के बारे में बहुत कुछ बताता है।अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, शिकायत समिति निम्नलिखित सिफारिशें करती हैः

1. कि श्री दिलीप पॉल को श्रीमती का निरंतर यौन उत्पीड़न करने के लिए अनुकरणीय सजा दी जाए। एक्स सेवा से बर्खास्तगी के रूप में, और उसे डी. आई. जी. के पद से पदोन्नत किया जाएगा और उसे पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा।

2. वह श्रीमती। X को उस टी. ए./डी. ए. के लिए प्रतिपूर्ति की जाए जिसे उसे एफ. टी. आर. मुख्यालय गुवाहाटी में स्थानांतरण में अस्वीकार कर दिया गया था।

3. वह श्रीमती। X को शिकायत समिति की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाए।

4. कि एसएसबी महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की प्रकृति और महिला कर्मचारियों के रूप में उनके अधिकारों के साथ-साथ उक्त आदेश द्वारा विस्तृत प्रक्रियाओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करके अपने स्थायी आदेश (आईडी1) को युद्ध स्तर पर लागू करे।एसएसबी द्वारा स्थापित शिकायत समितियों के सदस्यों को ऐसी बैठकों के लिए नियमित रूप से एसएसबी के विभिन्न प्रभागों और क्षेत्र कार्यालयों का दौरा करना चाहिए।

5. इसके अलावा, एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि उन्हें स्थायी आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।"

14. 16.01.2013 पर।प्रत्यर्थी को केंद्रीय शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट प्रदान की गई थी और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा उसे अपना जवाब/लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने 30.01.2013 पर प्रस्तुत किया था।प्रत्यर्थी के लिखित अभ्यावेदन के साथ जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा संबंधित नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को भेजी गई थी, जिसका उद्देश्य प्रस्तावित जुर्माने पर सलाह लेना था।

15. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित जुर्माना लगाने वाला आदेश इस प्रकार हैः

"भारत सरकार गृह मंत्रालय निदेशक सामान्य, एसएसबी ईस्ट ब्लॉक-V, आर. के. पुरम नई दिल्ली-110066

तिथि 05.01.2016 आदेश संख्या 14/SSB/PERS-I/2013 (1) 69-79

जबकि, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत श्रीमती द्वारा की गई थी। एक्स, एफ. ए. (लेडी) ने श्री दिलीप पॉल, एरिया ऑर्गेनाइज़र, जो डी. आई. जी. के रूप में 31.03.2013 पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, के खिलाफ दिनांक 30.08.2011 की अपनी शिकायत का वीडियो बनाया।

और जबकि, गृह मंत्रालय अपने यू. ओ. No.20/SSB/Pers के माध्यम से समूह 'ए' अधिकारियों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकरण है।III/11 (4)/पर्स।III दिनांक 06.08.2012 ने श्रीमती को नियुक्त किया था। बी. राधिका, संयुक्त निदेशक, सी. सी. टी. एन. एस.-II, एन. सी. आर. बी., नई दिल्ली श्री दिलीप पॉल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की उक्त शिकायत की जांच के लिए शिकायत समिति के अध्यक्ष के रूप में।

और जबकि, शिकायत समिति के अध्यक्ष ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दिनांक 30.08.2011 को सौंप दी थी

नई दिल्ली में 26.09.2012 पर आयोजित जांच की पहली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा श्री दिलीप पॉल, DIG को प्रस्तुत किया गया।

डी. आई. जी. श्री दिलीप पॉल ने शिकायतकर्ता द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया था।

और हालाँकि, शिकायतकर्ता ने उक्त श्री दिलीप पॉल, एरिया ऑर्गेनाइज़र (अब सेवानिवृत्त डी. आई. जी.) के खिलाफ यौन उत्पीड़न के विभिन्न आरोप लगाए थे, जिनका सारांश यहाँ नीचे दिया गया है -

(क) कि उक्त श्री दिलीप पॉल ने उसे चतुराई से चिढ़ाना शुरू कर दिया।उन्होंने रात में अनौपचारिक और बहु-अर्थ वाले शब्दों का उपयोग करके फोन करना शुरू कर दिया।कभी-कभी, वह उसके आवास पर जाता, जब वह अकेली होती।इसके अलावा, वह उसे अपनी आधिकारिक क्षमता में अपने कमरे में बुलाता और उसे घंटों तक बैठा देता।कि उक्त श्री पॉल किसी न किसी बहाने से उसके शरीर से व्यक्तिगत संपर्क करते थे।

(ख) वह बार-बार शिकायतकर्ता से कहता था कि अगर वह यौन गतिविधियों में सहयोग करके उसे संतुष्ट रखती है, तो वह हर कोने से सुरक्षित रहेगी।

(ग) कि एक घटना में, जब वह उसके आवास पर गया था, तो वह रसोई में घुस गया था और उसे गले लगा लिया था।

(घ) कि उसने बार-बार उसे शादी का प्रस्ताव दिया।

(ङ) कि उक्त श्री पॉल ने कई बार उनकी शील भंग करने की कोशिश की थी।

(च) कि उन्होंने ऑफ़िसर के खिलाफ तत्कालीन डी. आई. जी. श्री एस. सी. कटोच से शिकायत की थी, जिन्होंने ऑफ़िसर को ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी।

(छ) कार्यवाही के दौरान, कुछ अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए थे।

इन आरोपों पर शिकायत समिति ने अभियुक्त की उपस्थिति में सभी संबंधित गवाहों से पूछताछ की।अभियुक्त को बचाव के सभी अवसर दिए गए।

और जहाँ, श्रीमती। बी. राधिका, संयुक्त निदेशक, सी. सी. टी. एन. एस.-II, एन. सी. आर. बी., नई दिल्ली, शिकायत समिति के अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण यानी 497 मंत्रालय को दिनांकित आई. डी. 1 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

होम अफ एयर।द इन्क्वायरी ऑफ़िसर ने अपनी जाँच में आरोपित ऑफ़िसर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को साबित कर दिया है।

और जहाँ तक डी. ओ. पी. एंड टी. ओ. एम. संख्या 11013/2009-ए. एस. टी. टी. के संदर्भ में है।(ए) दिनांक 03.08.2009, शिकायत समिति की रिपोर्ट को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के तहत जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाना है और अनुशासनात्मक प्राधिकरण को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम 1965 के नियम 14 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी है।

और जबकि, इसकी स्वीकृति के बाद जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त अधिकारी, श्री दिलीप पॉल, डी. आई. जी. को ज्ञापन No.14/SSB/Pers-1/2013 (1)/437-39 दिनांक 16.01.2013 के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दी गई थी।अभियुक्त अधिकारी ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए दिनांकित 30.01.2013 पत्र के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया था।और जबकि, जाँच रिपोर्ट पर अभियुक्त अधिकारी के प्रतिनिधित्व की जाँच और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया था, जिसके बाद अभियुक्त अधिकारी पर लगाए जाने वाले दंड की मात्रा के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह पत्र No.14/SSB/Per.I/2013 (1)/पर्स-III दिनांक 26.04.2013 द्वारा मांगी गई थी।

और जबकि, संघ लोक सेवा आयोग ने अपने दिनांकित पत्र 22.08.2013 के माध्यम से स्थायी आधार पर मासिक पेंशन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) को रोकने का जुर्माना लगाने की सलाह दी है।ग्रेच्युटी राशि, यदि अन्यथा आवश्यक नहीं है, तो उसे जारी की जा सकती है। और जबकि, प्रभारी अधिकारी श्री दिलीप पॉल, पूर्व-डी. आई. जी. ने गुवाहाटी की माननीय सी. ए. टी. पीठ के समक्ष ओ. ए. नं. <आई. डी. 2 का नेतृत्व किया था, जिसमें केंद्रीय शिकायत समिति के गठन और इसकी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2012 के तहत चुनौती दी गई थी।माननीय सी. ए. टी. गुवाहाटी ने अपने दिनांक 28.06.2013 के अंतरिम फैसले के माध्यम से केंद्रीय शिकायत समिति की दिनांक 28.12.2012 की जांच रिपोर्ट के संचालन पर एस. टी. ए. वाई. लगाया था।उक्त ओ. ए. को माननीय सी. ए. टी., गुवाहाटी द्वारा अपने दिनांक 03.07.2015 के फैसले के माध्यम से निपटाया गया था, जिसमें आदेश प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

माननीय सी. ए. टी. द्वारा मामले के निपटारे और माननीय न्यायालय के अंतरिम निर्देशों को समाप्त करने के बाद, यू. पी. एस. सी. की दिनांकित 22.08.2013 की सलाह की एक प्रति अभियुक्त कार्यालय को ज्ञापन के माध्यम से दी गई।

No.14/SSB/Pers-1/2013 (1)/9923-24 दिनांकित 04.08.2015, जिसे प्रभारित कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।अभियुक्त अधिकारी ने अपने दिनांकित 25.08.2015 पत्र के माध्यम से यूपीएससी की सलाह के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकरण होने के नाते गृह मंत्रालय द्वारा सभी प्रासंगिक मुद्दों की तदनुसार जांच की गई है।आरोपित अधिकारी द्वारा उत्तेजित मुद्दों को अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा योग्यता से रहित पाया गया।तदनुसार, कार्यस्थल पर एक महिला के यौन उत्पीड़न के आरोप को जे. टी. की अध्यक्षता वाली एक समिति ने संदेह से परे साबित कर दिया है। निदेशक, एन. सी. आर. बी., जिसे अनुशासन प्राधिकरण द्वारा बरकरार रखा गया है।

अब, इसलिए, जांच रिपोर्ट, यूपीएससी की सलाह, अभियुक्त कार्यालय को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और मामले के अन्य संबंधित रिकॉर्ड पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत के राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि "स्थायी आधार पर मासिक पेंशन के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) को रोकने" का जुर्माना आरोपित कार्यालय श्री दिलीप पॉल, तत्कालीन क्षेत्र आयोजक, अब पूर्व-डी. आई. जी., एसएसबी. पर लगाया जाता है, तो न्याय किया जाएगा।

तदनुसार, उपरोक्त जुर्माना पूर्व डी. आई. जी. श्री दिलीप पॉल पर लगाया जाता है, जो 31.03.2013 पर सेवानिवृत्त हुए थे।ग्रेच्युटी राशि, यदि अन्यथा आवश्यक नहीं है, तो उसे जारी की जा सकती है।

(आदेश द्वारा और राष्ट्रपति के नाम पर)

एसडी/-

(वंदान सक्सेना)

सहायक निदेशक (प्रति एस-आई) "

16. ऐसा प्रतीत होता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी को 31.03.2013 पर डिप्टी के रूप में सेवानिवृत्त कर दिया गया। आई. जी., फ्रंटियर हेडक्वार्टर, एस. एस. बी., रानीडांगा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन, उन्हें सेवानिवृत्ति उपदान के बिना अस्थायी पेंशन प्रदान की गई थी।

ए**. 4** प्रत्यर्थी का बचाव

17. यह प्रतिवादी का मामला है कि शिकायतकर्ता ने अगस्त, 2011 में रंगिया 499 से उसे स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

सीमा मुख्यालय गुवाहाटी के लिए कार्यालय।स्थानांतरण का अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि शिकायतकर्ता को अपनी बीमार सास की देखभाल करने की आवश्यकता है।हालाँकि, उनके आवेदन को आई. जी., फ्रंटियर मुख्यालय द्वारा 24.08.2011 पर संबंधित रिक्त पद की अनुपलब्धता के आधार पर खारिज कर दिया गया था।यह प्रतिवादी का मामला है कि अगले ही दिन, उसे अपने मोबाइल फोन पर एक संदेश मिला जिसमें लिखा थाः "मैं उनमें से एक का पति हूँ।

आपकी महिला कर्मचारीगण, प्रतीक्षा करें और अपने करियर का अंत देखें।”

18. प्रत्यर्थी के अनुसार संदेश शिकायतकर्ता के पति द्वारा अग्रेषित किया गया था क्योंकि उसे इस गलत धारणा पर घृणा थी कि यह प्रत्यर्थी ही था जिसने उसके स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

19. प्रत्यर्थी का यह भी मामला है कि उसने एक टेलीफोनिक संदेश के माध्यम से उसे दी गई धमकियों के संबंध में 2011 का मामला संख्या 328 होने के नाते रंगिया पुलिस स्टेशन में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

ए**. 5** कैट के समक्ष कार्यवाही

20. प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी (सी. ए. टी.) के समक्ष 2013 की ओ. ए. संख्या 181 को प्राथमिकता देते हुए कहा कि (i) केंद्रीय शिकायत समिति का गठन दिनांक 06.08.2012 (फैक्स दिनांक 03.09.2012 के माध्यम से प्राप्त), (ii) सीमा शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट को रद्द करना दिनांक 30.11.2011 (सीमा, मुख्यालय, एस. एस. बी., गुवाहाटी के ज्ञापन दिनांक 10.12.2012 के माध्यम से प्राप्त) और (iii) केंद्रीय शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 28.12.2012।उत्तरदाता द्वारा शीर्षक ओ. ए. में जिन राहतों के लिए प्रार्थना की गई थी, उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“8. राहत **(**ओं**)** के लिए मांगी गईः

माननीय न्यायाधिकरण प्रसन्न हो।(i) दिनांकित एफ. ए. एक्स. संदेश (अनुलग्नक-11) और अध्यक्ष श्रीमती के अधीन केंद्रीय कानूनी शिकायत समिति का गठन। एस. राधिका, आई. पी. एस. वहाँ के तहत;

(ii) दिनांकित ज्ञापन (अनुलग्नक-16) और इसके तहत सीमा स्तर की शिकायत समिति की जांच रिपोर्ट को रद्द करना, और

(iii) 28.12.2012 दिनांकित पूछताछ रिपोर्ट।(केंद्रीय शिकायत समिति का अनुबंध-17)।”

21. कैट, गुवाहाटी ने अपने अंतिम निर्णय और दिनांक आई. डी. 1 के आदेश के माध्यम से 2013 के उक्त ओ. ए. संख्या 181 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 2006 के स्थायी आदेश के अनुसार सीमा शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया था, और चूंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही अभी भी लंबित थी, इसलिए उसने केंद्रीय शिकायत समिति की जांच (उसमें अनुशंसित दंड के मुद्दे पर कुछ आपत्तियां व्यक्त करने के अलावा) के संबंध में कोई राय व्यक्त करने से परहेज किया और निर्देश दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही 4 महीने के भीतर पूरी की जाए।प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

“61. निर्विवाद रूप से, सीमांत स्तर की शिकायत समिति का अध्यक्ष आवेदक से जूनियर रैंक का था, क्योंकि आवेदक को 22.12.2005 पर क्षेत्र आयोजक के पद पर पदोन्नति मिली थी, जबकि अध्यक्ष को शिकायतकर्ता के पद पर पदोन्नत किया गया था, जो विभाग की स्थायी संचालन प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित नहीं है।यह तथ्य कि उक्त समिति का अध्यक्ष आवेदक से कनिष्ठ था, उत्तरदाताओं के लिए अज्ञात नहीं था और उत्तरदाताओं ने जानबूझकर आवेदक के कनिष्ठ अध्यक्ष के साथ सीमांत स्तर की शिकायत समिति का गठन किया और इसलिए एफएलसीसी की रिपोर्ट को रद्द करने का कोई वैध कारण नहीं था।

62. हम यह व्यक्त करके उक्त निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यदि अनजाने में या दुर्भाग्य से भी कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता अर्जित की गई है तो जब हम मामले के उचित निर्णय में जाते हैं तो इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है।केंद्रीय शिकायत समिति ने आवेदक और अन्य लोगों को उचित जांच के साथ-साथ गवाह के साथ प्रतिपरीक्षा का अवसर देकर गहन जांच में जाकर राय दी।

XXX

XXX

XXX

64. हमने मामले के पूरे पहलू को ध्यान में रखते हुए इस मामले में अपना विचारशील विचार दिया है, इस निष्कर्ष पर कि केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार और दिशानिर्देशों के संदर्भ में विचार किया गया है, जिसका विभाग द्वारा पहले के अवलोकन का ध्यान रखते हुए विधिवत पालन किया गया है।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 502

हमारा यह विचार देते हुए कि सीमा स्तर की स्थायी समिति के निर्णय एस. ओ. पी. के अनुसार नहीं थे जैसा कि पहले ही दिया जा चुका है।हम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखा रहे हैं और उस संदर्भ में, हम कोई जानकारी या कोई राय नहीं दे रहे हैं।

XXX

XXX

XXX

66. हालांकि, उत्तरदाताओं को आदेश प्राप्त होने की तारीख से चार महीने के भीतर विभागीय कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।...”

ए**. 6** उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

22. उपरोक्त से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 7876 के रूप में रिट याचिका को प्राथमिकता दी, जिसमें कैट, गुवाहाटी द्वारा पारित निर्णय और दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी गई थी।23. उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, गृह मंत्रालय ने ऊपर निर्दिष्ट अपने आदेश दिनांक 1 के माध्यम से कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप विधिवत साबित हुए और प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व और यूपीएससी की सलाह पर उचित विचार करने के बाद स्थायी आधार पर मासिक पेंशन का 50 प्रतिशत रोकने का जुर्माना लगाया।

24. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपनी रिट याचिका में संशोधन किया और सीएटी, गुवाहाटी के समक्ष अनुरोध किए गए मूल राहतों के अलावा 05.01.2016 के जुर्माने के अंतिम आदेश को चुनौती दी।

B. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

25. उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय तीन भागों में है।दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दंड के आदेश को तीन आधारों पर रद्द कर दियाः-

(i) सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि केंद्रीय शिकायत समिति का गठन सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल दिनांकित पहली शिकायत की जांच के लिए किया गया था, हालांकि, केंद्रीय शिकायत समिति ने अपनी जांच के दौरान दिनांकित दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों पर भी गौर किया।

18.09.2012 जो उसके पास नहीं था।इस मुद्दे पर प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः-

“41. ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रीमती द्वारा एफ. आई. वी. अनुलग्नकों के साथ 18.09.2012 दिनांकित एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। एक्स सीसीसी के अध्यक्ष को और इस तरह की शिकायत की प्रति याचिकाकर्ता को भी उपलब्ध कराई गई थी।जाँच रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त शिकायत को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था।सी. सी. सी. को प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 30.08.2011 की शिकायत की जांच करने के लिए अनिवार्य किया गया था। हालाँकि, जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 18.09.2012 पर प्रस्तुत शिकायत को भी ध्यान में रखा गया था।सी. सी. सी. ने "VI" शीर्षक के तहत रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। आरोप जो स्वीकार किए गए/हटाए गए/दबाए नहीं गए थे "कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 30.08.2011 में लगाए गए किसी भी आरोप के लिए दोषी नहीं माना। हालाँकि 30.08.2011 दिनांकित शिकायत की प्रति प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसे आरोप के लेख के रूप में नहीं दिया गया था।अधिकारी की आवश्यकता के खिलाफ औपचारिक रूप से

पूछा गया कि क्या वह दोषी है या नहीं, अदालत की समझ के अनुसार, ऐसे अधिकारी के लिए केवल एक ही अक्षर में जवाब देने का अवसर नहीं है।"औपचारिक" शब्द को अर्थ देने के लिए, शिकायत के जवाब में लिखित रूप में अपनी टिप्पणी करने के लिए संबंधित अधिकारी को एक वास्तविक और प्रभावी अवसर दिया जाना चाहिए।जाहिर है, ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था।ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दिनांकित 18.09.2012 की शिकायत के संबंध में, अधिकारी से यह भी पूछा गया था कि क्या वह उसमें लगाए गए आरोपों के लिए दोषी है या नहीं।

XXX

XXX

XXX

43. शिकायत तंत्र के खंड 10 (ii) में प्रावधान है कि शिकायत में कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी सामग्री और विवरण शामिल होंगे।याचिकाकर्ता द्वारा 26.08.2011 1 पर एक इजहार का नेतृत्व करने के बाद 30.08.2011 पर दायर शिकायत में क्या आरोप थे, उन पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।उपरोक्त दस बिंदुओं के अवलोकन से पता चलता है कि बिंदु संख्या 1 से 6,7 (बी) से (एफ), 9 और 10 दिनांकित 30.08.2011 शिकायत से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं।दो पूछताछों में 503 थे

यह भी हुआ और, एक साल से अधिक समय बाद, दिनांकित 30.08.2011 की शिकायत दर्ज करने के बाद, 18.09.2012 पर सीसीसी के अध्यक्ष को कई आरोपों के साथ एक और शिकायत प्रस्तुत की गई।हमारी सुविचारित राय में, सी. सी. सी. स्थायी आदेश के संदर्भ में सौंपने के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से ऐसी शिकायत पर विचार नहीं कर सकता था।”

(जोर दिया गया) (ii) दूसरा, केंद्रीय शिकायत समिति जांच करते समय, गवाहों से सवाल पूछकर अभियोजक की भूमिका नहीं निभा सकती थी।उच्च न्यायालय के अनुसार, इसने जांच की कार्यवाही को दूषित कर दिया।इस मुद्दे पर प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

45. आदेश-पत्रकों का अवलोकन, विशेष रूप से, 26.11.2012,27.11.2012,28.11.2012 और 10.12.2012 दिनांकित आदेशों से पता चलता है कि समिति ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल पूछे और जाँच-इन-चीफ समिति द्वारा की गई थी।अभियोजन पक्ष के गवाह, श्री एस. सी. कटोच, जिनसे शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की गई थी, ने अपने बयान में कहा था कि शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल पर केवल एक कॉल किया था और उसने उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता अपने आधिकारिक काम में कठोर है और उसने नियंत्रण कक्ष में अपना कर्तव्य दिया था जिसके लिए उसे आधिकारिक घंटों के बाद नियंत्रण कक्ष में बैठना है।दूसरे शब्दों में, उन्होंने शिकायत में किए गए इस दावे को नकार

दिया था कि उसने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में सूचित किया था। हालाँकि, सी. सी. सी. ने नोट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कटोच ने शिकायत को असत्य माना था।जब उनका सबूत था कि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं थी, तो सी. सी. सी. के लिए यह राय देने का कोई अवसर नहीं था कि उन्होंने शिकायत का पूर्व निर्णय लिया था।उन्हें सी. सी. सी. द्वारा पंद्रह प्रश्न भी पूछे गए थे, जिसे "परीक्षा-इन-चीफ" के रूप में शैलीबद्ध किया गया था।...46. यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से भी सी. सी. सी. द्वारा सवाल पूछे गए थे, जो "वी. गवाहों की परीक्षा" शीर्षक के तहत सी. सी. सी. की रिपोर्ट से स्पष्ट है, जिसमें सी. सी. सी. ने खुद दर्ज किया है कि सी. सी. सी. ने जब भी आवश्यक महसूस किया था, मुख्य परीक्षा आयोजित की थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सी. सी. सी. ने अभियोजक की भूमिका भी निभाई, जो कार्यवाही को दूषित करती है।”

(जोर दिया गया)

(iii) तीसरा, यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय शिकायत समिति ने अपने निर्णय अनुमानों और अनुमानों पर आधारित किए थे।उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि मामला "कोई सबूत नहीं" में से एक था।इस मुद्दे पर प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“47. प्वाइंट नंबर 7 (ए) के संबंध में, सी. सी. सी. ने दर्ज किया था कि उसने नोट किया था कि उसके द्वारा जांचे गए किसी भी गवाह को 5 (ए)-(एफ) में सूचीबद्ध घटनाओं की विशिष्ट जानकारी नहीं थी, जिसे गलत तरीके से दर्ज किया गया था।यह 7 (ए)-(एफ) में सूचीबद्ध घटनाएं होनी चाहिए थीं।7 (ए) की घटनाएँ अप्रत्याशित घंटों में अवांछित फोन कॉल करने के आरोप से संबंधित हैं और वह भी लंबी अवधि के लिए।कोई कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था।हालांकि, सी. सी. सी. ने केवल यह कहते हुए आरोपों को स्वीकार कर लिया कि समिति ने कोई कारण नहीं देखा कि शिकायतकर्ता को आरोपों को गढ़ने में क्या लाभ होगा और यह समझ में आता है कि किसी भी महिला से यौन प्रकृति के मामलों को अपनी महिला सहयोगियों तक पहुँचाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।सी. सी. सी. को अपने निर्णय को अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज करना है न कि अनुमानों और अनुमानों के आधार पर।यह याद रखना सार्थक होगा कि स्थानांतरण के लिए शिकायतकर्ता की प्रार्थना 24.08.2011 पर खारिज कर दी गई थी और 26.08.2011 पर शिकायतकर्ता के पति द्वारा जारी धमकी भरे संदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता ने 26.08.2011 पर इजहार दर्ज कराया था।हालाँकि, इन पहलुओं को सी. सी. सी. द्वारा तौला नहीं गया था।

(जोर दिया गया) 26।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी पर लगाई गई पेंशन का 50 प्रतिशत स्थायी रूप से रोकने का जुर्माना निर्धारित किया।

27. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

ग. अपीलकर्ता के स्वयं के बारे में सुझाव

28. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर ने अपनी लिखित दलीलों में इस प्रकार कहा हैः-

"I. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि प्रतिवादी को मामले के हर चरण में अपना बचाव करने का अवसर दिया गया था।

ए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय शिकायत समिति का गठन किया गया था।

बी। उक्त समिति ने 10 बजे अपनी पहली सुनवाई कीः00 मैं।प्रत्यर्थी को दिनांकित 20.08.2011 की शिकायत सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज दिए गए थे।इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा 18.09.2012 पर प्रस्तुत 'जांच किए जाने वाले गवाहों' की सूची भी प्रतिवादी को प्रदान की गई थी।प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ और प्रस्तुत किया कि वह एक घंटे के भीतर अपने वकील का नाम प्रदान करेगा।इसलिए उनके अनुरोध पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे, उन्होंने वकील की नियुक्ति के लिए 30 दिनों के समय की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।समिति ने उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करने के लिए उनके वकील का नाम देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

ग. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सुनवाई की अगली तारीख 2 महीने के बाद 26.11.2012 के लिए निर्धारित की गई थी।जब प्रत्यर्थी से उसके वकील के नाम के बारे में पूछा गया, तो उसने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह अपना प्रतिनिधित्व करेगा और गवाहों से जिरह करेगा और उसने खुद 11 गवाहों से पूछताछ की।इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने जांच की कार्यवाही में भाग लिया और पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अपना बचाव करने का फैसला किया।

घ. प्रत्यर्थी द्वारा लगाया गया आरोप कि शिकायतकर्ता ने बाद में 18.09.2012 पर गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की, जिस पर समिति गौर नहीं कर सकी, गलत धारणा है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायतकर्ता को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए गवाहों को पेश करने से इनकार नहीं किया जा सकता है और वह भी 26.09.2011 पर समिति द्वारा प्रारंभिक सुनवाई किए जाने से पहले।

ङ. प्रत्यर्थी द्वारा लगाया गया आरोप कि उसे 'आरोप पत्र' के रूप में आरोपों के बारे में सूचित नहीं किया गया था, तुच्छ है क्योंकि उसे सभी शिकायतों और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गई थीं।इससे पता चलता है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति से अच्छी तरह से परिचित थे और जानते थे कि उन्हें अपने बचाव में क्या कहना है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, आरोप के लेखों को तैयार न करना अपीलार्थियों के हित के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

एफ. इसलिए, यह यहाँ कुछ सूचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं और पूरी कार्यवाही को तब तक दूषित नहीं किया जाएगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि प्रतिवादी के प्रति कुछ पूर्वाग्रह पैदा किया गया है जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा यू. पी. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में अभिनिर्धारित किया गया है।सुधीर कुमार सिंह, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 847 (पैरा 39)।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को न केवल समिति द्वारा, बल्कि अनुशासन प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त अवसर दिया गया था।इसलिए, यह "कोई अवसर नहीं" या "कोई सुनवाई नहीं" का मामला नहीं था, बल्कि 50 प्रतिशत पेंशन राशि को रोकने का जुर्माना लगाने से पहले अपीलार्थी को "पर्याप्त अवसर" और "निष्पक्ष सुनवाई" का मामला दिया गया था।

II. ऑन-स्पॉट जांच और फ्रंटियर स्तर की शिकायत समिति के अनुसरण में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की आपूर्ति न होने के कारण प्रत्यर्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं हुआ है।

ए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहली कथित जांच दिनांक आई. डी. 1 मौके पर ही की गई थी और इसकी प्रकृति ही संक्षिप्त है न कि विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 मामलों की श्रृंखला और यौन उत्पीड़न पर एस. एस. बी. मानक संचालन प्रक्रिया में परिकल्पित प्रकृति की जांच।इसलिए, इसकी तुलना अनुशासनात्मक जांच से नहीं की जा सकती है।

बी। यह ध्यान देने योग्य है कि मौके पर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ही सीमांत स्तर की शिकायत समिति (एफएलसीसी) का गठन किया जा चुका था।एफएलसीसी ने 17.01.2012 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।हालाँकि, इसे 10.12.2012 दिनांकित ज्ञापन द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि FLCC के अध्यक्ष एक अधिकारी नहीं थे जो याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न पर विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के नियम 9 (बी) (ए) के तहत शिकायत की गई थी।उक्त निर्णय से प्रतिवादी को ज्ञापन दिनांक 10.12.2012 के माध्यम से अवगत कराया गया था।

ग. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही एफएलसीसी रिपोर्ट में प्रतिवादी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं पाया गया हो, लेकिन तथ्यों पर इसका कोई ठोस असर नहीं होगा क्योंकि उक्त रिपोर्ट को बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था और नियमों के अनुसार एक नई समिति का गठन किया गया था।

III. अधिरोपित दंड प्रतिवादी द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में होता है।

ए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सजा की मात्रा में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर न दे।

बी। इसके अलावा, कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत कदाचार और जुर्माना लगाने के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है कि क्या आरोप निष्पक्ष जांच के आधार पर स्थापित किए गए हैं।इसका दायरा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है, न कि स्वयं निर्णय लेने तक।इस माननीय न्यायालय ने हाल ही में ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 621 के फैसले में इस बात पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय विभागीय कार्यवाही और उसके निर्णयों के संबंध में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है, निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"62...अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है और एक बार जब साक्ष्य की सराहना के आधार पर तथ्य की अंतिम बातें दर्ज की जाती हैं, तो उच्च न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में आम तौर पर उन तथ्यात्मक तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह यह निर्णय नहीं लेता है कि दर्ज किए गए तथ्य या तो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं थे या कि तथ्य पूरी तरह से विकृत और/या कानूनी रूप से असमर्थनीय थे। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि एक समिति द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सेवा नियमों के संदर्भ में की जाती है और संबंधित कर्मचारी को अपनी स्थिति को सही साबित करने और अपनी बेगुनाही स्थापित करने का उचित अवसर मिलता है।"

ग. इसमें प्रत्यर्थी अनुशासित बल का सदस्य था और कमीशन के समय एक महत्वपूर्ण पद पर था।उसने अपने वरिष्ठ द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता को 2 साल से अधिक समय तक लगातार परेशान किया।चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका और शिकायतकर्ता को काम नहीं देकर और देर रात तक उसे बेकार बैठा कर प्रताड़ित करने लगा।अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त होने के बाद, प्रतिवादी डी. आई. जी. के रूप में 31.03.2013 पर सेवानिवृत्त हुए। ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दंड

मासिक पेंशन का 50 प्रतिशत रोकने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाया गया जुर्माना प्रत्यर्थी द्वारा किए गए जुर्माने के अनुपात में है।"

D. उत्तरदाता के स्वयं के बारे में निवेदन

29. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अविजीत रॉय ने अपनी लिखित दलीलों में इस प्रकार कहा हैः-

"1. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (एस. एल. पी. का पृष्ठ-39) के पैरा 25 में ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत कदाचार और जुर्माना लगाने के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है क्योंकि अदालत को केवल इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आरोप निष्पक्ष जांच के आधार पर स्थापित किए गए हैं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय भी इस तथ्य से अवगत था कि न्यायिक समीक्षा निर्णय के खिलाफ नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ है।2. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के नियम 15, विशेष रूप से नियम 15 के उप-नियम 1 और 2 ने दूसरी और आगे की वैधानिक जांच के आयोजन पर एक स्पष्ट प्रतिबंध लगाया।लेकिन तत्काल मामले में, इस तथ्य के बावजूद कि एकमात्र प्रतिवादी को लगातार तीन पूछताछों द्वारा कथित शिकायत से बरी कर दिया गया था।(i) तथ्य का पता लगाने की जांच,(ii) पहले विधिवत गठित सीमा स्तरीय समिति द्वारा की गई वैधानिक जांच और (iii) केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा एक दूसरी वैधानिक जांच (वास्तव में यह श्रृंखला में चौथी जांच थी जिसमें एक अन्य अनाम शिकायत के आधार पर जांच शामिल है) की स्थापना की गई थी।सभी तथ्यों की विषय वस्तु आरोपों के एक ही समूह पर थी।"

3. विजय शंकर Pandey-Vs-U.O.I और (2014) 10 एस. सी. सी. 589 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में इस माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"26. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सामान्य नियम यह है कि केवल एक ही जांच हो सकती है।इस अदालत ने इसमें उल्लिखित कुछ परिस्थितियों में आगे की जांच की संभावना को भी मान्यता दी है।हालाँकि निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि यह तथ्य कि पूछताछ करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं है, जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से दरकिनार करने और दूसरी जांच का आदेश देने का आधार नहीं है।"

4. इसके अलावा, के. आर. देब-वी.-नियंत्रक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, शिलांग ने [1971 (2) एस. सी. सी. 102] में बताया कि इस माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है कि सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के नियम 15 (1) के वैधानिक प्रावधान के तहत दूसरी जांच की अनुमति नहीं है।उपरोक्त निर्णय को इस माननीय न्यायालय द्वारा यू. ओ. आई.-वी.-श्री के. डी. पांडे एंड ओ. आर. एस. में दोहराया गया था, जिसकी रिपोर्ट [2002 (10) एस. सी. सी. 471] में दी गई थी।

5. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णय निर्णायक रूप से यह आदेश देते हैं कि-(1) दूसरी जांच की अनुमति नहीं है, और (2) यह जांच रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्ष की शुद्धता है जो निष्कर्षों की वैधता को निर्धारित करती है न कि केवल तकनीकी तथ्यों को।इन सिद्धांतों को तत्काल मामले में बहिर्वेशन किया जाना चाहिए।6. कि, 30.08.2011 की शिकायत में केवल 2 (दो) आरोप थे, लेकिन केंद्रीय शिकायत समिति ने शिकायतकर्ता के नए जोड़े गए अतिरंजित संस्करणों को शामिल करते हुए 10 एन. ओ. एस. को आरोपों का विस्तार किया और उन पर गौर किया, इस प्रकार 30.08.2011 की शिकायत में आरोपों से परे जाकर और सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया।

7. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय (एस. एल. पी. का पृष्ठ 54) के पैरा 41 में ठीक ही कहा कि एक शिकायत दिनांक 18.09.2012 को एफ. आई. वी. अनुलग्नकों के साथ श्रीमती द्वारा प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय शिकायत समिति (सी. सी. सी.) के अध्यक्ष को एक्स (शिकायतकर्ता) और ऐसी शिकायत की प्रति एकमात्र प्रतिवादी को भी उपलब्ध कराई गई थी। जाँच रिपोर्ट में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है।ऐसा भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त शिकायत को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के संज्ञान में लाया गया था।माननीय उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि केंद्रीय शिकायत समिति (सी. सी. सी.) को प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 30.08.2011 की शिकायत की जांच करने के लिए अनिवार्य किया गया था।हालाँकि, जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 18.09.2012 पर प्रस्तुत शिकायत को भी ध्यान में रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी नोट किया गया कि सी. सी. सी. ने "VI" शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा है। आरोप जो स्वीकार किए गए/हटाए गए/दबाए नहीं गए थे "कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दिनांक 30.08.2011 में लगाए गए किसी भी आरोप के लिए दोषी नहीं माना।हालाँकि 30.08.2011 दिनांकित शिकायत की प्रति प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसे प्रपत्र में नहीं दिया गया था

प्रभार के लेख।अधिकारी की आवश्यकता के खिलाफ औपचारिक रूप से पूछा गया कि क्या वह दोषी है या नहीं, अदालत की समझ के अनुसार, ऐसे अधिकारी के लिए केवल एक ही अक्षर में

जवाब देने का अवसर नहीं है।माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "औपचारिक रूप से" शब्द को अर्थ देने के लिए, शिकायत के जवाब में लिखित रूप में अपनी टिप्पणी करने के लिए संबंधित अधिकारी को एक वास्तविक और प्रभावी अवसर दिया जाना चाहिए।जाहिर है, ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था।ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दिनांकित 18.09.2012 की शिकायत के संबंध में, अधिकारी से यह भी पूछा गया था कि क्या वह उसमें लगाए गए आरोपों के लिए दोषी है या नहीं।

8. कि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (एस. एल. पी. का पृष्ठ 70-71) के पैरा 43 में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि आरोपों के कुछ बिंदु दिनांकित 30.08.2011 की शिकायत से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं।माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दो पूछताछ भी हुई थी और एक वर्ष से अधिक समय के बाद, दिनांकित शिकायत दर्ज करने के बाद, कई आरोपों के साथ एक और शिकायत सीसीसी के अध्यक्ष को 18.09.2012 पर प्रस्तुत की गई थी।तदनुसार, माननीय उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि सी. सी. सी. स्थायी आदेश के संदर्भ में प्रत्यर्पण के अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाही के उद्देश्य से ऐसी शिकायत पर विचार नहीं कर सकता था।

9. कि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 44 और 45 (एस. एल. पी. के पृष्ठ 71-74) में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि 26.11.2012,27.11.2012,28.11.2012 और 10.12.2012 दिनांकित आदेशों से पता चलता है कि समिति ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से प्रश्न पूछे थे और मुख्य परीक्षा समिति द्वारा की गई थी।अभियोजन पक्ष के गवाह, श्री एस. सी. कटोच, जिनसे शिकायतकर्ता द्वारा जिरह की गई थी, ने अपने बयान में कहा था कि शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल पर केवल एक कॉल किया था और उसने उल्लेख किया था कि एकमात्र प्रतिवादी अपने कार्यालय के काम में कठोर है और उसने नियंत्रण कक्ष में अपना कर्तव्य दिया था जिसके लिए उसे कार्यालय के घंटों के बाद नियंत्रण कक्ष में बैठना है।दूसरे शब्दों में, उन्होंने शिकायत में किए गए इस दावे को नकार दिया था कि उसने एकमात्र प्रतिवादी द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में सूचित किया था। हालाँकि, सी. सी. सी. ने नोट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कटोच ने शिकायत को असत्य के रूप में पूर्व-निर्णय दिया था।जब उनका सबूत था कि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं थी, तो सीसीसी के लिए यह राय देने का कोई अवसर नहीं था कि 511

उन्होंने शिकायत का पूर्व निर्णय लिया।उन्हें सी. सी. सी. द्वारा पंद्रह प्रश्न भी पूछे गए थे, जिसे "परीक्षा-इन-चीफ" के रूप में शैलीबद्ध किया गया था।

10. कि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय (एस. एल. पी. का पृष्ठ 74) के पैरा 46 में ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों से भी सी. सी. सी. द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, जो सी. सी. सी. की रिपोर्ट से "वी. गवाहों की परीक्षा" शीर्षक के तहत स्पष्ट है, जिसमें सी.

सी. सी. ने स्वयं अभिलिखित किया है कि सी. सी. सी. ने जब भी आवश्यक महसूस किया, मुख्य परीक्षा आयोजित की थी।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सी. सी. सी. ने अभियोजक की भूमिका भी निभाई, जो कार्यवाही को दूषित करती है।

11. यह कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 47 (एस. एल. पी. का पृष्ठ 75-76) में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि सी. सी. सी. ने दर्ज किया था कि उसने नोट किया था कि उसके द्वारा जांचे गए किसी भी गवाह को सूचीबद्ध घटनाओं की विशिष्ट जानकारी नहीं थी।माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कथित घटनाएं अप्रत्याशित समय पर और वह भी लंबी अवधि के लिए अवांछित फोन कॉल करने के आरोप से संबंधित हैं।कोई कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था।हालांकि, सी. सी. सी. ने केवल यह कहते हुए आरोपों को स्वीकार कर लिया कि समिति ने कोई कारण नहीं देखा कि शिकायतकर्ता को आरोपों को गढ़ने में क्या लाभ होगा और यह समझ में आता है कि किसी भी महिला से यौन प्रकृति के मामलों को अपनी महिला सहयोगियों तक पहुँचाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।इस संबंध में, माननीय उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि केंद्रीय शिकायत समिति (सी. सी. सी.) को अपना निर्णय अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दर्ज करना चाहिए था, न कि अनुमानों और अनुमानों के आधार पर।

12. कि, यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि एकमात्र प्रतिवादी को एसएसबी में अपने संवर्ग में सबसे अधिक सम्मानित किया गया था। उन्हें उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था।वह 2009,2010,2011 और 2012 से लगातार 4 वर्षों तक भारतीय पुलिस पदक, प्रशंसा के साथ डी. जी. डिस्क (2 बार), एस. एस. बी. में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी (सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र) के प्राप्तकर्ता थे, एस. एस. बी. के डी. जी. सहित सभी वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारियों से प्रत्येक महीने विभिन्न प्रशंसा प्राप्तकर्ता थे। अब एसएसबी में 35 शानदार वर्षों की सेवा देने के बाद, उन्हें पीड़ित किया गया है और विभाग से एक भी पैसा लिए बिना सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया है।यहां तक कि विभिन्न शीर्षों के तहत उनके व्यक्तिगत संचय को भी उन्हें मंजूरी नहीं दी गई है।एकमात्र प्रत्यर्थी अभी भी अपने सेवानिवृत्ति लाभ जैसे उपदान और अन्य के कारण उपदान से वंचित है

उसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि आरोप की प्रकृति किसी भी वित्तीय मुद्दे से संबंधित नहीं है और उसके सेवानिवृत्ति लाभ को रोकने के बारे में किसी भी तिमाही द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था।मोरेसो, संबंधित प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 05.01.2016 (वर्तमान SLP के खंड-II का पृष्ठ 447-453) के दंड आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि उपदान राशि एकमात्र प्रतिवादी को जारी की जाएगी और प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा उपदान जारी करने के उक्त आदेश का याचिकाकर्ता प्राधिकरण द्वारा विरोध या हमला नहीं किया गया है।हालाँकि, आज

तक एकमात्र प्रतिवादी को कोई ग्रेच्युटी राशि जारी नहीं की गई थी।इस तरह के आदेश के कारण, पेंशन के कम्यूटेशन मूल्य का भी आज तक भुगतान नहीं किया गया है।

13. एकमात्र प्रतिवादी परिस्थितियों का शिकार होता है क्योंकि उसके पूरे सेवा जीवन में कभी कोई दोष नहीं था और उसे एक ही आरोप पर पहली तीन पूछताछों में बरी कर दिया गया था। वह भी एक प्रकार की सजा के साथ जिसकी केंद्रीय स्तर की शिकायत समिति द्वारा बिल्कुल भी सिफारिश नहीं की गई थी।आश्चर्य की बात यह है कि एक ही आरोप पर प्राधिकरण ने चौथी जांच शुरू की और केवल एकमात्र प्रतिवादी को पीड़ित करने के लिए जुर्माना लगाया, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से था।एकमात्र प्रत्यर्थी अंतर-विभागीय प्रतिद्वंद्विता का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार था और वह अप्रमाणित आरोपों के कारण सदमे में था और पहली तीन जांचों द्वारा समय-समय पर उसकी बेगुनाही को बरकरार रखा गया था और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दंड के विवादित आदेश को सही ढंग से दरकिनार करते हुए विवादित फैसले के पैरा 40,43,46 और 47 में विस्तार से चर्चा की गई थी।(पेज नं.-54, 70-74, 75-76 एसएलपी)

14. याचिकाकर्ता प्राधिकारी का यह तर्क कि पेंशन का 50 प्रतिशत रोकने का जुर्माना न्यायसंगत और पर्याप्त है।इस संबंध में, एकमात्र प्रत्यर्थी प्रस्तुत करता है कि जब तीनों जांच रिपोर्टों ने उसे दोषमुक्त कर दिया और यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसे अपने सभी आरोपों से बरी कर दिया और जुर्माने के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया, तो एकमात्र प्रत्यर्थी ने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है और एसएसबी के डी. आई. जी. के रूप में एक सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अपने मामले का विरोध किया है।"

ई. विश्लेषण

30. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित चार प्रश्न हमारे विचार के लिए आते हैं:

I. क्या केंद्रीय शिकायत समिति ने दिनांक 18.09.2012 की दूसरी शिकायत को देखने में कोई गंभीर त्रुटि की है?

II. क्या केंद्रीय शिकायत समिति ने विभागीय जांच के दौरान गवाहों से सवाल पूछने और इस तरह अनुशासनात्मक कार्यवाही को दूषित करने में कोई गंभीर त्रुटि की है?

III. क्या केंद्रीय शिकायत समिति को केवल अनुमानों और अनुमानों पर आधारित कहा जा सकता है?क्या मामला "कोई सबूत नहीं" में से एक है?

IV. क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई गंभीर त्रुटि की है?

ई**. 1** प्रासंगिक सांविधिक योजना और मामला कानून

31. दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों पर ध्यान देने से पहले, हमें यौन उत्पीड़न की शिकायतों से संबंधित वैधानिक योजना पर गौर करना चाहिए।

32. यौन उत्पीड़न एक व्यापक और गहरी जड़ों वाला मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है।भारत में, यह गंभीर चिंता का विषय रहा है, और यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानूनों का विकास इस समस्या के समाधान के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।भारत में यौन उत्पीड़न सदियों से मौजूद है, लेकिन 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही इसे कानूनी मान्यता मिलने लगी।33. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बढ़ते सामाजिक खतरे के खिलाफ महत्वपूर्ण मोड़ का पता पथ-प्रदर्शक से लगाया जा सकता है

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य में इस न्यायालय का निर्णय और

अन्य ने (1997) 6 एस. सी. सी. 241 में रिपोर्ट किया, जिसके तहत इस न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को महिला के समानता और गरिमा के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में मान्यता दी।प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

“1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 14-19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दायर की गई है, क्योंकि मौजूदा माहौल में इन अधिकारों का उल्लंघन असामान्य नहीं है।लैंगिक न्याय पर बढ़ती जागरूकता और जोर के साथ, इसमें वृद्धि हुई है

इस तरह के उल्लंघनों से बचने के लिए; और यौन उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति नाराजगी भी बढ़ रही है।वर्तमान याचिका को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस सामाजिक विचलन की ओर ध्यान केंद्रित करने और "लैंगिक समानता" की वास्तविक अवधारणा को साकार करने के लिए उपयुक्त तरीकों में सहायता करने के उद्देश्य से एक वर्ग कार्रवाई के रूप में लाया गया है; और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, मौजूदा कानून में रिक्तता को दूर करने के लिए।

2. इस रिट याचिका के लंबित रहने का तत्काल कारण राजस्थान के एक गाँव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना है।वह घटना एक अलग आपराधिक कार्रवाई का विषय है और हमारे द्वारा इसका और उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।यह घटना उन खतरों को प्रकट करती है जिनसे एक कामकाजी महिला उजागर हो सकती है और जिस दुष्टता से यौन उत्पीड़न बिगड़ सकता है; और विधायी उपायों के अभाव में एक

वैकल्पिक तंत्र द्वारा सुरक्षा उपायों की तात्कालिकता।विधायी उपायों के अभाव में, इस महसूस की गई और तत्काल सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र की आवश्यकता है।3. ऐसी प्रत्येक घटना के परिणामस्वरूप "लैंगिक समानता" और "जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार" के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।यह संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।इस तरह की घटना के तार्किक परिणामों में से एक अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत पीड़ित के मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी है "किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने के लिए"।इसलिए इस तरह के उल्लंघन महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उपाय को आकर्षित करते हैं।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह वर्ग कार्रवाई इसी कारण से है।ऐसी स्थिति में मैंडमस का एक रिट, यदि इसे प्रभावी होना है, तो रोकथाम के लिए निर्देशों के साथ होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एक आवर्ती घटना है।किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे को जारी रखने का मौलिक अधिकार "सुरक्षित" कार्य वातावरण की उपलब्धता पर निर्भर करता है।जीवन के अधिकार का अर्थ है गरिमा के साथ जीवन।उपयुक्त विधान के माध्यम से ऐसी सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने और इसके प्रवर्तन के लिए एक तंत्र के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी विधायिका और कार्यपालिका की है।हालाँकि, जब 515 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं

अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत महिला श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत निवारण के लिए हमारे सामने लाया गया है, एक प्रभावी निवारण के लिए आवश्यक है कि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि सभी विधायी रिक्तता को दूर किया जा सके।

XXX

XXX

XXX

7. घरेलू कानून के अभाव में, सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बुराई को रोकने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों की सामग्री लैंगिक समानता की गारंटी, संविधान के अनुच्छेद 14,15,19 (1) (जी) और 21 में मानवीय गरिमा के साथ काम करने के अधिकार और उसमें निहित यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा उपायों की व्याख्या के उद्देश्य से महत्वपूर्ण नहीं हैं।कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत नहीं है और इसकी भावना के अनुरूप नहीं है, उसे इन प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके अर्थ और सामग्री को बढ़ाया जा सके, ताकि संवैधानिक गारंटी के उद्देश्य को बढ़ावा दिया जा सके।यह अनुच्छेद 51 (सी) और संविधान की

सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 के साथ पठित अनुच्छेद 253 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए संसद की सक्षम शक्ति से निहित है।अनुच्छेद 73 भी प्रासंगिक है।इसमें प्रावधान है कि संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है।इसलिए संघ की कार्यकारी शक्ति तब तक उपलब्ध है जब तक कि संसद बुराई पर अंकुश लगाने के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक उपाय प्रदान करने के लिए कानून नहीं बनाती है।"

(जोर दिया गया) 34।विशाखा (ऊपर) में इस न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को रोकने और उसके निवारण के लिए आवश्यक सिद्धांतों को निर्धारित करके लैंगिक समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ गारंटी के लिए एक नवीन न्यायिक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समिति का निर्माण, जागरूकता कार्यक्रम और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक उपाय शामिल हैं।इन दिशानिर्देशों को अब 'विशाखा दिशानिर्देश' के रूप में जाना जाता है, जो यौन उत्पीड़न पर व्यापक कानून के विकास के लिए एक नींव स्थापित करते हैं।प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः-

"16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और लैंगिक समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए अधिनियमित कानून की अनुपस्थिति, विशेष रूप से कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ, हम सभी कार्य स्थलों या अन्य संस्थानों में उचित पालन के लिए इसके बाद निर्दिष्ट दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित करते हैं, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए कोई कानून लागू नहीं किया जाता है।यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में माना जाएगा। 17. इसमें पूर्व-लिखित दिशानिर्देश और मानक निम्नानुसार हैंःमानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (डी) में "मानवाधिकारों" की अवज्ञा को ध्यान में रखते हुए।

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि भारत में वर्तमान नागरिक और दंडात्मक कानून कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की विशिष्ट सुरक्षा के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं करते हैं और इस तरह के कानून को लागू करने में काफी समय लगेगा।

कार्यस्थलों पर नियोक्ताओं के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों के लिए महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक और समीचीन हैः

1. कार्यस्थलों और अन्य संस्थानों में नियोक्ता या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्यः

यह नियोक्ता या कार्यस्थलों या अन्य संस्थानों में अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वे यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकें या रोकें और सभी आवश्यक कदम उठाकर यौन उत्पीड़न के कृत्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें।

2. परिभाषा

इस उद्देश्य के लिए, यौन उत्पीड़न में इस तरह का अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार (चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या निहितार्थ से) शामिल हैः क) शारीरिक संपर्क और प्रगति;

ख) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; 517

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 518

ग) यौन रंग की टिप्पणियां;घ) अश्लीलता दिखाना;

ई) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

जहां इनमें से कोई भी कार्य उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां इस तरह के आचरण की पीड़ित को एक उचित आशंका होती है कि पीड़ित के रोजगार या काम के संबंध में चाहे वह वेतन ले रही हो, या मानदेय या स्वैच्छिक, चाहे वह सरकारी, सार्वजनिक या निजी उद्यम में हो, ऐसा आचरण अपमानजनक हो सकता है और स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्या का गठन कर सकता है।उदाहरण के लिए यह भेदभावपूर्ण है जब महिला के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि उसकी आपत्ति उसे उसके रोजगार या काम के संबंध में नुकसान पहुंचाएगी जिसमें भर्ती या पदोन्नति शामिल है या जब यह एक शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण पैदा करता है। प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं यदि पीड़ित विचाराधीन आचरण के लिए सहमति नहीं देता है या उस पर कोई आपत्ति उठाता है।

3. निवारक कदमःसार्वजनिक या निजी क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।इस दायित्व की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएः

(क) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निषेध को अधिसूचित किया जाना चाहिए, प्रकाशित किया जाना चाहिए और उचित तरीकों से प्रसारित किया जाना चाहिए।

(ख) आचरण और अनुशासन से संबंधित सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के नियमों/विनियमों में यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने वाले नियम/विनियम शामिल होने चाहिए और ऐसे नियमों में यौन उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए।

(ग) जहां तक निजी नियोक्ताओं का संबंध है, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेशों में उपरोक्त प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

(घ) कार्य, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उपयुक्त कार्य स्थितियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई शत्रुतापूर्ण स्थिति न हो।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति वातावरण और किसी भी महिला कर्मचारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार नहीं होना चाहिए कि वह अपने रोजगार के संबंध में वंचित है।

4. आपराधिक कार्यवाहीःजहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत एक विशिष्ट अपराध के बराबर है, वहां नियोक्ता उपयुक्त प्राधिकारी के साथ शिकायत करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए।यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के पास अपराधी के स्थानांतरण या अपने स्वयं के स्थानांतरण की मांग करने का विकल्प होना चाहिए।

5. अनुशासनात्मक कार्रवाईःजहां इस तरह का आचरण संबंधित सेवा नियमों की अवहेलना के रूप में रोजगार में कदाचार के बराबर है, वहां नियोक्ता द्वारा उन नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।6. शिकायत तंत्रः

चाहे ऐसा आचरण कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमों का उल्लंघन, पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए नियोक्ता के संगठन में एक उपयुक्त शिकायत तंत्र बनाया जाना चाहिए।इस तरह के शिकायत तंत्र को शिकायतों का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करना चाहिए।

7. शिकायत समिति उपरोक्त (6) में निर्दिष्ट शिकायत तंत्र, जहां आवश्यक हो, एक शिकायत समिति, एक विशेष परामर्शदाता या अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें गोपनीयता बनाए रखना भी शामिल है।

शिकायत समिति की अध्यक्षता एक महिला को करनी चाहिए और इसके आधे से कम सदस्य महिलाएँ नहीं होनी चाहिए।इसके अलावा, वरिष्ठ स्तरों से किसी भी अनुचित दबाव या प्रवाह की संभावना को रोकने के लिए, ऐसी शिकायत समिति में किसी तीसरे पक्ष, या तो गैर सरकारी संगठन या अन्य निकाय को शामिल किया जाना चाहिए जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो।

शिकायत समिति को शिकायतों और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित सरकारी विभाग को एक वार्षिक रिपोर्ट देनी चाहिए।

नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति भी सरकारी विभाग को शिकायत समिति की रिपोर्ट सहित उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन पर रिपोर्ट करेंगे।

8. कर्मचारियों की पहल कर्मचारियों को श्रमिकों की बैठक में और अन्य उपयुक्त मंचों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए और नियोक्ता-कर्मचारी की बैठकों में इस पर सौहार्दपूर्ण चर्चा की जानी चाहिए।

9. जागरूकता:इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता विशेष रूप से उपयुक्त तरीके से दिशानिर्देशों (और इस विषय पर अधिनियमित होने पर उपयुक्त कानून) को प्रमुखता से अधिसूचित करके बनाई जानी चाहिए।

10. तृतीय-पक्ष उत्पीड़न:जहाँ किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, वहाँ नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति सहायता और निवारक कार्रवाई के मामले में पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएंगे।

11. केंद्र/राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून सहित उपयुक्त उपायों को अपनाने पर विचार करें कि इस आदेश द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा भी किया जाए।

12. ये दिशा-निर्देश मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

18. तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि कामकाजी महिलाओं के लैंगिक समानता के अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए सभी कार्यस्थलों पर उपरोक्त दिशानिर्देशों और मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा।ये निर्देश तब तक बाध्यकारी और कानून में लागू करने योग्य होंगे जब तक कि उपयुक्त कानून लागू नहीं किया जाता है।इन रिट याचिकाओं का निपटान तदनुसार किया जाता है।"

35. इसके बाद मेधा में इस न्यायालय का एक और निर्णय आया।

(2013) में रिपोर्ट किए गए कोतवाल लेल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

1 एस. सी. सी. 297 ने 19.10.2012 पर निर्णय लिया, जिसमें यह न्यायालय विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता से दुखी था, विशेष रूप से, शिकायत समिति के गठन ने दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आदेश जारी किया।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“43. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करना है।हमारा विचार है कि यदि आवश्यक हो तो मौजूदा कानूनों को संशोधित किया जाए और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा महिलाओं को सभी स्थानों (उनके घरों में और बाहर) पर किसी भी प्रकार की अभद्रता, अपमान और अनादर से बचाने के लिए उचित नए कानून बनाए जाएं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि सभी प्रकार की हिंसा को रोका जाए।—और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और उन्नति के लिए नई पहल प्रदान करना।आखिरकार उनके पास असीम क्षमता है।अभद्र भाषा, खोखले बयान और अव्यवस्थित प्रवर्तन के साथ निष्क्रिय और अपर्याप्त कानून हमारी आधी सबसे कीमती आबादी-महिलाओं के सच्चे और वास्तविक उत्थान के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

44. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें हमारा विचार है कि विशाखा (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 में दिशानिर्देशः1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 932) प्रतीकात्मक नहीं रहना चाहिए और इस विषय पर विधायी अधिनियम लागू होने तक निम्नलिखित आगे के निर्देश आवश्यक हैंः

44.1.जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक अपने संबंधित सिविल सेवा आचरण नियमों (चाहे इन नियमों को किसी भी नाम से जाना जाए) में पर्याप्त और उचित संशोधन नहीं किए हैं, वे आज से दो महीने के भीतर यह प्रावधान करेंगे कि शिकायत समिति की रिपोर्ट को ऐसे सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई में एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा।दूसरे शब्दों में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट/कार्य आदि को अपराधी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच में कार्य के रूप में मानेगा और तदनुसार ऐसी रिपोर्ट पर कार्य करेगा।शिकायत समिति की जांच और रिपोर्ट को केवल प्रारंभिक जांच या जांच के रूप में नहीं माना जाएगा।

एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाता है लेकिन अपराधी के कदाचार की जांच में एक निर्णय/रिपोर्ट के रूप में माना जाएगा।

44.2.जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमों में संशोधन नहीं किए हैं, वे अब दो महीने के भीतर उसी तर्ज पर संशोधन करेंगे, जैसा कि पैरा 44.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

44.3.राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियों का गठन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे तालुका स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर काम करें।जिन राज्यों और/या केंद्र शासित प्रदेशों ने पूरे राज्य के लिए केवल एक समिति का गठन किया है, वे आज से दो महीने के भीतर पर्याप्त संख्या में शिकायत समितियों का गठन करेंगे।ऐसी शिकायत समितियों में से प्रत्येक की अध्यक्षता एक महिला करेगी और जहां तक संभव हो ऐसी समितियों में एक स्वतंत्र सदस्य संबद्ध होगा।

44.4.राज्य के पदाधिकारी और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संगठन/निकाय/संस्थान आदि विशाखा (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र स्थापित करेंगेः1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 932) दिशानिर्देश और आगे यह प्रावधान है कि यदि कथित उत्पीड़क दोषी पाया जाता है, तो शिकायतकर्ता पीड़ित को ऐसे उत्पीड़क के साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और जहां उपयुक्त और संभव हो, कथित उत्पीड़क का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि गवाहों और शिकायतकर्ताओं को परेशान करने और डराने-धमकाने के लिए गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

44.5.बार काउंसिल ऑफ इंडिया यह सुनिश्चित करेगी कि देश के सभी बार एसोसिएशन और राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति विशाखा (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 का पालन करें।1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 932 दिशानिर्देश। इसी तरह, भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, सनदी लेखाकार संस्थान, कंपनी सचिव संस्थान और अन्य वैधानिक संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि संगठन, निकाय, संघ, संस्थान और उनके साथ पंजीकृत/संबद्ध व्यक्ति विशाखा (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करें।1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 932)।इसे प्राप्त करने के लिए, सभी वैधानिक निकायों जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आवश्यक निर्देश/परिपत्र जारी किए जाएंगे।

भारत, भारतीय चिकित्सा परिषद, वास्तुकला परिषद, कंपनी सचिव संस्थान आज से दो महीने के भीतर।ऊपर निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर वैधानिक निकायों द्वारा विशाखा (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, (1997) 6 एस. सी. सी. 241 के अनुसार निपटा जाएगाः1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 932), दिशा-निर्देश और वर्तमान क्रम में दिशा-निर्देश।"

(जोर दिया गया) 36।प्रासंगिक वैधानिक नियम, जो इस मामले पर लागू होते हैं, वे हैं केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 (संक्षेप में, "1964 सी. सी. एस. नियम") और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (संक्षेप में, "1965 सी. सी. एस. नियम") जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं।

37. 1965 के सी. सी. एस. नियमों के भाग VI में केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही और दंड लगाने से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान हैं और नियम 14 में बड़े दंड लगाने के लिए सामान्य प्रक्रिया और प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

38. ऊपर निर्दिष्ट विशाखा (ऊपर) और मेधा कोतवाल लेल (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसरण में, सी. सी. एस. नियमों में कई संशोधन किए गए, जिसके तहत यौन उत्पीड़न से संबंधित नए प्रावधान जोड़े गए, विशेष रूप से 1964 के सी. सी. एस. नियमों में नियम 3 सी के साथ-साथ 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 (2) का एक नया प्रावधान भी शामिल किया गया।उक्त प्रावधानों ने यौन उत्पीड़न को बड़े दंड के साथ दंडनीय बना दिया और विशिष्ट रूप से विशाखा दिशानिर्देशों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू किया।उक्त प्रावधान नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं:-

"3 ग. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध।

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी कार्य स्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कार्यस्थल का प्रभारी है, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 524

523

स्पष्टीकरण।- ((I) इस नियम के प्रयोजन के लिए -

(क) "यौन उत्पीड़न" में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ से) शामिल हैं-अर्थात्-(i) शारीरिक संपर्क और प्रगति; या

((ii) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध; या (iii) यौन रंग की टिप्पणी करना; या (iv) अश्लीलता दिखाना; या

(v) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि यह किसी अधिनियम के संबंध में होती है या मौजूद है या उससे जुड़ी हुई है।

यौन उत्पीड़न का व्यवहार यौन उत्पीड़न के बराबर हो सकता है:-

(i) रोजगार में तरजीही व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा; या

((ii) रोजगार में हानिकारक व्यवहार का निहित या स्पष्ट खतरा; या

((ग) उसकी वर्तमान या भविष्य की रोजगार स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा; या

((iv) उसके काम में हस्तक्षेप या उसके लिए एक डराने वाला या अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना; या

(v) अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है।(ग) "कार्यस्थल" में शामिल हैंः-

(i) कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या इकाई जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए धन द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूरी तरह से या काफी हद तक वित्त पोषित है; (ii) अस्पताल या नर्सिंग होम;

((ग) कोई भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेल स्थल, चाहे वह आवासीय हो या प्रशिक्षण, खेल या उससे संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता हो;

((iv) ऐसी यात्रा करने के लिए नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए परिवहन सहित रोजगार से उत्पन्न होने वाले या उसके दौरान कर्मचारी द्वारा दौरा किया गया कोई भी स्थान;

((v) निवास स्थान या घर।XXX

XXX

XXX

14. बड़े दंड लगाने की प्रक्रिया।**-**

(1) नियम 11 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट दंडों में से कोई भी अधिरोपित करने का कोई आदेश इस नियम और नियम 15 में उपबंधित तरीके से या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) द्वारा उपबंधित तरीके से, जहां उस अधिनियम के तहत ऐसी जांच की जाती है, जहां तक हो सके, जांच के बाद किया जाएगा।

(2) जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय होती है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार हैं, तो वह स्वयं इस नियम के तहत या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत, जैसा भी मामला हो, इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण की जांच या नियुक्ति कर सकता है।

बशर्ते कि जहां केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 सी के अर्थ के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायत है, वहां ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को इन नियमों के उद्देश्य से अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण माना जाएगा और शिकायत समिति, यदि यौन उत्पीड़न

की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है, तो इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जहां तक संभव हो, जांच करेगी।"

(जोर दिया गया) 39।सी. सी. एस. नियमों में उपरोक्त संशोधनों के अलावा, 2006 का स्थायी आदेश संख्या 1 (शिकायत निवारण तंत्रः महिलाओं की शिकायतों के निवारण/कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए) भी महानिदेशालय, एसएसबी, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था जिसमें शिकायत निवारण तंत्र 525 की पूरी रूपरेखा और प्रक्रिया को चित्रित किया गया था।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित।2006 के स्थायी आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"निदेशक सामान्य**,** सशस्त्र सीमा बल **(**एसएसबी**),** आर**.** के**.** पुरम**,** नई दिल्ली**-110066**

2006

स्थायी आदेश **1/2006**

सबःग्रिवेन्स रिड्रेसल मशीनःकार्यस्थल पर महिलाओं/यौन उत्पीड़न के शोक को कम करना।

1. भारत के संविधान ने महिलाओं को समानता का मौलिक अधिकार और धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का अधिकार दिया है।संविधान में अनुच्छेद 15 (3) में एक विशेष प्रावधान शामिल है, जो राज्य को कानून/प्रावधान लागू करके महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है ताकि उनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाया जा सके और उन्हें समानता प्रदान की जा सके।

2. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न उनकी गरिमा की भावना और गरिमा के साथ जीवन यापन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है और उनके मौलिक अधिकारों और उनके बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ है।बीजिंग में 1979 में अपनाए गए महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.) ने भी कार्यस्थल पर महिलाओं के समानता के अधिकार को मान्यता दी और इसमें कहा गया है कि महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा क्योंकि इस तरह का उत्पीड़न कार्य वातावरण को दूषित करता है।3. विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मानदंडों को मान्यता देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की व्याख्या की है, जो उनकी गरिमा के खिलाफ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद-14,15 और 21 में निहित "लैंगिक समानता" और "जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार" के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।ऐसी घटना के अन्य तार्किक परिणाम भी पीड़ित के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

अनुच्छेद-19 (1) (जी) के तहत 'किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना'।लैंगिक समानता में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और गरिमा के साथ काम करने का अधिकार शामिल है।

4. लैंगिक समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न और विशेष रूप से कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी प्रदान करने के लिए अधिनियमित कानून के अभाव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी कार्यस्थलों और संस्थानों में अनुपालन के लिए दिशानिर्देश और मानदंड निर्धारित किए हैं।संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन दिशानिर्देशों और मानदंडों को भूमि के कानून के रूप में माना जाना आवश्यक है।

5. भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक और स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए न्याय, उनके अधिकारों की रक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।एन. सी. डब्ल्यू. ने परिणामस्वरूप कार्यस्थल के लिए एक आचार संहिता तैयार की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को सरल तरीके से रखा गया, जिसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

विभिन्न स्तरों पर यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि विभागों में कार्यरत महिलाएं अत्यंत गरिमा के साथ काम करें और सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न से मुक्त हों।तदनुसार, एसएसबी के लिए व्यवस्थाओं की निम्नलिखित योजना तैयार की गई हैः

6. परिभाषा

यौन उत्पीड़न में किसी भी व्यक्ति द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ या प्राधिकरण में किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या निहितार्थ से, इस तरह का अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार शामिल होगा जैसे किः-

(i) शारीरिक संपर्क और प्रगति।

(ii) यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध।(iii) यौन रंग की टिप्पणियां।

(iv) ईव-टीज़िंग।

v) अप्रिय टिप्पणी।

vi) चुटकुले अजीबता या शर्मिंदगी पैदा करते हैं या पैदा करने की संभावना रखते हैं।

vii) आरोप और ताने।

viii) लिंग आधारित अपमान या लैंगिक टिप्पणी।

ix) किसी भी तरह से अवांछित यौन संबंध जैसे टेलीफोन पर (अप्रिय टेलीफोन कॉल) और इसी तरह।

x) शरीर के किसी भी हिस्से को छूना या ब्रश करना आदि।xi) अश्लील या अन्य अश्लील या अपमानजनक चित्र कार्टून, पर्चे या कथनों को प्रदर्शित करना।

xii) जबरदस्ती शारीरिक स्पर्श या छेड़छाड़।

xiii) किसी की इच्छा के खिलाफ शारीरिक विश्वास और अन्य कार्य जो किसी की निजता का उल्लंघन कर सकते हैं।

xiv) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

और इसमें किसी अधिकारी और एक लिंग से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य या आचरण शामिल है जो कैरियर के विकास की खोज में समान अवसर से इनकार करता है या इनकार करता है या अन्यथा कार्य स्थल पर वातावरण को दूसरे लिंग से संबंधित व्यक्ति के लिए शत्रुतापूर्ण या डराने वाला बनाता है, केवल लिंग के आधार पर।

मामले या उसके किसी भी घटक में किसी भी आगे की व्याख्या, विस्तार या स्पष्टीकरण के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले या राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशानिर्देशों को संदर्भित किया जा सकता है जिन्हें संलग्न किया जा रहा है।

7. इकाई के प्रमुख का कर्तव्य/कार्य स्थलों में अन्य जिम्मेदार व्यक्ति

1	वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कृत्यों या महिला कर्मचारी की शील भंग/अपमान करने वाले कृत्यों को रोकने या रोकने के लिए सभी

	आवश्यक कदम उठाएगा।
2	वह यह सुनिश्चित करेगा कि महिला कर्मचारी को यौन वस्तु के रूप में नहीं माना जाए।
3	वह इस उद्देश्य के लिए इकाई में उचित शिकायत निवारण और उपचारात्मक तंत्र प्रदान करेगा।

4	वह कार्यस्थल पर ऊपर बताए गए यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निषेध को लागू करेगा और इसे उचित तरीकों से अधिसूचित, प्रकाशित और प्रसारित कराएगा।
5	वह काम, अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थिति को बढ़ाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य स्थलों पर महिलाओं के प्रति शत्रुतापूर्ण वातावरण न हो

	और किसी भी महिला कर्मचारी के पास यह मानने के लिए उचित आधार न हो कि वह रोजगार के संबंध में वंचित है।
6	वह किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या चूक के परिणामस्वरूप यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और पीड़ित व्यक्ति को समर्थन और निवारक कार्यों के मामले में आवश्यक और उचित सहायता प्रदान करेगा।

8. आपराधिक प्रक्रियाएँ

जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत एक विशिष्ट अपराध के बराबर है, इकाई/सक्षम प्राधिकारी का प्रमुख उपयुक्त प्राधिकारी के साथ शिकायत करके कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाए।यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के पास अपराधी के स्थानांतरण या अपने स्वयं के स्थानांतरण की मांग करने का विकल्प होना चाहिए।

9. शिकायत समितियाँ

एसएसबी में दो स्तरों पर शिकायत समितियाँ मौजूद होंगी अर्थात निदेशालय में केंद्रीय शिकायत समिति और सीमा स्तर पर सीमा शिकायत समिति।

(क) केंद्रीय शिकायत समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(i)	अध्यक्ष	डी. आई. जी./कमांडेंट रैंक की एक महिला अधिकारी की नियुक्ति आई.

		जी. (पर्स) द्वारा की जाएगी।
(ख)	सदस्य-I	आई. जी. (पर्स) द्वारा एक महिला राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

iii)	सदस्य-II	एन. सी. डब्ल्यू. द्वारा मान्यता प्राप्त एन. जी. ओ. से नामांकन या एन. जी. ओ. से एक काउंसलर (एन. सी. डब्ल्यू. द्वारा मान्यता प्राप्त एन. जी. ओ. से नामांकन) समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया जाएगा।
(iv)	सदस्य-III	एडी (कानूनी) बल मुख्यालय या सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी।

(ख) सीमांत स्तर की शिकायत समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगाः-

(i)	अध्यक्ष	फ्रंटियर आई. जी. द्वारा एक राजपत्रित रैंक की महिला

		अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
(ख)	सदस्य-I	एन. जी. ओ. से एक परामर्शदाता (एन. सी. डब्ल्यू. द्वारा मान्यता प्राप्त एन. जी. ओ. से नामांकन समिति के अध्यक्ष द्वारा अनुरोध किया जाएगा)
iii)	सदस्य-II	फ्रंटियर का कानूनी अधिकारी (पूर्व आधिकारिक सदस्य)
1		समिति का अध्यक्ष उस अधिकारी/अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है।
2		जहां कहीं भी फ्रंटियर आई. जी. के पास फ्रंटियर स्तर की समिति में नियुक्त होने के लिए उच्च पद की महिला अधिकारी नहीं है (यानी, कोई एस. एस. बी., अनुरूप पद का अधिकारी उपलब्ध नहीं है, अगर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें हैं) तो आई. जी. तुरंत आई. जी. (पर्स) से संपर्क करेंगे और किसी भी केंद्र सरकार के संगठन से एक आधिकारिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग करेंगे।
3		जहाँ संगठन के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार के अन्य

	विभागों से सदस्य का सह-चयन किया जाना चाहिए।
4	यदि शिकायत स्वयं फ्रंटियर आई. जी. के खिलाफ है, तो मामले को केंद्रीय शिकायत समिति के स्तर पर देखा/देखा जाएगा।
5	शिकायतकर्ता और गवाहों की उचित सुरक्षा संबंधित इकाई/कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) केंद्रीय शिकायत समिति और सीमा शिकायत समिति के चार्टर में, अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल होंगेः

केंद्रीय शिकायत समिति		फ्रंटियर शिकायत समिति	
1	संगठन में यौन शोषण के किसी भी मामले में पूछताछ -स्वतः या शिकायत पर अपने स्तर पर पूछताछ करने या सीमा समिति को कार्य	1	सीमा के तहत यौन शोषण के किसी भी मामले की जांच।

	सौंपने के विकल्प के साथ।		
2	फ्रंटियर्स से प्राप्त रिपोर्ट सहित ऐसे सभी मामलों की निगरानी करना।	2	केंद्रीय शिकायत समिति को ऐसे सभी मामलों के प्रकाश में आने के बारे में सूचित करना और आवश्यकता के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय शिकायत समिति के साथ निकट संपर्क में काम करना।
3	इसके तार्किक अंत तक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना।	3	फ्रंटियर आई. जी. को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आगे की आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध करना।
4	आवश्य	4	केंद्रीय

	कतानुसार एम. एच. ए., अन्य निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।		शिकायत समिति को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना जैसा कि केंद्रीय समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।
5	डी. जी. द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य।	5	फ्रंटियर I 'sG द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य

6	महानिदेशालय की पर्स शाखा द्वारा केंद्रीय शिकायत समिति को सचिवीय और साजो-सामान संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय शिकायत समिति अपनी	6	एफ. टी. आर. समितियों को सचिवीय और तार्किक सहायता फ्रंटियर I 'sG द्वारा अपने स्थानीय संसाधनों से प्रदान की जाएगी। प्रथम श्रेणी के आई.

	रिपोर्ट आई. जी. (पर्स) के माध्यम से भेजेगी जो ए. डी. जी. और डी. जी., एस. एस. बी. को अवगत कराएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।		जी. यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी शिकायतों का उचित तरीके से निपटारा किया जाए। वह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत इस संबंध में विभाग के प्रमुख की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, बशर्ते कोई विशेष मामला केंद्रीय समिति के अधिकार क्षेत्र में न आए या अन्यथा केंद्रीय समिति के लिए इस मामले को उठाना उचित होगा या इसके लिए आई. जी. (पर्स/एफ. एच. क्यू.)/डी. जी., एस. एस. बी. के स्तर पर आगे की कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

10. शिकायत यंत्रवाद

यह प्रक्रिया/तंत्र मेधा कोतवाल लीले और अन्य बनाम यू. ओ. आई. और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 26.04.2004 के निर्णय के अनुसरण में तैयार किया गया है। डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) सं. 173-177-1999 और भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डी. ओ. पी. और टी अधिसूचना दिनांक 01.07.2004 पर श्रीमती द्वारा हस्ताक्षरित। प्रतिभा मोहन, फी ले No.11012/5/2001/Estt की निदेशक हैं।(ए), पैरा 6 (शिकायत तंत्र) निम्नानुसार हैः-

i) कोई भी पीड़ित व्यक्ति जल्द से जल्द शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगा।

(ii) शिकायत में कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी सामग्री और विवरण शामिल होंगे, जिसमें अपराधी का नाम भी शामिल होगा और शिकायत समिति को संबोधित की जाएगी।

iii) यदि शिकायतकर्ता को लगता है कि वह किसी विशेष कारण से अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकती है, तो शिकायतकर्ता शिकायत को फ्रंटियर आई. जी./आई. जी. (पर्स, एफ. एच. क्यू.) को संबोधित करेगी और उसे व्यक्तिगत रूप से या सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी।इस तरह की शिकायत की प्राप्ति पर, फ्रंटियर आई. जी./आई. जी. (पर्स, एफ. एच. क्यू.) मूल शिकायत को अपने पास रखेंगे और शिकायत समिति को भेजेंगे, जिसमें शिकायतकर्ता के नाम और अन्य विवरणों के अलावा सभी सामग्री और प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे, जो शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा कर सकते हैं।

iv) जैसे ही यौन उत्पीड़न के संबंध में महिलाओं की किसी भी शिकायत की जांच शिकायत समिति को सौंपी जाती है, अध्यक्ष सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 14 में परिकल्पित मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक दैनिक आदेश पत्र खोलेगा और पूरी जांच के दौरान इसे बनाए रखेगा।

v) दैनिक आदेश पत्रक में प्रविष्टियों पर शिकायत समिति के अध्यक्ष, कथित आधिकारिक अधिकारी और गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

vi) प्रारंभिक सुनवाई में अध्यक्ष को कथित अधिकारी को शिकायत का सार (आरोप के लेखों के रूप में) देना चाहिए और उससे औपचारिक रूप से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह शिकायत के आधार पर दोषी ठहराता है या नहीं।

vii) यदि आरोपों से इनकार किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को अपने बयान दर्ज करने के लिए शिकायत समिति के समक्ष अपने गवाहों को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए।

viii) शिकायतकर्ता और कथित अधिकारी द्वारा गवाहों से जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, कथित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम

1872 के अनुसार ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3566-साक्षी बनाम यू. ओ. आई. और अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के अधीन है, अर्थात "अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षा में रखे गए प्रश्न (हमारे मामले में आधिकारिक रूप से आरोपित), जो सीधे घटना से संबंधित हैं, शिकायत समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में दिए जाने चाहिए, जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के सामने ऐसी भाषा में रख सकते हैं जो स्पष्ट हो और 533 नहीं।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 534

"इस प्रकार प्रश्नों की जांच ऐसी शिकायत समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

ix) गवाहों की प्रतिपरीक्षा शालीनता के प्रति सख्त सम्मान के साथ होनी चाहिए और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ नहीं होनी चाहिए।x) शिकायत समिति द्वारा जांच के दौरान, प्रासंगिकता के प्रश्न का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाना है और पीड़ित को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

xi) कोई प्रस्तुति आधिकारिक नहीं हो सकती है, लेकिन जांच के दौरान एक रक्षा सहायक प्रदान किया जाएगा और शेष जांच सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम 1965 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार या किसी अन्य नियम के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी।

xii) गवाहों के बयान को गवाहों, कथित अधिकारी/अधिकारी और शिकायत समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना है।

xiii) गवाहों (जैसे अभियोजन पक्ष से) के बयान दर्ज करने के पूरा होने के बाद, कथित अधिकारी को बचाव, यदि कोई हो, पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाए।

xiv) समिति बचाव पक्ष और बचाव पक्ष के गवाहों, दस्तावेजों आदि की प्रतिपरीक्षा की कार्यवाही, यदि कोई हो, को दर्ज करने के बाद निर्णय/राय देगी।

xv) लिखित याचिका (सी. आर. एल.) में दिनांकित 26.4.2004 के क्रम में। सं. 173-(मेधा कोतवाल लेल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि "शिकायत समिति की रिपोर्ट को सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा।इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।" सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) नियम, 1965 के नियम 14 के उप-नियम (2) में तदनुसार संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि शिकायत समिति को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नियुक्त जांच प्राधिकरण माना जाएगाः

अधिसूचना No.11012/5/2001-Estt द्वारा ये नियम।(क) दिनांक 01.07.2004 (जी. एस. आर. 225 दिनांक 10 जुलाई, 2004) और शिकायत समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए।

xvi) शिकायत समिति से आवेदन प्राप्त होने पर, इसकी प्रति अनुशासनात्मक प्राधिकारी (समूह 'ए' अधिकारियों के मामले में सरकार) द्वारा उनके उत्तर प्रतिनिधित्व के लिए कथित अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए।

xvii) कथित अधिकारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, मामले का अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीसीएस (सीसीए) नियमों या सीआरपीएफ अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

11. व्यक्तिगत रिपोर्ट

सीमा शिकायत समिति इस अवधि के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए आवधिक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसकी एक प्रति निम्नलिखित प्रारूप में केंद्रीय शिकायत समिति को भेजेगीः-

1. घटना की तिथि।

2. घटना स्थल।

3. पद/इकाई/जी. सी./आधिकारिक सीई के साथ शिकायतकर्ता का नाम।

4. जिनके खिलाफ रैंक/यूनिट/जी. सी./ऑफ़िशियल सीई के साथ शिकायत की जाती है।5. संक्षेप में आरोप।

6. शिकायत प्राप्त होने की तिथि।

7. क्या पुलिस में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, यदि ऐसा है, तो पुलिस जांच रिपोर्ट का परिणाम है।

8. शिकायत/वर्तमान स्थिति पर की गई कार्रवाई संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ समर्थित है।

केंद्रीय शिकायत समिति जहां भी आवश्यकता होगी, गृह मंत्रालय और अन्य निकायों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।सीमाएं अर्धवार्षिक यानी जून और दिसंबर में निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

12. पर्यवेक्षक/निरीक्षण अधिकारियों का पद

वरिष्ठ अधिकारी अपनी यात्रा/अधीनस्थ संरचनाओं के निरीक्षण के दौरान अपनी बैठक और सैनिक सम्मेलनों में निर्देश को दोहराएंगे।

वे अपने संबंधित कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करेंगे।

वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में महिलाओं के लिए उचित कार्य वातावरण प्रदान किया जाए और उनके साथ किसी भी मुद्दे पर भेदभाव न किया जाए।

13. जागरूकता

इस संबंध में महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता विशेष रूप से उपयुक्त स्थानों पर दिशानिर्देशों को प्रमुखता से अधिसूचित और प्रदर्शित करके बनाई जानी चाहिए।

महिला कर्मचारियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार, व्यवस्थित कक्ष, कल्याणकारी बैठकों, सैनिक सम्मेलनों आदि के माध्यम से कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

14. बचतें

इन स्थायी आदेशों में निहित कुछ भी कर्मचारी के लिए उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, मानवाधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 1993 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत कोई कानूनी उपाय करने से नहीं रोकेगा।

15. महिलाओं के साथ समिति का संवाद

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि महिला अधिकारियों और शिकायत समिति के सदस्यों के साथ छोटे समूहों में बल की सभी महिलाओं के साथ बैठक करने जैसे सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।इससे उन्हें यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अनौपचारिक रूप से विचारों का आदान-प्रदान करने और आपसी ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी।यह महिलाओं के लिए पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए विश्वास का निर्माण करेगा।

2. इस पहलू को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब से सीमा स्तर की शिकायत समिति के सदस्य

सीमा के अपने परिचालन क्षेत्राधिकार के भीतर सभी महिलाओं के साथ-साथ महिला कर्मचारियों के साथ छोटे समूहों में बैठक आयोजित करें और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को यथासंभव बार-बार संभालने पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करें।

3. समिति उपरोक्त एस. ओ. पी. के पैरा 7 के अनुसार केंद्रीय समिति महानिदेशालय को प्रस्तुत की जाने वाली अर्धवार्षिक रिपोर्ट में आयोजित ऐसी बैठकों की संख्या, भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या, यदि कोई हो, के बारे में एक प्रगति रिपोर्ट भी शामिल करेगी।

4. सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आई. एस. जी. समिति के सदस्यों की इस तरह की यात्राओं की निगरानी करेगा।"

40. 1964 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 3 सी और 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 (2) के प्रावधान के साथ-साथ 2006 के स्थायी आदेश में केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों के संबंध में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए पूरी विधायी योजना शामिल है।

41. 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 (2) के प्रावधान में प्रावधान है कि 2006 के स्थायी आदेश के तहत यौन उत्पीड़न की जांच में, 1965 के सी. सी. एस. नियमों में निर्धारित सामान्य प्रक्रिया भी जहां तक संभव हो लागू होगी।"जहाँ तक संभव हो" अभिव्यक्ति की जांच की गई थी।

इस न्यायालय द्वारा ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य और अन्य मामले में रिपोर्ट की गई

2023 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 621 में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह यौन उत्पीड़न की जांच में संवेदनशीलता और निष्पक्षता के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता प्रदान करने के लिए है।इसने आगे कहा कि हालांकि सी. सी. एस. नियमों से एक चक्कर लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनुचित नहीं होना चाहिए।प्रासंगिक अवलोकन नीचे दिए गए हैं:-

"51. जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, जब कदाचार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित होता है, तो प्रतिवादी सं. 2-विश्वविद्यालय इस तरह की शिकायत की जांच करने के लिए, पूछताछ करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी संभालता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, जहां तक व्यवहार्य हो, जांच करे।"जहाँ तक व्यवहार्य है" अभिव्यक्ति का उपयोग एक निष्पक्ष प्रक्रिया को अपनाने के लिए शिकायत समिति के लिए उपलब्ध जोड़ों में एक खेल को इंगित करता है जो एक संवेदनशील मामले में जांच करने के लिए व्यवहार्य और लोचदार है 537

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 538

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता किए बिना कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की तरह।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक मामले में तथ्य स्थिति अलग-अलग होगी और इसलिए इस तरह की शिकायतों में जांच करने के लिए कोई निर्धारित मानक या पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता है।हालांकि, उन गंभीर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जिनके साथ जांच के अंत में अपराधी कर्मचारी से मुलाकात की जा सकती है, कोई भी विसंगत टिप्पणी या तय की गई प्रक्रियाओं से अनुचित विचलन का पालन किया जाना आवश्यक है, हालांकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मूल पर हमला करेगा, भले ही वास्तविक परिणाम के बावजूद।"

(जोर दिया गया) 42।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात आती है, तो यह जांच प्राधिकरण और अनुशासनात्मक प्राधिकरण है जिसे तथ्य-पुष्ट करने वाला प्राधिकरण कहा जा सकता है और अदालतों को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील में नहीं बैठना चाहिए और साक्ष्य की पुनः सराहना नहीं करनी चाहिए या अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की औचित्य और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता तक सीमित है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य में (1995) 6 एस. सी. सी. 749 में अभिनिर्धारित किया गया है।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"12. न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है।न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित व्यवहार प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कि प्राधिकरण जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह अदालत की नजर में आवश्यक रूप से सही है।जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों की जांच की जाती है, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण यह निर्धारित करने के लिए संबंधित होता है कि क्या जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जाता है।चाहे निर्णय या निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित हों, जांच करने की शक्ति सौंपे गए प्राधिकरण के पास तथ्य या निष्कर्ष तक पहुंचने का अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार होता है।लेकिन यह निर्णय कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए।न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही तथ्य या साक्ष्य के प्रमाण अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू होते हैं।जब प्राधिकरण स्वीकार करता है कि साक्ष्य और निष्कर्ष से समर्थन प्राप्त होता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है।न्यायालय/न्यायाधिकरण

न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति में, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और साक्ष्य पर अपने स्वयं के स्वतंत्र निर्णय पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है।

न्यायालय/न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है जहां प्राधिकरण ने अपराधी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए या जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा किया गया निष्कर्ष या निर्णय बिना किसी सबूत के आधारित है।यदि निष्कर्ष या निर्णय ऐसा होता कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी नहीं पहुंच पाता, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण निष्कर्ष या निर्णय में हस्तक्षेप कर सकता है, और राहत को ढाला जा सकता है ताकि इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।"

(जोर दिया गया) 43।विशेष रूप से यौन उत्पीड़न से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में अदालत को न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का उपयोग करने के तरीके के संबंध में, इस न्यायालय ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए. के. चोपड़ा में (1999) 1 एस. सी. सी. 759 में कहा कि अदालतों को मामूली विसंगतियों या अति-तकनीकीताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए।पूरे मामले की पृष्ठभूमि में आरोपों की सराहना की जानी चाहिए, और अदालतों को अपराधी के प्रति कोई सहानुभूति या नरमी दिखाने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए।इसने आगे कहा कि अदालतें शिकायतकर्ता के किसी भी साक्ष्य पर भरोसा करने के लिए बाध्य हैं जो विश्वास को प्रेरित करता है।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"28. ... यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोप से जुड़े मामले में, अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करने की आवश्यकता होती है और वे मामूली विसंगतियों या संकीर्ण तकनीकीताओं या शब्दकोष के अर्थ "छेड़छाड़" से प्रभावित नहीं होते हैं। शिकायत की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरी सामग्री की जांच करनी चाहिए। पीड़ित के बयान की पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहना की जानी चाहिए।जहां पीड़ित का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है, जैसा कि तत्काल मामले में स्थिति है, अदालतें उस पर भरोसा करने के लिए बाध्य हैं।ऐसे मामलों से बहुत संवेदनशीलता के साथ निपटने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी के पक्ष में सहानुभूति पूरी तरह से गलत है और दया की कोई प्रासंगिकता नहीं है।उच्च न्यायालय ने जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर दिया और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि प्रतिवादी का आचरण उसकी कनिष्ठ महिला कर्मचारी, मिस 539 के खिलाफ था।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 540

एक्स, पूरी तरह से नैतिक प्रतिबंधों, शालीनता के खिलाफ था और उसकी विनम्रता के प्रति असंवेदनशील था।इस तरह के मामले में सजा में कमी से महिला कर्मचारियों का मनोबल गिरना तय है और यह एक प्रतिगामी कदम है।उच्च न्यायालय के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था।प्रत्यर्थी का कार्य एक वरिष्ठ अधिकारी से अपेक्षित अच्छे आचरण और व्यवहार के लिए अशोभनीय था और निस्संदेह मिस एक्स का यौन उत्पीड़न था और अपीलार्थी द्वारा लगाई गई सजा इस प्रकार उसके आपत्तिजनक व्यवहार की

गंभीरता के अनुरूप थी और न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

"29. सुनवाई के समापन पर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी अपने कार्यों के लिए पश्चाताप कर रहा था और वह एक अयोग्य माफी मांगता है और वह मिस एक्स से माफी मांगने के लिए भी तैयार है। हमें डर है, ऐसे मामले में प्रत्यर्थी के प्रति कोई सहानुभूति दिखाने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है।इस तरह के मामले में किसी भी उदार कार्रवाई से कामकाजी महिलाओं का मनोबल गिरना तय है।ऐसे मामलों में सहानुभूति अनावश्यक है और दया गलत है।"

(जोर दिया गया)

44. इसी तरह, भारत संघ और अन्य बनाम मुद्रिका सिंह में रिपोर्ट की गई

2021 में एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1173 में, इस न्यायालय ने हममें से एक डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, सी. जे. आई. के माध्यम से बोलते हुए, अदालतों को विशिष्ट याचिकाओं और सेवा नियमों की अति-तकनीकी व्याख्याओं पर यौन उत्पीड़न की जांच को अमान्य करने से आगाह किया।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"47. अपना विश्लेषण समाप्त करने से पहले, हम लागू सेवा नियमों की अति-तकनीकी व्याख्याओं पर, यौन दुराचार की जांच करने वाली कार्यवाही के अमान्य होने की बढ़ती प्रवृत्ति को भी उजागर करना चाहेंगे।उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 यौन प्रकृति के कई दुराचारों को दंडित करता है और सभी सार्वजनिक और निजी संगठनों पर निवारण के लिए पर्याप्त तंत्र बनाने का आदेश देता है।हालांकि, परिवर्तनकारी कानून का अस्तित्व यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए नहीं आ सकता है यदि अपीलीय तंत्र प्रक्रिया को सजा में बदल देता है।यह महत्वपूर्ण है कि

अदालतें यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार की भावना को बरकरार रखती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों में उनके जीवन के अधिकार और गरिमा के अधिकार के हिस्से के रूप में निहित है।कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में फंसी शक्ति की गतिशीलता का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है।यौन उत्पीड़न से पीड़ित एक अधीनस्थ को अपने वरिष्ठ के यौन दुराचार की रिपोर्ट करने पर विचार करते समय कई विचारों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता एक सिपाही था जो प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत कर रहा था जो हेड कांस्टेबल था-उसका वरिष्ठ।मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, यह स्पष्ट है कि घटना की तारीख के बारे में विसंगति मामूली प्रकृति की थी क्योंकि घटना आधी रात के तुरंत

बाद और अगले दिन हुई थी।प्रत्यर्थी के खिलाफ पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य करते हुए और उसे अपने पद पर बहाल करते हुए, इस तरह के एक तुच्छ पहलू को महत्वपूर्ण प्रासंगिकता का मानना शिकायतकर्ता के उपाय को शून्य बनाता है।इस तरह की कानूनी कार्यवाही का इतिहास एक प्रमुख कारक है जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नागरिक और आपराधिक तंत्र द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध में योगदान देता है।उच्च न्यायालय, इस मामले में, न केवल कमांडेंट के अधिकार क्षेत्र और बीएसएफ अधिनियम 1968 और उसमें नियमों के तहत कारण प्रस्तुत करने के लिए एसएसएफसी के दायित्व की अपनी व्याख्या में गलत था, बल्कि कार्यवाही की गंभीरता के प्रति कठोर दृष्टिकोण भी प्रदर्शित किया।हम अदालतों से अनुरोध करते हैं कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों और वैधानिक नियमों की व्याख्या इस तरह से करें कि सभी पक्षों को प्रक्रियात्मक और ठोस न्याय मिले।"

(जोर दिया गया)

ई**. 2** क्या केंद्रीय शिकायत समिति दिनांक **18.09.2012** की दूसरी शिकायत पर गौर कर सकती थी**?**

45. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पीड़ित के नेतृत्व में शिकायत के आधार पर केंद्रीय शिकायत समिति का गठन किया था।चूंकि, जब केंद्रीय शिकायत समिति का गठन किया गया था, तब केवल एक ही शिकायत थी, अर्थात शिकायतकर्ता की पहली शिकायत दिनांक 1 थी, इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ था कि केंद्रीय शिकायत समिति को केवल उस शिकायत की जांच करने के लिए अनिवार्य और सशक्त किया गया था, जिसके लिए समिति को 541 का भुगतान करना था।

इसका अस्तित्व या दूसरे शब्दों में, वह शिकायत जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष थी जिसके कारण प्राधिकरण ने पहले स्थान पर केंद्रीय शिकायत समिति के गठन का निर्णय लिया।

46. इस मोड़ पर, 2006 के स्थायी आदेश का अधिक विशेष रूप से खंड 10 (i) का उल्लेख करना उचित होगा, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए पहला कदम निर्धारित करता है और यह प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के लिए शिकायत और निवारण तंत्र कैसे शुरू किया जाता है।उक्त प्रावधान को नीचे दोहराया जा रहा हैः-

"10. शिकायत यंत्रवाद

i) कोई भी पीड़ित व्यक्ति जल्द से जल्द शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराएगा।"

47. उपरोक्त प्रावधान के एक नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि शिकायत तंत्र "शिकायत समिति" को शिकायत किए जाने के साथ शुरू होता है और इस तरह 2006 के स्थायी आदेश

के साथ पढ़े गए 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायत की कोई भी जांच उस समय शुरू होती है जब खंड 9 में निर्दिष्ट शिकायत समिति को कोई शिकायत की जाती है, चाहे वह सीमा शिकायत समिति हो या केंद्रीय शिकायत समिति।

48. इन शब्दों का उपयोग "कोई भी पीड़ित व्यक्ति जल्द से जल्द शिकायत समिति के समक्ष शिकायत करना पसंद करेगा"

दो प्रासंगिक पहलुओं को इंगित करता है; (i) पहला, कि "वरीयता" शब्द यह निर्धारित करता है कि उक्त प्रावधान एक सक्षम प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को सीधे शिकायत समिति को यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की अनुमति देता है जो ऐसी शिकायतों पर गौर करने के लिए नामित समिति है और (ii) दूसरा, उक्त प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अर्थ शिकायत समिति के समक्ष बाद की या अतिरिक्त शिकायत को रोकने के लिए किया जा सके।

49. उपरोक्त से जो सामने आता है वह यह है कि चाहे किसी प्राधिकरण को पहले ही कोई शिकायत की जा चुकी हो, 2006 के स्थायी आदेश के खंड 10 (i) के तहत यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत समिति को भी शिकायत की जा सकती है।शिकायत समिति द्वारा अतिरिक्त या दूसरी शिकायत पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, यह पूरी तरह से अलग है और इसका पता इस आधार पर लगाया जाना चाहिए कि क्या यह जल्द से जल्द दर्ज की गई थी या नहीं।

आरोपित व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए विलंबित स्तर पर शरारतपूर्ण तरीके से नेतृत्व किया गया है।तत्काल मामले में, केंद्रीय शिकायत समिति का गठन 06.08.2012 पर किया गया था और इसकी पहली सुनवाई 25.09.2012 पर हुई थी, जबकि दूसरी शिकायत का नेतृत्व शिकायतकर्ता ने 18.09.2012 पर केंद्रीय शिकायत समिति के समक्ष किया था।इस प्रकार, दूसरी शिकायत को केंद्रीय शिकायत समिति के गठन के तुरंत बाद और इसकी पहली सुनवाई से ठीक पहले प्राथमिकता दी गई थी।

50. उच्च न्यायालय का यह तर्क कि केंद्रीय शिकायत समिति का गठन पहली शिकायत के आधार पर किया गया था, इसकी जांच का दायरा इसकी सामग्री तक ही सीमित था, पूरी तरह से गलत है क्योंकि केंद्रीय शिकायत समिति का अस्तित्व 2006 के स्थायी आदेश के कारण था न कि शिकायत के कारण।इसके अलावा, भले ही यह एक क्षण के लिए भी माना जाए कि शिकायत समिति का अस्तित्व शिकायत के कारण है, 2006 के स्थायी आदेश के खंड 10 (i) में शिकायत समिति को शिकायत के बारे में बताया गया है, यानी यह ऐसी स्थिति की परिकल्पना करता है जहां एक शिकायत समिति के अस्तित्व में आने के बाद, उसके बजाय एक शिकायत को प्राथमिकता दी जा सकती है।51. उपरोक्त संदर्भ में, हम इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

हरियाणा राज्य में और एक अन्य बनाम रतन सिंह ने (1977) 2 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया

491, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सभी सामग्री जो विवेकपूर्ण दिमाग के लिए तार्किक रूप से संभावित हैं, निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही में अनुमत होनी चाहिए।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"4. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि घरेलू जांच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य के सख्त और परिष्कृत नियम लागू नहीं हो सकते हैं।सभी सामग्री जो एक विवेकपूर्ण मन के लिए तार्किक रूप से संभावित हैं, अनुमत हैं।सुनी-सुनाई बातों से कोई एलर्जी नहीं है बशर्ते कि इसमें उचित संबंध और विश्वसनीयता हो।यह सच है कि विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को ऐसी सामग्री का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो सख्ती से प्रासंगिक नहीं है उसे स्पष्ट रूप से निगलना नहीं चाहिए। इस प्रस्ताव के लिए निर्णयों और न ही पाठ्य पुस्तकों का हवाला देना आवश्यक नहीं है, हालांकि हमें दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा मामले के कानून और अन्य अधिकारियों के माध्यम से लिया गया है।न्यायिक दृष्टिकोण का सार वस्तुनिष्ठता, बाहरी सामग्री या विचारों का बहिष्कार और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन है।बेशक, निष्पक्षता आधार है और यदि विकृति या मनमानेपन, पूर्वाग्रह 543

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 544

या निर्णय की स्वतंत्रता का समर्पण किए गए निष्कर्षों को दूषित करता है, इस तरह का निर्णय, भले ही एक घरेलू न्यायाधिकरण का हो, अच्छा नहीं माना जा सकता है।हालाँकि, निचली अदालतों ने शायद इस बात पर जोर देते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि जो यात्री अंदर आए और बाहर गए थे, उनका पीछा किया जाना चाहिए और एक वैध निर्णय दर्ज करने से पहले न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए।अमेरिकी न्यायशास्त्र के कुछ अंशों के आधार पर प्रतिवादी के वकील ने जिस 'अवशिष्ट' नियम का उल्लेख किया है, वह उस हद तक नहीं जाता है और न ही हैल्सबरी का अनुच्छेद ऐसी कठोर आवश्यकता पर जोर देता है।सरल बात यह है कि क्या कोई सबूत था या कोई सबूत नहीं था-नियमित अदालती कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले तकनीकी नियमों के अर्थ में नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष सामान्य तरीके से जिसे समझदार और सांसारिक ज्ञान वाले लोग स्वीकार करेंगे।इस तरह से देखे जाने पर, घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के प्रमाण में साक्ष्य की पर्याप्तता जांच से परे है।न्यायनिर्णयन के समर्थन में किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति निश्चित रूप से अदालत के लिए देखने के लिए उपलब्ध है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानून की त्रुटि के बराबर है।"

(जोर दिया गया) 52।रतन सिंह (ऊपर) में निर्धारित कानून के इस स्पष्ट और स्पष्ट प्रस्ताव को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि 18 तारीख की दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए केंद्रीय शिकायत समिति पर कोई कानूनी रोक नहीं थी। 09.2012.चूंकि साक्ष्य और प्रक्रिया का सख्त और तकनीकी नियम विभागीय जांच पर लागू नहीं होता है,

इसलिए "साक्ष्य" के अर्थ को संकीर्ण तकनीकी अर्थों में नहीं समझा जा सकता है क्योंकि इसमें केवल वही साक्ष्य शामिल होता है जो एक नियमित अदालत में पेश किया जाता है जब किसी व्यक्ति से शपथ लेकर गवाह के रूप में पूछताछ की जाती है।"सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य" से कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि इसमें उचित संबंध और विश्वसनीयता हो।

53. हमारे निर्णय में, कानून का सही सिद्धांत डिप्लॉक, जे. की निम्नलिखित टिप्पणियों में पाया जाता है।

कमिश्नर, एक्स पार्टी मूर ने (1965) 1 क्यू. बी. 456 में रिपोर्ट की।

" हालाँकि, साक्ष्य के ये तकनीकी नियम प्राकृतिक न्याय के नियमों का कोई हिस्सा नहीं हैं।यह आवश्यकता कि अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अपने निर्णय को साक्ष्य के आधार पर करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि यह ऐसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो तार्किक रूप से इस मुद्दे से संबंधित तथ्यों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को दर्शाती है।

निर्धारित किया जाता है, या भविष्य की किसी घटना की घटना की संभावना या अप्रत्याशितता को दिखाने के लिए जिसकी घटना प्रासंगिक होगी।इसका मतलब है कि उसे कोई सिक्का नहीं घुमाना चाहिए या किसी ज्योतिषी से परामर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे किसी भी ऐसी सामग्री को ध्यान में रखना चाहिए, जिसका कारण के रूप में कुछ संभावित मूल्य हो।यदि यह कोई संभावित मूल्य रखने में सक्षम है, तो इससे जुड़ा वजन उस व्यक्ति का मामला है जिसे संसद ने इस मुद्दे को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है।उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता इसे इस जिम्मेदारी को हड़पने और उसके लिए अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं देती है।"

(जोर दिया गया) 54।उपरोक्त मामले की कानून से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक दृष्टिकोण और वस्तुनिष्ठता, बाहरी सामग्री के बहिष्कार और प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के शासन के पालन को ध्यान में रखते हुए, किसी भी प्रमाण को स्वीकार करने, उस पर भरोसा करने और मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए खुला है।संक्षेप में, सिद्धांत का सार यह है कि जांच में अपराधी को उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उसे बेल्ट के नीचे नहीं मारा जाना चाहिए।इसके अलावा, ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वास्तव में सीमित है।उच्च न्यायालय को अपीलीय शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए गए निर्णयों के लिए अपने निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि "कोई सबूत नहीं है" या निर्णय "इतना अनुचित है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस पर नहीं आ सकता था", या निर्णय तर्क या स्वीकृत नैतिक मानकों की अवहेलना में "इतना अपमानजनक" है कि कोई भी

समझदार व्यक्ति जिसने तय किए जाने वाले प्रश्न पर अपना दिमाग नहीं लगाया था, उस पर नहीं पहुंच सकता था "या यह इतना बेतुका है कि किसी को संतुष्ट किया जाता है कि निर्णय लेने वाले ने अपनी इंद्रियों से छुट्टी ले ली होगी", तो यह एक सक्षम अदालत द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है।

55. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि यौन उत्पीड़न और दुराचार जैसे संवेदनशील मामलों में, शिकायतकर्ता के पूरे साक्ष्य को देखने का दायित्व है जो विश्वास को प्रेरित करता है।उपरोक्त से जो स्पष्ट है वह यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के दस्तावेजों और साक्ष्य या अभिवचन जैसी सामग्रियों में, चाहे वह बचाव का बयान हो या शिकायत, अदालतों द्वारा आसानी से विचार किया जाना चाहिए और विशेष रूप से अनुशासनात्मक और जांच अधिकारियों द्वारा, इस बात की परवाह किए बिना कि अंतिम निर्णय लेने में उन पर बाद में वास्तव में भरोसा किया जाता है या नहीं।इस प्रकार, यह मान लेना काफी बेतुका होगा कि 545

शिकायतकर्ता को केंद्रीय शिकायत समिति के समक्ष दूसरी शिकायत करने से केवल इसलिए रोका गया था क्योंकि वह पहले ही आई. जी., फ्रंटियर हेडक्वार्टर, गुवाहाटी को एक शिकायत कर चुकी थी।

56. दूसरी शिकायत के संदर्भ में, एकमात्र प्रासंगिक पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ था।यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी को दूसरी शिकायत की प्रति प्रदान की गई थी।यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति से अवगत था।यह भी विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी को दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों से निपटने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी आश्चर्यचकित था।ऐसी परिस्थितियों में, मामले के इस पहलू को उच्च न्यायालय द्वारा "पूर्वाग्रह की परीक्षा" के सिद्धांत के आधार पर देखा जाना चाहिए था।

i) सेवा न्यायशास्त्र में **"**पूर्वाग्रह की परीक्षा**"** का सिद्धांत

57. "पूर्वाग्रह का परीक्षण" कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसे किसी भी प्रक्रियात्मक अनुचितता या ऑडी अल्टरम के नियम के उल्लंघन पर लागू किया जा सकता है।

आरोप लगाया जाता है।स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य बनाम एस. के. शर्मा में यह न्यायालय

(1996) 3 एस. सी. सी. 364 में सूचित किया गया कि परीक्षण यह पता लगाने के लिए है कि क्या ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रिया के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह पैदा हुआ या निष्पक्ष सुनवाई का नुकसान हुआ।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“11. ..... क्या इसका मतलब यह है कि नियमों का कोई भी और हर उल्लंघन जांच और सजा को अमान्य कर देता है या क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में भी धारा 99 सी. पी. सी. और धारा 465 सी. आर. पी. सी. का अंतर्निहित सिद्धांत लागू होता है।हमारी राय में, ऐसे मामलों में परीक्षण पूर्वाग्रह का होना चाहिए, जैसा कि बाद में इस निर्णय में समझाया जाएगा। लेकिन यह कथन एक सवार के अधीन है।विनियमों में कुछ ठोस प्रावधान हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जो किसी विशेष कर्मचारी/अधिकारी पर एक विशेष दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।इन प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।लेकिन प्रक्रियात्मक प्रावधानों की कोई भी संख्या हो सकती है जो एक अलग आधार पर खड़े हैं।हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों के बीच भी कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो मौलिक प्रकृति के हों, जिनके मामले में पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है।उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां एक नियम स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि अपराधी अधिकारी/कर्मचारी को पेश करने का अवसर दिया जाएगा।

दूसरे पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद उसके मामले के समर्थन में साक्ष्य/सामग्री।यदि अनुरोध के बावजूद ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि जांच दूषित नहीं है।लेकिन कई प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में, पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत या पूर्वाग्रह की परीक्षा को लागू करना संभव होगा, जैसा भी मामला हो।स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में कहा जा सकता हैः(1) मूल प्रकृति के विनियमों का पालन किया जाना चाहिए और ऐसे प्रावधानों के मामले में, पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध नहीं होगा।(2) प्रक्रियात्मक प्रावधानों के बीच भी, मौलिक प्रकृति के कुछ प्रावधान हो सकते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए और जिनके मामले में, पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध नहीं हो सकता है।(3) मौलिक प्रकृति के अलावा अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में, पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध होगा।ऐसे मामलों में, इस आधार पर शिकायत/आपत्ति को पूर्वाग्रह की कसौटी पर आंका जाना चाहिए, जैसा कि बाद में इस फैसले में समझाया गया है।दूसरे शब्दों में, परीक्षण हैःसभी चीजों को एक साथ लिया जाता है चाहे अपराधी अधिकारी/कर्मचारी की निष्पक्ष सुनवाई हुई हो या नहीं।हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रावधान उपरोक्त श्रेणियों में से किस में आता है, यह प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रावधान की प्रकृति और चरित्र को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना है।

XXX

XXX

XXX

28. ... हमारी सम्मानजनक राय में, तय किए गए मामलों से उभरने वाले सिद्धांतों को अनुशासनात्मक आदेशों और पूछताछ के संबंध में निम्नलिखित शब्दों में कहा जा सकता हैः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन और उक्त सिद्धांत के एक पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, "कोई सूचना नहीं"/"कोई सुनवाई नहीं" और "पर्याप्त सुनवाई नहीं" या इसे अलग-अलग शब्दों में रखने के लिए, "कोई अवसर नहीं" और "कोई पर्याप्त अवसर नहीं" के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए-एक ऐसे मामले को लें जहां व्यक्ति को पूरी तरह से सुने बिना सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है (जैसा कि रिज बनाम बाल्डविन [1964 एसी 40:(1963) 2 सभी ईआर 66:(1963) 2 डब्ल्यूएलआर 935])। यह प्रथम श्रेणी के तहत आने वाला मामला होगा और बर्खास्तगी का आदेश अमान्य होगा-या शून्य, अगर कोई उस अभिव्यक्ति का उपयोग करने का विकल्प चुनता है (केल्विन बनाम कैर [1980 एसी 574:(1979) 2 सभी ई. आर. 440:(1979) 2 डब्ल्यूएलआर 755, पीसी])। लेकिन जहां व्यक्ति को 547 से बर्खास्त किया जाता है

सेवा, मान लीजिए, उन्हें जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान किए बिना (प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल बनाम बी. करुणाकर [(1993) 4 एससीसी 727:1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184:(1993) 25 ए. टी. सी. 704)) या उसे गवाह से जिरह करने का उचित अवसर दिए बिना (के. एल. त्रिपाठी [(1984) 1 एस. सी. सी. 43:1984 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 62]) यह बाद की श्रेणी में आने वाला मामला होगा-प्राकृतिक न्याय के उक्त नियम के एक पहलू का उल्लंघन-इस मामले में, आदेश की वैधता को पूर्वाग्रह की कसौटी पर जांचना होगा, यानी, कुल मिलाकर, संबंधित व्यक्ति ने निष्पक्ष सुनवाई की या नहीं। उपरोक्त निर्णयों के आलोक में यह कहना सही नहीं होगा कि प्राकृतिक न्याय के किसी भी पहलू या ऐसे पहलू को शामिल करने वाले नियम के किसी भी और हर उल्लंघन के लिए, पारित आदेश पूरी तरह से अमान्य है और आगे की जांच के बिना इसे दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हमारी राय में, बी. करुणाकर [(1993) 4 एस. सी. सी. 727 में अपनाया गया दृष्टिकोण और परीक्षणः 1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184:(1993) 25 ए. टी. सी. 704] को उन सभी मामलों को नियंत्रित करना चाहिए जहां शिकायत यह नहीं है कि कोई सुनवाई (कोई सूचना, कोई अवसर और कोई सुनवाई) नहीं थी, बल्कि उचित सुनवाई (यानी, पर्याप्त या पूर्ण सुनवाई) का आदेश नहीं दिया गया था या जांच को नियंत्रित करने वाले प्रक्रियात्मक नियम या आवश्यकता का उल्लंघन किया गया था; शिकायत की जांच उपरोक्त पूर्वाग्रह की कसौटी पर की जानी चाहिए।

XXX XXX XXX

33. हम उपरोक्त चर्चा से उभरने वाले सिद्धांतों का सारांश दे सकते हैं। (ये किसी भी तरह से संपूर्ण होने के लिए नहीं हैं और अनुशासनात्मक पूछताछ और कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा लगाए गए दंड के आदेशों के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए विकसित किए गए हैं):(1) इस तरह की

पूछताछ को नियंत्रित करने वाले नियमों/विनियमों/वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में अनुशासनात्मक/विभागीय जांच के परिणामस्वरूप एक कर्मचारी पर दंड लगाने के लिए पारित आदेश को स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जाना चाहिए।न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह जांच करनी चाहिए कि क्या (क) उल्लंघन किया गया प्रावधान मूल प्रकृति का है या (ख) क्या यह प्रक्रियात्मक प्रकृति का है।

(2) जैसा कि यहाँ पहले बताया गया है, आम तौर पर एक मूल प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए और ऐसे मामले में पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत या पूर्वाग्रह का परीक्षण लागू नहीं होगा।

(3) प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, स्थिति यह है:प्रक्रियात्मक प्रावधान आम तौर पर अपराधी अधिकारी/कर्मचारी को एक उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए होते हैं।आम तौर पर, उनकी कल्पना उनके हित में की जाती है।किसी भी और प्रत्येक प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन को स्वतः आयोजित जांच या पारित आदेश को दूषित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।"कोई नोटिस नहीं", "कोई अवसर नहीं" और "कोई सुनवाई नहीं" श्रेणियों के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर, प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन की शिकायत की जांच पूर्वाग्रह के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।, क्या इस तरह के उल्लंघन ने अपराधी अधिकारी/कर्मचारी को उचित रूप से और प्रभावी रूप से अपना बचाव करने में बाधा पहुँचाई है।यदि यह पाया जाता है कि वह इतना पूर्वाग्रहपूर्ण रहा है, तो जांच और/या सजा के आदेश को दरकिनार करने सहित पूर्वाग्रह को सुधारने और सुधारने के लिए उचित आदेश दिए जाने चाहिए। यदि इसके परिणामस्वरूप कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं होता है, तो यह स्पष्ट है कि किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में, यह याद रखा जा सकता है कि कुछ प्रक्रियात्मक प्रावधान हो सकते हैं जो एक मौलिक चरित्र के हैं, जिनका उल्लंघन अपने आप में पूर्वाग्रह का प्रमाण है।न्यायालय ऐसे मामलों में पूर्वाग्रह के प्रमाण पर जोर नहीं दे सकता है।जैसा कि निर्णय के मुख्य भाग में समझाया गया है, एक ऐसा मामला लें जहां स्पष्ट रूप से एक प्रावधान है कि नियोक्ता/सरकार का साक्ष्य समाप्त होने के बाद, कर्मचारी को अपने साक्ष्य में बचाव का नेतृत्व करने का अवसर दिया जाएगा, और किसी दिए गए मामले में, अपराधी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसकी मांग करने के बावजूद जांच अधिकारी उस अवसर को नहीं देता है।पूर्वाग्रह स्वयं स्पष्ट है। ऐसे मामले में पूर्वाग्रह का कोई सबूत नहीं मांगा जाना चाहिए।दोहराने के लिए, परीक्षण पूर्वाग्रह का एक है, यानी, क्या व्यक्ति को सभी चीजों पर विचार करते हुए निष्पक्ष सुनवाई मिली है।अब, इस पहलू को निर्देशिका और अनिवार्य प्रावधानों के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, यदि कोई इतना इच्छुक है।नीचे दिए गए (4) के तहत बताया गया सिद्धांत उसी पहलू को देखने का एक और तरीका है, जिस पर यहां चर्चा की गई है, न कि एक अलग या विशिष्ट सिद्धांत।(4)(क) एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के मामले में जो एक अनिवार्य चरित्र का नहीं है, उल्लंघन की शिकायत

की पर्याप्त अनुपालन के दृष्टिकोण से जांच की जानी चाहिए।जो भी हो, ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पारित आदेश 549 हो सकता है।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 550

जहां इस तरह के उल्लंघन ने अपराधी कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया हो, केवल वहीं अलग रखा जाए।

(ख) एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, जो एक अनिवार्य चरित्र का है, यह पता लगाना होगा कि क्या प्रावधान की कल्पना उस व्यक्ति के हित में की गई है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है या सार्वजनिक हित में।यदि यह पहला पाया जाता है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या अपराधी अधिकारी ने उक्त आवश्यकता को स्पष्ट रूप से या अपने आचरण से माफ कर दिया है।यदि पाया जाता है कि उसने इसे माफ कर दिया है, तो सजा के आदेश को उक्त उल्लंघन के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है।दूसरी ओर, यदि यह पाया जाता है कि अपराधी अधिकारी/कर्मचारी ने इसे माफ नहीं किया है या उसके द्वारा प्रावधान को माफ नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण को बी. करुणाकर [(1993) 4 एस. सी. सी. 727 में संविधान पीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उचित निर्देश (सजा के आदेश को रद्द करना शामिल है) देना चाहिए:1993 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 1184:(1993) 25 एटीसी 704]।अंतिम परीक्षा हमेशा एक ही होती है।, पूर्वाग्रह का परीक्षण या निष्पक्ष सुनवाई का परीक्षण, जैसा कि इसे कहा जा सकता है।

(5) जहां जांच किसी भी नियम/विनियम/वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित नहीं होती है और एकमात्र दायित्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना है-या, उस मामले के लिए, जहां भी ऐसे सिद्धांतों को आदेश/कार्रवाई की प्रकृति और प्रभाव से निहित माना जाता है-न्यायालय या न्यायाधिकरण को प्राकृतिक न्याय (ऑडी अल्टरम पार्टेम का नियम) के पूर्ण उल्लंघन और उक्त नियम के एक पहलू के उल्लंघन के बीच अंतर करना चाहिए, जैसा कि निर्णय के मुख्य भाग में समझाया गया है।दूसरे शब्दों में, "कोई अवसर नहीं" और "पर्याप्त अवसर नहीं" के बीच अंतर किया जाना चाहिए, यानी, "कोई सूचना नहीं"/"कोई सुनवाई नहीं" और "कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं" के बीच।(क) पूर्व के मामले में, पारित आदेश निस्संदेह अमान्य होगा (यदि कोई चाहे तो इसे 'शून्य' या शून्य कह सकता है)।ऐसे मामलों में, आम तौर पर, प्राधिकरण के लिए कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता आरक्षित होगी, यानी उक्त नियम (ऑडी अल्टरम पार्टेम) के अनुसार।(ख) लेकिन बाद के मामले में, उल्लंघन (ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम के एक पहलू के) के प्रभाव की जांच दृष्टिकोण से की जानी चाहिए।

दूसरे शब्दों में, न्यायालय या न्यायाधिकरण को जो देखना है वह यह है कि परिस्थितियों की समग्रता में, अपराधी अधिकारी/कर्मचारी ने निष्पक्ष सुनवाई की या नहीं और किए जाने वाले आदेश उक्त प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करेंगे।[यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सिद्धांत (संख्या 5) पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम के मामले में लागू नहीं होता है, वह परीक्षण जिसमें पक्ष कहीं और निर्धारित किया गया है।]

(6) ऑडी अल्टरम पार्टेम (प्राकृतिक न्याय का प्राथमिक सिद्धांत) के नियम को लागू करते समय न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण को हमेशा उक्त नियम के अंतर्निहित अंतिम और प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात।, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय की विफलता न हो।यही उद्देश्य है जो उनके सामने आने वाली अलग-अलग स्थितियों में नियम को लागू करने में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।

(7) ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ राज्य के हितों या सार्वजनिक हित के लिए ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम में कटौती की आवश्यकता हो सकती है।ऐसी स्थितियों में, न्यायालय को प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता के साथ सार्वजनिक/राज्य के हित को संतुलित करना पड़ सकता है और एक उचित निर्णय पर पहुंचना पड़ सकता है।"

(जोर दिया गया)

58. यू. पी. राज्य के मामले में बनामहरेंद्र अरोड़ा और एक अन्य

(2001) 6 एस. सी. सी. 392 में प्रतिवेदित, इस न्यायालय ने "पूर्वाग्रह की परीक्षा" की प्रयोज्यता का विस्तार प्रक्रियात्मक प्रावधानों तक किया जो प्रकृति में मौलिक हैं और निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"13. इस मामले की जांच दूसरे दृष्टिकोण से की जा सकती है।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां वैधानिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों का उल्लंघन होता है।क्या यह कहा जा सकता है कि इस तरह के प्रत्येक उल्लंघन से परिणामी कार्रवाई अमान्य और/या अमान्य हो जाएगी?कानून में कुछ ठोस प्रावधान हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, जो किसी विशेष कर्मचारी को विशेष सजा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।इस तरह के प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि इन मामलों में पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध नहीं हो सकता है।उदाहरण के लिए, जहां एक नियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि अपराधी अधिकारी को 551 के बाद अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

दूसरे पक्ष के साक्ष्य के करीब और यदि ऐसा कोई अवसर नहीं दिया जाता है, तो यह कहना संभव नहीं होगा कि जांच को दूषित नहीं किया गया था।लेकिन कई प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में, पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत या पूर्वाग्रह की परीक्षा को लागू करना संभव होगा, जैसा भी मामला हो।प्रक्रियात्मक प्रावधानों के बीच भी, मौलिक प्रकृति के कुछ प्रावधान हो सकते हैं

जिनका पालन किया जाना चाहिए और जिनके मामले में पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्वाग्रह का सवाल भौतिक हो सकता है।मौलिक प्रकृति के अलावा अन्य प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में, पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उपलब्ध होगा और ऐसे मामलों में इन अंकों पर आपत्तियों को पूर्वाग्रह की कसौटी पर आंका जाना चाहिए।परीक्षण यह होगा कि क्या अपराधी अधिकारी ने निष्पक्ष सुनवाई की थी या नहीं।..."

(जोर दिया गया) 59।अब हम अगले प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या प्रतिवादी से केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा पूछा गया था कि क्या उसने दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया था।उच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिकायत समिति की रिपोर्ट का हवाला देने के बाद पाया कि जब प्रतिवादी से पूछा गया कि क्या उसने पहली शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया है, तो यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था कि दूसरी शिकायत के संबंध में भी यही अभ्यास किया गया था।60. उपरोक्त संदर्भ में, हमें 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 उप-नियम (9) पर विचार करना चाहिए।उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः-

"14. बड़े दंड लगाने की प्रक्रिया।

(9) यदि सरकारी कर्मचारी जिसने अपने बचाव के लिखित बयान में किसी भी आरोप के लेख को स्वीकार नहीं किया है या बचाव का कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया है, तो पूछताछ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होता है, तो ऐसा प्राधिकरण उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसके पास कोई बचाव करने के लिए है और यदि वह किसी भी आरोप के लेख के लिए दोषी ठहराता है, तो पूछताछ प्राधिकरण याचिका दर्ज करेगा, रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।"

61. प्राधिकरण की ओर से यह पूछने का दायित्व है कि क्या उसने दोषी ठहराया है या उसे कोई बचाव करना है, केवल उन परिस्थितियों में है, यदि अपराधी ने निम्नलिखित में से किसी भी लेख को स्वीकार नहीं किया था।

अपने बचाव के लिखित बयान में आरोप लगाया या बचाव का कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया था।निर्विवाद रूप से, मामले में, प्रतिवादी ने समिति द्वारा जांच किए गए निर्धारण के लिए बनाए गए दस बिंदुओं पर सभी आरोपों से निपटने के लिए अपने बचाव के लिखित बयान का नेतृत्व किया था और उसी पर सभी गवाहों से जिरह भी की थी।

62. हमारी राय में, 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 (9) का केवल उल्लंघन पूरी जांच को दूषित नहीं करेगा।नियम 14 (9) केवल प्रक्रियात्मक है।63. इसी तरह का दृष्टिकोण हाल ही में ऑरेलियानो फर्नांडीस (उपरोक्त) में लिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने अपराधी

के पूर्वाग्रह के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री विधिवत प्रस्तुत की गई थी और उसने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया था। प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"64.... लेकिन यह विवाद में नहीं है कि समय-समय पर प्राप्त सभी शिकायतों और शिकायतकर्ताओं के बयानों का खुलासा अपीलार्थी को किया गया था।इसलिए, वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे।न केवल उन्हें दी गई जांच के दौरान उनके खिलाफ प्रस्तावित सामग्री का उपयोग किया गया था, बल्कि उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करके और गवाहों की एक सूची प्रस्तुत करके उक्त सामग्री को समझाने के लिए भी कहा गया था, जो उन्होंने किया।इसके अलावा, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर, यह स्पष्ट होता है कि समिति द्वारा कुछ शिकायतकर्ताओं के बयान ऑडियो-विजुअली रिकॉर्ड किए गए थे, जहां भी सहमति दी गई थी और अपीलकर्ता को शिकायतकर्ताओं सहित उक्त गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया गया था।सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप अपीलार्थी द्वारा विशेष सी उदाहरणों के विवरण के साथ यौन उत्पीड़न के थे।इसलिए, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, समिति द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को तैयार न करने को घातक नहीं माना जा सकता है।न ही अपीलार्थी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति के बारे में पूरी तरह से अंधेरे में था और उचित रूप से जवाब देने की स्थिति में नहीं था।"

(जोर दिया गया) 64।ई. सी. आई. एल. के प्रबंध निदेशक में इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ,

हैदराबाद और अन्य बनाम बी. करुणाकर और अन्य (1993) 4 में रिपोर्ट किए गए

एस. सी. सी. 727 ने अभिनिर्धारित किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पूर्वाग्रह 553 के कारण हुआ था।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 554

एक प्रक्रियात्मक नियम या प्राकृतिक न्याय के पहलू का उल्लंघन, यह दिखाया जाना चाहिए कि उल्लंघन का परिणाम या लगाए गए दंड पर कुछ असर पड़ा था।प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

"30.[v] अगले प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि जब कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है तो सजा के आदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में उसे क्या राहत दी जानी चाहिए।इस प्रश्न का उत्तर दिए गए दंड के सापेक्ष होना चाहिए।जब कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा से हटा दिया जाता है और जांच को अलग कर दिया जाता है क्योंकि रिपोर्ट उसे प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो कुछ मामलों में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने से उसे गंभीर रूप से पूर्वाग्रह हो सकता है जबकि अन्य मामलों में इससे उसे दिए गए अंतिम दंड में कोई अंतर नहीं आया होगा।इसलिए सभी मामलों में पिछले वेतन के साथ कर्मचारी

की सीधी बहाली न्याय के नियमों को एक यांत्रिक अनुष्ठान में कम करना है।उचित अवसर के सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कानून के शासन को बनाए रखने और व्यक्ति को अपने न्यायपूर्ण अधिकारों को सही साबित करने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया है।वे आह्वान किए जाने वाले मंत्र नहीं हैं और न ही सभी और विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले संस्कार हैं।वास्तव में, कर्मचारी को रिपोर्ट देने से इनकार करने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, जहां रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी, कोई अलग परिणाम नहीं हुआ होगा, वहां कर्मचारी को फिर से काम शुरू करने और सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने की अनुमति देना न्याय की विकृति होगी।यह बेईमान और दोषी को पुरस्कृत करने के बराबर है और इस प्रकार न्याय की अवधारणा को अतार्किक और उत्तेजक सीमाओं तक फैलाने के बराबर है।यह "प्राकृतिक न्याय के अप्राकृतिक विस्तार" के बराबर है जो अपने आप में न्याय के विरोधी है।

31. इसलिए, उन सभी मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपराधी कर्मचारी को जांच आधिकारिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, अदालतों और न्यायाधिकरणों को पीड़ित कर्मचारी को रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, यदि उसने अदालत/न्यायाधिकरण में आने से पहले ही इसे हासिल नहीं किया है और कर्मचारी को यह दिखाने का अवसर देना चाहिए कि रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण उसका मामला कैसे पूर्वाग्रहपूर्ण था।यदि पक्षकारों को सुनने के बाद, न्यायालय/न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति होगी

अंतिम निर्णय और दी गई सजा में कोई अंतर नहीं होने पर, न्यायालय/न्यायाधिकरण को सजा के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।न्यायालय/न्यायाधिकरण को दंड के आदेश को इस आधार पर रद्द नहीं करना चाहिए कि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी जैसा कि वर्तमान में खेदजनक रूप से किया जा रहा है।..."

(जोर दिया गया) 65।इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त उक्ति को लागू करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था, भले ही हम मानते हों कि उसे दूसरी शिकायत के लिए दोषी ठहराने के लिए नहीं कहा गया था।यदि प्रत्यर्थी से पूछा जाता कि क्या वह दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी है, तो ऐसी परिस्थितियों में, क्या परिणाम कुछ अलग होता?इसका जवाब एक जोरदार "नहीं" होना चाहिए।हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रतिवादी ने उन सभी दस आरोपों से इनकार किया था जो उसके खिलाफ बनाए गए थे।दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थी ने अपने बचाव के लिखित बयान के माध्यम से सभी दस बिंदुओं का जवाब दिया और यहां तक कि प्रत्येक आरोप पर गवाहों से जिरह करने का अवसर भी मिला।

66. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने में पूरी तरह विफल रहा, और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को इस

आधार पर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा कि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि प्रतिवादी से पूछा गया था कि क्या उसने "पूर्वाग्रह की परीक्षा" के सिद्धांत को लागू किए बिना दूसरी शिकायत में लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया था।

ई**. 3.** क्या केंद्रीय शिकायत समिति विभागीय जांच में गवाहों से सवाल पूछ सकती थी**?**

i) अनुशासनात्मक कार्यवाही में **"**तथ्य खोज**"** प्राधिकरण

67. उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय शिकायत समिति ने जाँच के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल किए थे, और यहाँ तक कि जाँच-प्रधान को भी उसके द्वारा दर्ज किया गया था, और इस तरह उसने एक अभियोजक की भूमिका निभाई जो उसके पास नहीं हो सकती थी, जिससे जाँच की कार्यवाही दूषित हो गई।

68. आम तौर पर, 1965 के सी. सी. एस. नियमों के नियम 14 के तहत आयोजित अनुशासनात्मक कार्यवाही में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियम 14 उप-नियम 2 के अनुसार उप-नियम 5 (सी) के साथ पढ़ा जा सकता है या तो स्वयं जांच कर सकता है या 555 को नियुक्त कर सकता है।

जाँच करने के लिए जाँच समिति।जाँच समिति आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर सकती है।यह ध्यान देने योग्य है कि यह जांच प्राधिकरण और अनुशासनात्मक प्राधिकरण हैं जो एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में वास्तव में सहायक अधिकारी हैं।नियम 14 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“14. बड़े दंड लगाने की प्रक्रिया।

(2) जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय होती है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कदाचार या दुर्व्यवहार के किसी भी आरोप की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार हैं, तो वह स्वयं इस नियम के तहत या लोक सेवक (पूछताछ) अधिनियम, 1850 के प्रावधानों के तहत, जैसा भी मामला हो, इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण की जांच या नियुक्ति कर सकता है।

XXX

XXX

XXX

(5)(ग) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी स्वयं किसी आरोप की जांच करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए एक जांच प्राधिकरण नियुक्त करता है, वह एक आदेश द्वारा, एक सरकारी कर्मचारी या एक कानूनी व्यवसायी को नियुक्त कर सकता है, जिसे आरोप के लेखों के समर्थन में

अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए "प्रस्तुत करने वाला अधिकारी" के रूप में जाना जाएगा।”

69. उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा एक 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' नियुक्त किया गया है, वहां ऐसा अधिकारी आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में मामला प्रस्तुत करेगा।इसके विपरीत, उपरोक्त से जो तार्किक रूप से स्पष्ट होता है वह यह है कि, जहां कोई प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, आरोप के लेखों के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने का कर्तव्य या भूमिका अनुशासनात्मक प्राधिकरण या जांच प्राधिकरण पर वापस आती है, जैसा भी मामला हो।

70. यह न्यायालय मेधा कोतवाल लेल और अन्य बनाम संघ

भारत और अन्य ने (2013) 1 एस. सी. सी. 311 में बताया कि विशाखा दिशानिर्देशों के तहत शिकायत समिति को जांच प्राधिकरण माना जाएगा।संबंधित भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“ विशाखा मामला (1997) 6 एस. सी. सी. 241 में अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय द्वारा परिकल्पित शिकायत समितिः1997 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 932, पी.253, केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 (इसके बाद कॉल) के प्रयोजनों के लिए एक जांच प्राधिकरण माना जाएगा।

सी. सी. एस. नियम) और शिकायत समिति की रिपोर्ट को सी. सी. एस. नियमों के तहत एक जांच रिपोर्ट माना जाएगा।इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।”

(जोर दिया गया)

71. इस न्यायालय ने साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में रिपोर्ट दी

(2004) 5 एस. सी. सी. 518 में कहा गया था कि अक्सर संवेदनशील मामलों में विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ित या तो डर या शर्मिंदगी के कारण पूरी घटना का खुलासा करने में सक्षम नहीं होते हैं।अक्सर पीड़ितों को उनकी गवाही के दौरान आरोपी द्वारा शर्म से भ्रमित करने या दबाने के एकमात्र उद्देश्य से शर्मनाक सवाल पूछे जाते थे। इसके समाधान के लिए, इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि पीड़ितों से जिरह के लिए, प्रश्न पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा जो बदले में उनसे स्पष्ट भाषा में पूछेगा जो शर्मनाक नहीं है।प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“32. अभियुक्त को केवल देखने से पीड़ित या गवाहों के मन में अत्यधिक भय पैदा हो सकता है या वे सदमे की स्थिति में आ सकते हैं।ऐसी स्थिति में वह घटना का पूरा विवरण देने में सक्षम नहीं हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है।इसलिए, एक पर्दा या कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहां पीड़ित या गवाह को शरीर या आरोपी का चेहरा देखने के आघात से नहीं गुजरना पड़े।अक्सर प्रतिपरीक्षा में रखे गए प्रश्न जानबूझकर बलात्कार और बाल शोषण के पीड़ितों को शर्मिंदा करने या भ्रमित करने के लिए बनाए जाते हैं।उद्देश्य यह है कि शर्म या शर्मिंदगी की भावना से, पीड़ित आरोपी द्वारा किए गए कुछ कृत्यों के बारे में न तो बोल सकता है और न ही विवरण दे सकता है।इसलिए, बेहतर होगा कि अभियुक्त द्वारा जिरह में रखे जाने वाले प्रश्न अदालत के पीठासीन अधिकारी को लिखित रूप में दिए जाएं, जो इसे पीड़ित या गवाहों को ऐसी भाषा में दे सकता है जो शर्मनाक न हो।याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अन्य सुझाव पर शायद ही कोई आपत्ति हो कि जब भी किसी बच्चे या बलात्कार की पीड़ित को गवाही देने की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त अवकाश दिए जाने चाहिए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) के प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 354 और 377 के तहत अपराधों की जांच या मुकदमे में भी लागू होने चाहिए।

XXX

XXX

XXX 557

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 558

“34. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उप-धारा (2) के प्रावधान, उप-धारा में उल्लिखित अपराधों के अलावा, आई. पी. सी. की धारा 354 और 377 के तहत अपराधों की जांच या मुकदमे में भी लागू होंगे। (2) बाल यौन शोषण या बलात्कार का मुकदमा चलाने मेंः

(i) एक पर्दा या कुछ ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जहां पीड़ित या गवाह (जो पीड़ित की तरह समान रूप से कमजोर हो सकते हैं) आरोपी के शरीर या चेहरे को नहीं देखते हैं;

((ख) अभियुक्त की ओर से जिरह में रखे गए प्रश्न, जहाँ तक वे सीधे घटना से संबंधित हैं, लिखित रूप में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिए जाने चाहिए जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के सामने ऐसी भाषा में रख सकते हैं जो स्पष्ट हो और शर्मनाक न हो।

((iii) बाल शोषण या बलात्कार की पीड़ित को अदालत में गवाही देते समय आवश्यकता पड़ने पर पर्याप्त अवकाश की अनुमति दी जानी चाहिए।”

(जोर दिया गया) 72।गवाहों से प्रश्न पूछने की शिकायत समिति की शक्ति और विवेकाधिकार का 2006 के स्थायी आदेश के खंड 10 (viii) में निहित रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें

प्रावधान है कि अपराधी अधिकारी शिकायतकर्ता से सीधे जिरह नहीं करेगा और इसके बजाय समिति के अध्यक्ष को प्रश्न सौंपेगा, जो बाद में उन्हें शिकायतकर्ता को सौंपेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ता को कोई डर या शर्मिंदगी न हो।प्रावधान इस प्रकार हैः

"10. शिकायत यंत्रवाद

viii) शिकायतकर्ता और कथित अधिकारी द्वारा गवाहों से जिरह की अनुमति दी जानी चाहिए। हालाँकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार कथित अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा की अनुमति है, जो ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3566-साक्षी बनाम में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्देशों के अधीन है। यू. ओ. आई. और अन्य, अर्थात "अभियुक्त की ओर से जिरह में रखे गए प्रश्न"

(हमारे मामले में आरोपित अधिकारी), जो सीधे घटना से संबंधित है, शिकायत समिति के अध्यक्ष को लिखित रूप में दिया जाना चाहिए, जो उन्हें पीड़ित या गवाहों के सामने ऐसी भाषा में रख सकते हैं जो स्पष्ट हो और अस्पष्ट न हो। "इस प्रकार ऐसी शिकायत समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रश्नों की जांच की जाएगी।"

73. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उपरोक्त प्रावधान में उल्लिखित संदर्भ में गवाहों से प्रश्न पूछने की शिकायत समिति की शक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए न तो कोई वैधानिक बाधा है और न ही कोई तर्क है।शिकायत समिति एक जांच प्राधिकरण होने के नाते और कुछ अर्थों में अदालत के पीठासीन अधिकारी के बराबर है जैसा कि साक्षी (उपरोक्त) से अनुमान लगाया गया है, यदि एक उचित, निष्पक्ष और गहन जांच होनी है तो उसे अपने दम पर सवाल पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

74. यदि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक भयावह प्रभाव पैदा करेगा, जिसके तहत शिकायत समिति, जिसे एक जांच प्राधिकरण माना जाता है, केवल एक रिकॉर्डिंग मशीन रह जाएगी।75. हम यह समझने में विफल हैं कि शिकायत समिति, जिसे एक 'जांच प्राधिकरण' माना जाता है, क्या अन्य उद्देश्य पूरा करेगी, अगर हम यह मानते हैं कि शिकायत समिति गवाहों से सवाल नहीं कर सकती है।76. अन्यथा भी, उपरोक्त मुद्दे का जवाब इसके द्वारा दिया गया है।

प्रवीण कुमार बनाम भारत संघ और अन्य मामले में न्यायालय ने (2020) में रिपोर्ट दी

9 एससीसी 471।यही तर्क तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि जाँच अधिकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों के सामने अपने सवाल नहीं रख सकते थे और गवाहों से जिरह भी नहीं कर सकते थे।उक्त मामले में, यह तर्क दिया गया था कि यह अभियोजक को

न्यायाधीश बनाने के बराबर होगा।इस तर्क को न्यायालय ने पैरा 31 में निम्नानुसार टिप्पणी करते हुए नकार दिया:

"31. अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य पर जोर नहीं दिया गया है कि जाँच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष के गवाह से अपने सवाल पूछे और उसने बचाव पक्ष द्वारा लाए गए गवाहों से जिरह की।यह दावा किया जाता है कि यह अभियोजक को न्यायाधीश बनाने के बराबर है, जो "सुआ कौसा में निमो जूडेक्स" के प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन है।हालांकि, इस तरह की दलील गलत है।यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत न्यायाधीशों को किसी भी तथ्य के बारे में किसी भी गवाह या पक्ष से कोई भी सवाल पूछने की शक्ति है।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 560

प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजना या प्राप्त करना।जबकि साक्ष्य के सख्त नियम अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लागू नहीं होते हैं, जांच अधिकारी अक्सर सच्चाई का पता लगाने के लिए ऐसी कार्यवाही में गवाहों से सवाल पूछते हैं।वास्तव में, कुछ परिस्थितियों में इस तरह की सीधी पूछताछ करना आवश्यक हो सकता है।इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने, एक गंजा आरोप लगाने के अलावा कि जांच अधिकारी ने गवाहों से पूछताछ की है, अधिकारी द्वारा पूछे गए किसी भी विशिष्ट प्रश्न की ओर इशारा नहीं किया जो यह इंगित करता है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया था।जाँच अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट द्वेष या पक्षपात का आरोप नहीं लगाया गया है, और जाँच के दौरान भी प्रतिस्थापन की मांग करने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था, इस प्रकार, यह साबित करता है कि ये आपत्तियाँ कुछ और नहीं बल्कि एक विचार के बाद की हैं।"

(जोर दिया गया) 77।यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 किसी न्यायाधीश को प्रासंगिक तथ्यों का उचित प्रमाण खोजने या प्राप्त करने के लिए पक्षों या गवाहों से सवाल करने की अनुमति देती है और इस प्रावधान का पूरे देश में न्यायाधीशों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि न्यायिक कार्यवाही में न्यायाधीश के बराबर होने के बाद शिकायत समिति को उस विशेषाधिकार से कैसे वंचित किया जाए।हालांकि, यह एक अलग स्थिति होगी यदि समिति के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का एक विशेष मामला बनाया जाता है।आखिरकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही का उद्देश्य संबद्ध पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथ्य की तह तक पहुंचना है।

78. इस प्रकार, उच्च न्यायालय का यह विचार सही नहीं था कि कार्यवाही दूषित हो गई क्योंकि केंद्रीय शिकायत समिति ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से सवाल किए थे।

ई**. 4** क्या केंद्रीय शिकायत समिति अपने निर्णय अनुमानों और अनुमानों पर आधारित करती है**?**क्या मामला **"**कोई सबूत नहीं**"** में से एक है**?**

i) सेवा न्यायशास्त्र में **"**कोई साक्ष्य नहीं**"** का सिद्धांत

79. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी भी घरेलू जांच के दौरान दर्ज किए गए तथ्य, जब तक कि वे संपार्श्विक या अधिकार क्षेत्र नहीं हैं, न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं और रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को ऐसे निर्णयों के आधार पर अंतिम निर्णय पर अपील में नहीं बैठना चाहिए और गुण-दोष के आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए।हालाँकि, उक्त नियम के दो प्रसिद्ध अपवाद हैं।

सबसे पहले, मामला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तथ्यों का समर्थन करने के लिए "कोई सबूत" न हो।दूसरा, इस तरह के निर्णयों पर आधारित अंतिम निर्णय विकृत या अनुचित नहीं होना चाहिए।इन दोनों अवधारणाओं का एक-दूसरे के साथ संबंध है; वास्तव में, "कोई सबूत नहीं" सिद्धांत में स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत के साथ कुछ समानता है कि विकृत या अनुचित कार्रवाई अनधिकृत और अधिकार से परे है।जैसा कि एडवर्ड (कर निरीक्षक, बेयरस्टो) में लॉर्ड रैडक्लिफ ई द्वारा बताया गया है।(1956) अपील मामले, पृष्ठ 36 पर 14 "मुझे नहीं लगता कि यह बहुत अधिक है।

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या इस स्थिति को ऐसे रूप में वर्णित किया गया है जिसमें निर्धारण का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या ऐसे रूप में जिसमें साक्ष्य निर्धारण के साथ असंगत और विरोधाभासी है, या ऐसे रूप में जिसमें सच्चा और एकमात्र उचित निष्कर्ष निर्धारण का खंडन करता है।”

सही ढंग से समझे जाने पर, प्रत्येक वाक्यांश एक ही परीक्षण का प्रतिपादन करता है, इनमें से प्रत्येक मामले में, लॉर्ड रेडक्लिफ ई के अनुसार, अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले कानून के दृष्टिकोण में एक त्रुटि होगी।

80. हमें 'कोई सबूत नहीं' सिद्धांत के सही अर्थ की व्याख्या करनी चाहिए।यह नियम भारत में इंग्लैंड से अपनाया गया है और इसलिए हम पहली बार में यह पता लगा सकते हैं कि वहां के नियम को कैसे समझा जाता है।प्रो.एच. डब्ल्यू. आर. वेड ने प्रशासनिक कानून, चौथे संस्करण पर अपने ग्रंथ में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

“ सबूतों का मिलान करना एक बात है जो किसी भी तरह से किसी निष्कर्ष को सही ठहरा सकता है।असहनीय फाइंडिंग बनाना पूरी तरह से एक अलग बात है।यह सत्ता का दुरुपयोग है और गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है।इस बिंदु पर, इसलिए, अदालत हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।‘कोई सबूत नहीं होने का मतलब केवल सबूतों की कमी नहीं है।यह किसी भी मामले में लागू होता है जहां साक्ष्य, समग्र रूप से लिया गया है, निर्णय का समर्थन करने में यथोचित रूप से सक्षम नहीं है; या जहां, दूसरे शब्दों में, कोई भी न्यायाधिकरण उस साक्ष्य पर यथोचित रूप से उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।

वास्तव में, एक सुस्थापित नियम है कि बिना किसी सबूत के तथ्यों का पता लगाना कानून में गलती है।"

(जोर दिया गया) 81।विद्वान लेखक ने बताया है कि "कोई सबूत नहीं" नियम का अमेरिकी कानून के पर्याप्त सबूत नियम के साथ कुछ संबंध है, जैसा कि बर्नार्ड श्वाट्र्ज ने प्रशासनिक कानून, 1976 पर अपने ग्रंथ में समझाया है।

पृष्ठ 595 पर संस्करण का अर्थ है "ऐसे साक्ष्य जो एक उचित 561 का नेतृत्व कर सकते हैं।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 562

फाइंडिंग करने वाला व्यक्ति।" दूसरे शब्दों में, विद्वान लेखक के अनुसार, "एक तथ्य-कल्पना के समर्थन में साक्ष्य तब पर्याप्त होता है जब इससे तथ्य के अस्तित्व का अनुमान यथोचित रूप से निकाला जा सकता है।"

82. सबसे पहला अंग्रेजी निर्णय जिसने "कोई सबूत नहीं" की अवधारणा को छुआ है, वह द किंग बनाम कार्सन रॉबट्र्स में अपील न्यायालय का है जिसकी रिपोर्ट 1908 (1) के. बी. में की गई थी।407. उस मामले में सवाल यह था कि क्या उच्चतर न्यायालय को प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1875 के तहत अस्वीकृति और अधिभार के संबंध में लेखा परीक्षक का निर्णय गलत था, तो उसकी समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब ऐसा निर्णय कानून के दृष्टिकोण से गलत हो और न कि जब लेखा परीक्षक वास्तव में गलत निष्कर्ष पर पहुंचा हो।फ्लेचर मौल्टन एल. जे. ने उस मामले में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि यदि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर कोई न्यायाधिकरण यथोचित रूप से उस निष्कर्ष पर पहुँच सके जिस पर लेखा परीक्षक आया है, तो उच्च न्यायालयों को अधिभार को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, और मेरी राय में यहाँ यह मामला है।"

83. उप औद्योगिक चोट आयुक्त (ऊपर) में, दो

विद्वान लॉ लॉड्र्स ने उक्त नियम को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के रूप में मानते हुए "कोई सबूत नहीं" नियम की सही सामग्री पर कुछ टिप्पणियां की हैं।विलमार एल. जे. ने निम्नलिखित रूप में देखाः

"जहाँ इतना कुछ आयुक्त के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, वहाँ एकमात्र वास्तविक सीमा, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह है कि प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के अनुसार होनी चाहिए।इसमें यह शामिल है कि कोई भी जानकारी जिस पर आयुक्त कार्य करता है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, कम से कम कुछ संभावित मूल्य की होनी चाहिए।"

84. डिप्लॉक एल. जे. ने निम्नलिखित प्रासंगिक अवलोकन किए जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“जहाँ, जैसा कि वर्तमान मामले में, उपायुक्त की ओर से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या दुर्भावना का सवाल नहीं है, वहाँ प्राकृतिक न्याय के नियम जिनका उसे पालन करना चाहिए, मेरे विचार में, दो तक कम किए जा सकते हैं।सबसे पहले, उसे साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, चाहे सुनवाई का अनुरोध किया गया हो या नहीं।दूसरा, यदि सुनवाई का अनुरोध किया जाता है, तो उसे उन सभी व्यक्तियों की दलीलों को निष्पक्ष रूप से सुनना चाहिए जो सुनवाई में प्रतिनिधित्व करने के हकदार हैं।

“प्रथम नियम के संदर्भ में, "साक्ष्य" केवल उस साक्ष्य तक ही सीमित नहीं है जो न्यायालय में स्वीकार्य हो।

“... यह आवश्यकता कि अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अपने निर्णय को साक्ष्य के आधार पर करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि यह ऐसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो तार्किक रूप से निर्धारित किए जाने वाले मुद्दे से संबंधित तथ्यों के अस्तित्व या अस्तित्व को नहीं दिखाती है, या भविष्य में किसी ऐसी घटना की घटना की संभावना या अप्रत्याशितता को दर्शाती है जिसकी घटना प्रासंगिक होगी।इसका मतलब है कि उसे कोई सिक्का नहीं घुमाना चाहिए या किसी ज्योतिषी से परामर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन वह किसी भी सामग्री को ध्यान में रख सकता है, जिसका ऊपर बताए गए अर्थ में कुछ संभावित मूल्य है।यदि यह कोई संभावित मूल्य रखने में सक्षम है, तो इससे जुड़ा वजन उस व्यक्ति का मामला है जिसे संसद ने इस मुद्दे को तय करने की जिम्मेदारी सौंपी है।उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी अधिकारिता इसे इस जिम्मेदारी को हड़पने और उसके लिए अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने का अधिकार नहीं देती है।””

85. फ्रेंच में कीर डेवलपमेंट्स लिमिटेड बनाम.के लिए राज्य सचिव

पर्यावरण ने 1977 में रिपोर्ट किया (1) सभी ई. एल. आर. 297, क्वींस बेंच डिवीजन की अदालत के अधिकार क्षेत्र को राज्य सचिव के अपीलीय निर्णय को रद्द करने के लिए लागू किया गया था, जिसमें विकास के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।राज्य सचिव ने सार्वजनिक जांच के समापन पर निरीक्षक द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद नगर परिषद ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।राज्य सचिव ने अपील पर निर्णय लेते समय, एक दस्तावेज़ की सामग्री को ध्यान में रखा और उन्हें सही के रूप में स्वीकार किया, इस तथ्य के बावजूद कि निरीक्षक ने दस्तावेज़ को कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं माना था।न्यायाधीश

विलिस के समक्ष तर्क यह था कि राज्य सचिव को दस्तावेज़, या इसकी सामग्री के किसी भी संदर्भ को नजरअंदाज कर देना चाहिए था, जैसा कि निरीक्षक ने किया था, क्योंकि यह किसी भी गवाह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसकी उत्पत्ति अस्पष्ट थी और इसे प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता था।विद्वत न्यायाधीश ने प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"यह कहने की शायद ही आवश्यकता है कि साक्ष्य के कानूनी नियम स्थानीय पूछताछ में लागू नहीं होते हैं, और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों को उन परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया जाता है जहां वर्तमान समय में साक्ष्य के अधिक शिथिल नियम भी अदालत में इसे स्वीकार करने की अनुमति नहीं देते हैं।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

कानून से।फिर भी तथाकथित साक्ष्य के दायरे पर एक अपीलार्थी के लिए निष्पक्षता में कुछ सीमा निश्चित रूप से लगाई जानी चाहिए, जिसे कल्पना के किसी भी विस्तार से थोड़ा भी प्रमाणिक मूल्य नहीं कहा जा सकता है।यह मुझे विशेष रूप से सोचना चाहिए था जब इस तरह के 'साक्ष्य' पर विचार किया जाता है, तो इसका उपयोग अपीलार्थी के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए किया जाता है।मुझे लगता है कि निरीक्षक इस दस्तावेज़ को नजरअंदाज करने के लिए हल्का था और राज्य के सचिव ने विशेष परिस्थितियों में इसे या इसकी सामग्री को कोई महत्व देना गलत था।"

86. उपरोक्त निर्णयों से संकेत मिलता है कि अंग्रेजी न्यायालयों ने "कोई सबूत नहीं" शब्दों का संक्षिप्त अर्थ नहीं निकाला है।"कोई साक्ष्य नहीं" का नियम न केवल उन मामलों में आकर्षित होता है जहां साक्ष्य की पूर्ण कमी है, यानी जहां साक्ष्य का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि उन मामलों में भी जहां साक्ष्य, यदि कोई है, कोई संभावित मूल्य रखने में सक्षम नहीं है, या जिसके आधार पर कोई भी न्यायाधिकरण निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्यों के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व के बारे में यथोचित और तार्किक रूप से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है।अंग्रेजी निर्णयों के अनुसार, हालांकि एक घरेलू न्यायाधिकरण कानून की अदालत में कानूनी नियमों के अनुसार स्वीकार्य साक्ष्य पर कार्य कर सकता है, फिर भी जब तक कि इस तरह के साक्ष्य का ऊपर उल्लिखित अर्थ में कुछ संभावित मूल्य नहीं है, यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा और/या उस पर किसी भी प्रतिकूल निर्णय को आधार बनाने के लिए कानून की त्रुटि होगी।

87. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य बनाम एस. श्री रामाराव

ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1723 में प्रतिवेदित, पृष्ठ 1726 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कोई सार्वजनिक अधिकारी उसके खिलाफ लगाए गए दुराचार का दोषी है, उचित संदेह से परे साक्ष्य द्वारा आरोप की स्थापना के संबंध में आपराधिक मुकदमों में पालन किया जाने वाला नियम लागू नहीं था।अनुच्छेद 226 के तहत एक

कार्यवाही में, उच्च न्यायालय, जो घरेलू न्यायाधिकरण के निर्णय पर अपील का न्यायालय नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए चिंतित था कि क्या जांच उस ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा और उस ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था।फिर निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियों का पालन करें:-

“जहां कुछ साक्ष्य है, जिसे जांच करने के कर्तव्य के साथ सौंपा गया प्राधिकरण स्वीकार कर चुका है और कौन से साक्ष्य इस निष्कर्ष का उचित रूप से समर्थन कर सकते हैं कि अपराधी अधिकारी आरोप का दोषी है, तो यह उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह साक्ष्य की समीक्षा करे और अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए याचिका दायर करे।

564

साक्ष्य पर स्वतंत्र अधिकार. यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिन पर उनके अधिकार आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता एक ऐसा मामला नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार करने की अनुमति दी जा सकती है।”

(जोर दिया गया) 88।इस निर्णय को राज्य में अनुमोदित रूप से संदर्भित किया गया था और उस पर भरोसा किया गया था

आंध्र प्रदेश और अन्य बनाम चित्रा वेंकट राव ने (1975) 2 एस. सी. सी. 557 में रिपोर्ट किया।

89. भारत संघ बनाम एच. सी. गोयल ने ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 364 में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के आयाम और चौड़ाई के बारे में प्रश्न सरकार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में विचार के लिए गिर गया।

सेवक।यह देखा गया कि "अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह जांचने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या सरकार का निष्कर्ष, जिस पर बर्खास्तगी का विवादित आदेश निहित है, किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है" और यह कि

इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक लोक सेवक द्वारा प्रमाण पत्र की रिट का दावा किया जा सकता है यदि वह उच्च न्यायालय को संतुष्ट करने में सक्षम है कि उक्त कार्यवाही में सरकार का अंतिम निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है।तथ्य के प्रश्न पर एक निष्कर्ष, यह अभिनिर्धारित किया गया था, उपलब्ध होगा यदि यह स्पष्ट है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के प्रामाणिक होने पर भी इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।पृष्ठ 369 पर की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ विचाराधीन पहलू के दृष्टिकोण से सामग्री हैं:

“... ऐसी याचिका पर अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय किसी विशेष निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्तता या साक्ष्य की पर्याप्तता के बारे में प्रश्न पर

विचार नहीं कर सकता है।यह एक ऐसा मामला है जो प्रश्न से निपटने वाले प्राधिकरण की क्षमता के भीतर है; लेकिन उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है और उसे यह पता लगाना चाहिए कि क्या विवादित निष्कर्ष के समर्थन में कोई सबूत है या नहीं।दूसरे शब्दों में, यदि जांच में दिए गए पूरे साक्ष्य को सच माना जाता है, तो क्या यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हो गया है?यह दृष्टिकोण सबूतों को तूल देने से बचेगा।यह साक्ष्य को उसी रूप में लेगा जैसे वह खड़ा है और केवल इस बात की जांच करेगा कि क्या उस साक्ष्य पर अवैध रूप से आक्षेपित निष्कर्ष निकलता है या नहीं।..."

(जोर दिया गया)

90. आर. महालिंगम बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु लोक सेवा

आयोग और एक अन्य ने **(2013) 14** एस**.** सी**.** सी**. 379** में रिपोर्ट की**,** इस न्यायालय ने **565** निर्धारित किए

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 566

अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की समाप्ति के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"11. ..... नियोक्ताओं द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाले मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है।अदालतें मुख्य रूप से इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई है और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया गया है।अदालत इस बात पर भी विचार कर सकती है कि क्या अपराधी के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए कुछ ठोस सबूत थे और ऐसे सबूत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का उचित रूप से समर्थन करते हैं।यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जाँच निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप की गई थी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्ष कुछ ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विशेष दंड लगाने के लिए प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि जब यह साबित किए गए कदाचार के लिए पूरी तरह से असमान पाया जाता है या अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है।"

(जोर दिया गया) 91।इस न्यायालय ने ऑरेलियानो फर्नांडीस (ऊपर) मामले में इस बात पर चर्चा करते हुए कि अदालत यौन उत्पीड़न के आरोपों के अनुसार की गई विभागीय कार्यवाही के संबंध में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती है, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कींः-

"62. ... अनुशासनात्मक प्राधिकरण तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश होता है और एक बार जब साक्ष्य की सराहना के आधार पर तथ्य की अंतिम बातें दर्ज की जाती हैं, तो उच्च न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में आम तौर पर उन तथ्यात्मक तथ्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह यह निर्णय नहीं लेता है कि दर्ज किए गए तथ्य या तो किसी साक्ष्य पर

आधारित नहीं थे या कि तथ्य पूरी तरह से विकृत और/या कानूनी रूप से असमर्थनीय थे। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि एक समिति द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच सेवा नियमों के संदर्भ में की जाती है और संबंधित कर्मचारी को अपनी स्थिति को सही साबित करने और अपनी बेगुनाही स्थापित करने का उचित अवसर मिलता है।"

(जोर दिया गया)

(ii) अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमाण का मानक

92. वेस्ट बोकारो कोलियरी (टिस्को लिमिटेड) बनाम राम प्रवेश सिंह के मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले में (2008) 3 एस. सी. सी. 729 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विभागीय जांच में सबूत का मानक संभावना की प्रधानता पर आधारित है और उचित संदेह से परे नहीं है।इसमें किए गए प्रासंगिक अवलोकन नीचे दिए गए हैं:-

"20. न्यायाधिकरण ने आधिकारिक जांच की रिपोर्ट और दंडक प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए थे।इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी आपराधिक मामले में बरी होना किसी अपराधी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए बाधा के रूप में काम नहीं करेगा।यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक आपराधिक मामले में प्रमाण का पैमाना और मानक अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्रमाण से अलग है।जबकि एक आपराधिक मामले में सबूत का मानक सभी उचित संदेह से परे सबूत है, एक विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है।"

(जोर दिया गया) 93।इसी तरह परिधान निर्यात (ऊपर) में इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यौन उत्पीड़न के संबंध में जांच की जांच मामले की पूरी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए व्यापक संभावनाओं पर की जानी चाहिए।इस प्रकार, एक अनुशासनात्मक जांच में, सबूत का मानक संभावनाओं की प्रधानता है और अदालतों को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब मामले या तो विकृत हों या किसी भी सबूत पर आधारित न हों।

94. कानून के उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केंद्रीय शिकायत समिति द्वारा विचार में लिए गए साक्ष्य के कुछ प्रासंगिक हिस्से पर ध्यान देना चाहिए कि आरोप साबित किए गए हैं:-क. श्री मस्त राम ठाकुर, एस. एफ. ए. (एच) (पी. डब्ल्यू. 3) ने कहा कि प्रतिवादी अक्सर शिकायतकर्ता को अपने कक्ष में बुलाता था और उसे बिना किसी आधिकारिक काम के घंटों तक बैठा देता था।उन्होंने आगे कहा कि अक्सर ऐसे अवसरों पर, प्रतिवादी अपने कक्ष का पर्दा खींचता था।उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने एक बार उन्हें बताया था कि प्रतिवादी उन्हें शादी का प्रस्ताव देता था।

मस्त राम ठाकुर की जिरह से कुछ भी ठोस पता नहीं चल सका।वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मस्त राम ठाकुर द्वारा जो अपदस्थ किया गया है, उसे जिरह में एक सुझाव के रूप में भी विवादित नहीं किया गया है।

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 568

567

ख. श्री रिंजन सिंह, चपरासी (पीडब्लू8) और श्री चंदन सरकार (पीडब्लू6) ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को घंटों तक प्रतिवादी के कक्ष में बैठे हुए देखा था।श्री अशोक कुमार, पीए (पीडब्लू17) ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने एक बार उनसे कहा था कि उनके कक्ष में बुलाए जाने के बाद प्रतिवादी अक्सर उनकी सुंदरता और कपड़ों पर टिप्पणी करता था।

सी। श्री पी. के. रावत, यू. डी. सी. (पी. डब्ल्यू. 5), श्री रंजीत पाटोई, सहायक (पी. डब्ल्यू. 7) और श्री समीर नंदी, एस. एफ. ए. (जी) (पी. डब्ल्यू. 14) सभी ने कहा है कि उन्होंने प्रतिवादी को अपने कक्ष में एक गिलास पानी डालते हुए और फिर दिन में 5 से 6 बार शिकायत के कमरे में जाते हुए देखा था, और शराब पीते समय वह हमेशा शिकायतकर्ता को देखता रहता था।श्री रंजन सिंह, चपरासी (पीडब्लू8) ने कहा कि पहले प्रतिवादी अपने कक्ष में पानी पीता था, लेकिन एक बार जब शिकायतकर्ता कार्यालय में शामिल हो गया, तो वह पानी पीने के लिए अक्सर उसके कमरे में जाने लगा।

घ. सफाईकर्मी (पीडब्लू12) श्री रबी राम विश्वास ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी को लैपटॉप चलाना सिखाते हुए शिकायत के कंधे को छूते हुए देखा था।श्रीमती पेमा नरजारी, ए. एफ. ओ. (डब्ल्यू. आई.) (पी. डब्ल्यू. 9) ने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक बार उसे बताया था कि कैसे प्रतिवादी उसे लैपटॉप चलाना सिखाने के बहाने उसे अपने कक्ष में बुलाता था।श्री रिंजन सिंह, चपरासी (पीडब्लू8) ने कहा कि एक अवसर पर, प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता को पढ़ाते हुए अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और जब अचानक वह प्रतिवादी के कक्ष में प्रवेश किया तो प्रतिवादी चौंक गया और शिकायतकर्ता से दूर चला गया और उसे प्रवेश करने से पहले दस्तक देने का निर्देश दिया।

ई. श्री रबी राम विश्वास, चपरासी (पीडब्लू12) ने कहा कि जब भी शिकायतकर्ता कार्यालय छोड़ देगा, तो प्रतिवादी भी जल्द ही जल्दबाजी में चला जाएगा।अन्य कर्मचारियों ने माना कि यह जल्दबाजी प्रतिवादी की शिकायतकर्ता को घर ले जाने की इच्छा के कारण थी।श्री रिंजन सिंह, चपरासी (पीडब्लू8) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी को शिकायतकर्ता को लिफ्ट देते हुए देखा था और यह केवल शिकायतकर्ता ही था जिसे प्रतिवादी अनुमति देता था।श्रीमती. पेमा नरजारी, ए. एफ. ओ. (डब्ल्यू. आई.) (पी. डब्ल्यू. 9) ने कहा कि उन्होंने अन्य आधिकारिक कर्मचारियों से सुना है कि प्रतिवादी अपने आधिकारिक वाहन में शिकायतकर्ता को लिफ्ट देगा।

एफ. चौकीदार (पीडब्लू4) श्री बी. बी. सोनार ने कहा कि एक बार जब शिकायतकर्ता रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करने के लिए महिलाओं की कतार में खड़ी थी, तो प्रतिवादी पीछे से उसके पास आया और

उसके कंधे पर हाथ रखा।इससे शिकायतकर्ता बहुत असहज हो गया और उसके कंधे से झुकने पर प्रतिवादी ने अपना हाथ हटा लिया।उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता को परेशान और असहज देखा।

उपरोक्त आरोपों पर, प्रतिवादी ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि "उग्र भीड़" से "शिकायतकर्ता की गरिमा की रक्षा करना" और रेलवे स्टेशन पर खड़े लोगों को यह भी बताना कि शिकायतकर्ता अकेला नहीं था, उसका "बाध्य कर्तव्य" था।

जी. श्री मस्त राम ठाकुर, एस. एफ. ए. (एच) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी को रेलवे में शिकायतकर्ता पर यौन रंग की टिप्पणी करते हुए सुना था।

स्टेशन कह रहा है; "आप तो जा रहे हैं, मेरी जान जा रही है।आप चिंता मत करो मैं तुम्हारा दिमाग तज़ा करने के लिए आईये भेज रहा हू, वाहन से आने के बाद तुम श्रीमती पॉल बनोगी "।

एच. श्री बी. बी. सोनार, चौकीदार (पीडब्लू4), श्री ए. देबेन सिंह, ए. एफ. ओ. (एम) (पीडब्लू13) श्री सुरजीत सिंह, चालक (पीडब्लू2), श्री रिंजन सिंह, चपरासी (पीडब्लू8) सभी ने अन्य आधिकारिक कर्मचारियों से सुना है कि प्रतिवादी अक्सर बिना बुलाए शिकायतकर्ता के आवास पर जाता था और शादी का प्रस्ताव रखता था।अन्य गवाह; श्री श्याम दास, अनुभाग अधिकारी डीएसीएस (सेवानिवृत्त)। (पीडब्लू19), श्री सुभाष प्रसाद, यूडीसी (पीडब्लू18), श्री अशोक गहलोट, पीए (पीडब्लू17), शिर जिनेन सिंह, यूडीसी (पीडब्लू11), श्री रंजीत पटोई, श्री समीर नंदी, एसएफए (जी) और श्रीमती. पेमा नाज़री, ए. एफ. ओ. (डब्ल्यू. आई.) (पी. डब्ल्यू. 9) सभी ने इन आरोपों का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने शिकायतकर्ता से आई. डी. 1 में कभी-कभी सुना था कि प्रतिवादी विषम समय पर उसके घर जाता था और यौन संबंध बनाकर उसके साथ दुर्व्यवहार भी करता था और शिकायतकर्ता को अपने पति को छोड़ने और उससे शादी करने के लिए कहता था।श्री चंदन सरकार, एस. एफ. ए. (एम) (पी. डब्ल्यू. 6) ने कहा कि उन्होंने प्रतिवादी की शिकायतकर्ता पर यौन टिप्पणी करने की एक टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग भी सुनी है।श्री पी. के. रावत, यू. डी. सी. (पी. डब्ल्यू. 5) ने कहा कि कई मौकों पर उन्होंने प्रतिवादी को शिकायतकर्ता के घर बैठे देखा था।

i. श्री एस. सी. कटोच, आई. जी. (पी. डब्ल्यू. 20) ने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक बार उसे फोन करके प्रतिवादी के खिलाफ उसे काम के घंटों से अधिक समय तक हिरासत में रखने की

शिकायत की थी।उन्होंने आगे कहा कि, उन्होंने तब प्रत्यर्थी को टेलीफोन पर फटकार लगाई थी जिसके बाद प्रत्यर्थी ने 569

भारत संघ और अन्य बनाम दिलीप पॉल [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 570

उसे कोई काम नहीं दिया।श्री मस्त राम ठाकुर, एस. एफ. ए. (एच) (पी. डब्ल्यू. 3) और श्री रंजीत पाटोई, सहायक (पी. डब्ल्यू. 7) ने भी उपरोक्त की पुष्टि की और कहा कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ शिकायत करने के बाद उससे सभी काम वापस ले लिए।

95. उपरोक्त इंगित करेगा कि यह "कोई सबूत नहीं" का मामला नहीं है।शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को इंगित करने या प्रमाणित करने के लिए कुछ सबूत रिकॉर्ड पर आए हैं।इस स्तर पर ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वह जानता था कि कानून उसे कथित कदाचार के लिए एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के उद्देश्य से साक्ष्य की पर्याप्तता के मुद्दे पर जाने की अनुमति नहीं देता है।यह ऐसी परिस्थितियों में है कि पूरे फैसले में उच्च न्यायालय ने केवल प्रतिवादी द्वारा उठाई गई तकनीकी याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि केवल बिंदु 7 (ए) के मुद्दे पर ही उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि इस संबंध में निर्णय अनुमान और अनुमानों पर आधारित हैं।

96. उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि बिंदु 7 (ए) में निहित आरोपों के संबंध में, जो प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को अवांछित फोन कॉल करने से संबंधित है, हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग का कोई सबूत इसकी पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी केंद्रीय शिकायत समिति ने आरोपों को सच स्वीकार किया, और इसलिए इसके निर्णय को अनुमानों और अनुमानों पर आधारित कहा जा सकता है।

97. हमारी राय में उपरोक्त बात सही नहीं है।केंद्रीय शिकायत समिति ने मामले की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बिंदु 7 (ए) में आरोप को सही तरीके से स्वीकार किया था।केंद्रीय शिकायत समिति ने विधिवत नोट किया कि कॉल रिकॉर्ड की अनुपलब्धता इस तथ्य के कारण थी कि शिकायतकर्ता की शिकायतों की जांच महत्वपूर्ण समय के अंतराल के बाद की गई थी।इसके अलावा, उक्त आदेश को गवाहों में से एक के मौखिक साक्ष्य द्वारा पुष्ट किया जाता है, जिसने बयान दिया कि वह प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को कॉल करने के बारे में जानता था।संबंधित भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"बिंदु **7**

"x. श्री समीर नंदी ने यह भी कहा है कि उन्हें पता था कि श्री दिलीप पॉल श्रीमती को फोन कर रहे थे। उसके मोबाइल पर एक्स।

XXX

XXX

XXX

ख. शिकायत समिति ने इस आरोप को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि श्री दिलीप पॉल अक्सर श्रीमती को फोन करते थे। एक्स, और वह भी विषम समय पर, लेकिन चूंकि श्री दिलीप पॉल के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और श्रीमती। एक्स के पास एक प्रीपेड सिम कार्ड था, वह ऐसा करने में विफल रहा है।

XXX

XXX

XXX

..... शिकायत समिति ने यह भी नोट किया कि कॉल रिकॉर्ड से पुष्टि की अनुपलब्धता श्रीमती को नहीं दी जा सकती है। एक्स का दरवाजा क्योंकि, अगर उसकी शिकायत की जांच समय पर और तेजी से होती, तो ये रिकॉर्ड आज तक उपलब्ध होते।""

98. इस निर्णय को समाप्त करने से पहले, हमें अपीलार्थी द्वारा की गई कई पूछताछों के संबंध में प्रत्यर्थी की ओर से बहुत मुखरता से प्रचार किए गए एक निवेदन पर विचार करना चाहिए।प्रत्यर्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि सामान्य नियम यह है कि केवल एक ही जांच हो सकती है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक बार मौके पर/प्रारंभिक जांच में अपराधी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, तो एक बार फिर आरोपों की जांच के लिए कोई और समिति गठित नहीं की जा सकती थी।

99. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सीमा शिकायत समिति भी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोप साबित नहीं किए गए थे।

100. विद्वान वकील के अनुसार, ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, आरोपों की आगे की जांच के लिए केंद्रीय शिकायत समिति का गठन नहीं किया जा सकता था।इस संबंध में, निर्भरता रखी गई थी

विजय शंकर पांडे बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

(2014) 10 एस. सी. सी. 589 में सूचित किया गया। 101.उपरोक्त संदर्भ में, हम केवल यह कह सकते हैं कि उपरोक्त मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया था और इसे निम्नानुसार नकार दिया गया थाः

“22. आई. डी. 1 की तारीख वाली रिपोर्ट मौके पर जांच करने के बाद प्रस्तुत की गई थी। ऑन-द-स्पॉट पूछताछ, इसकी प्रकृति से, प्रकृति में संक्षिप्त है।इस तरह की जांच को अनुशासनात्मक जांच के बराबर नहीं माना जा सकता है।यह ध्यान देने योग्य होगा कि मौके पर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी ने एफएलसीसी का गठन किया था, जिसने अपनी कार्यवाही भी शुरू कर दी थी।उस संदर्भ में, भले ही इस तरह की मौके पर हुई जांच में कोई आरोप 571 नहीं पाया गया हो।

स्थापित, तत्काल मामले के तथ्यों में इसका कोई भौतिक संबंध नहीं होगा।यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को सीमा पर तैनात किया गया था और तदनुसार, स्थायी आदेश संख्या 1/06 के संदर्भ में, यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए FLCC का गठन किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया है, हालांकि एफ. एल. सी. सी. ने 17.01.2012 पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन उसे इस आधार पर 10.12.2012 दिनांकित ज्ञापन द्वारा रद्द कर दिया गया था कि एफ. एल. सी. सी. के अध्यक्ष एक अधिकारी नहीं थे जो याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी।

23. हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एफ. एल. सी. सी. की रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता था और रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी क्योंकि एफ. एल. सी. सी. के अध्यक्ष एक अलग धारा से थे, वरिष्ठता की तुलना का सवाल ही नहीं उठा।याचिकाकर्ता का यह तर्क नहीं है कि अध्यक्ष वास्तव में याचिकाकर्ता से उच्च पद पर था।इसलिए, निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में शिकायत समिति के उचित गठन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह सच है कि अधिकारियों ने स्वयं शिकायत समिति का गठन किया था, लेकिन तथ्य अपने आप में सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही या अनुचित रूप से गठित समिति की रिपोर्ट को रद्द करने से नहीं रोक सकता है।इसी पृष्ठभूमि में सी. सी. सी. सामने आया था।यद्यपि एफ. एल. सी. सी. ने पहले जाँच की थी, हम मानते हैं कि सी. सी. सी. संगठन में यौन शोषण के किसी भी मामले की जाँच भी कर सकता है जिसमें आवश्यक रूप से सीमा भी शामिल है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सी. सी. सी. तत्काल मामले में अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था।के. डी. पांडे (उपर्युक्त) मामले में निर्णय, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब जांच अधिकारी द्वारा आरोपों के संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय दिए गए हैं, तो मामले को आगे की जांच के लिए जांच प्राधिकरण को प्रेषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दूसरी जांच होती और आरोपों के उसी सेट और रिकॉर्ड पर सामग्री पर आगे की जांच नहीं होती, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी।के. आर. देब (ऊपर) में, उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन नियमों के संदर्भ में कहा कि यद्यपि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के लिए कुछ परिस्थितियों में आगे साक्ष्य दर्ज करना संभव हो सकता है, क्योंकि कुछ गंभीर दोष जो जांच में आए थे या कुछ महत्वपूर्ण गवाह जांच के समय उपलब्ध नहीं थे या किसी अन्य कारण से उनकी जांच नहीं की

गई थी, अनुशासनात्मक प्राधिकरण में पिछली जांच को इस आधार पर पूरी तरह से रद्द करने की कोई शक्ति निहित नहीं है कि रिपोर्ट अपील नहीं करती है।

अनुशासनात्मक प्राधिकरण।यह भी देखा गया कि नियमों के संदर्भ में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास साक्ष्य पर पुनर्विचार करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। विजय शंकर पांडे (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने के. आर. देब (ऊपर) का पालन किया और उसमें निर्धारित सिद्धांत को दोहराया।उक्त निर्णय तथ्यों पर भी लागू नहीं होते हैं

वर्तमान मामला।हम याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि शिकायत समिति को 30.08.2011 दिनांकित शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह संकेत नहीं मिलता है कि दिनांक 1 की शिकायत प्रस्तुत करने के समय कोई विशिष्ट शिकायत समिति थी और इसके विपरीत, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्राप्त होने के बाद ही शिकायत दर्ज करने के लिए एफ. एल. सी. सी. का गठन किया गया था।अन्यथा भी, स्थायी आदेश स्वयं कुछ परिस्थितियों में सीधे फ्रंटियर आई. जी./आई. एफ. को शिकायत प्रस्तुत करने की कल्पना करता है।" (जोर दिया गया) 102।हम कई पूछताछों के मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निर्णयों से पूरी तरह सहमत हैं।

एफ. कन्क्लूजन

103. इन सभी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में एक गंभीर त्रुटि की।

104. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.05.2019 द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।

105. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड के आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।तथापि, हम स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी को पहले से ही भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं करेगा।

106. लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस

सहायता दीःशुभांशु दास, एलसीआरए